(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3] पंचम विधान सभा के तृतीय सत्र का चतुर्थ दिवस [संख्या 2

सोमवार,

दिनांक 19 फरवरी, 1973,

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राजस्व, सहकारिता, खनिज, सिंचाई, भाषा, सार्वजनिक निर्माण, आयुर्वेद यातायात एवं वन विभाग।]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

केन्द्रीय सहकारी बैंक जालौर के संचालक मंडल का चुनाव

1. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर के अध्यक्ष श्री भंवर सिंह के विरुद्ध कई अनियमितताओं के आरोप थे ? अगर हां, तो वे क्या क्या थे, और उन पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है तथा भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर, के संचालक मण्डल का चुनाव कभी का ड्यू हो चुका है ? अगर हां, तो नए उपनियमों के अनुसार उक्त बैंक के संचालक मंडल का चुनाव कब तक सम्पन्न करा दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह) : (1) जी हां, अनियमितताओं की सूची संलग्न है। बैंक का ऑडिट कराया जा चुका है ऑडिट के आधार पर कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां, चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जा चुकी है और बैंक ने चुनाव तिथि 29-3-73 निश्चित की है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिए)

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि खाली जगह के अगेन्स्ट में ई. ओ. का जो सरकार ने पोस्टिंग किया था वह तीन महीने तक बगैर तनख्वाह जालौर में बैठा रहा और आखिर पाली ट्रांसफर करना पड़ा ?

श्री जुझारसिंह : अनियमितताओं की लिस्ट है उसमें इस ई. ओ. के बारे में कुछ नहीं है। जो आपने अनियमितताओं की लिस्ट दी है उस सम्बन्ध में आपने जानकारी जहां तक चाही है····

श्री रघुनाथ विश्नोई : उसमें यह भी है कि सरकारी आदेशानुसार ई. ओ. को भेजा

(2)

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
गया। तीन महीने तक वह बैठा रहा, ड्यूटी पर नहीं लिया, गवर्नमेंट ने वापस भेजा।

श्री जुझारसिंह : जो अनियमिततायें कही गई हैं उसकी लिस्ट मौजूद है, उनका ट्रांसफर किया गया, उसके बाद में एडीशनल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर श्री पूनमचन्द को उसकी जगह काम करने के लिए कहा गया यह पार्ट 1 है अनियमितताओं का ऑफिसर्स के बारे में। आगे किस आदमी को वहां पर लगाया गया पुरोहित जी को, वह कितने दिन रहे चेयरमेन ने उसकी अवहेलना की या नहीं, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है, मैं जानकारी करवा लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि सरकार ने ऑर्डर दिया कि ए.आर. के कैडर का मैनेजर लगाया जाए, क्योंकि बैंक में अनियमितताएं बहुत हैं। सरकार की नीति के अनुसार आदेश हुए थे ए. आर. केडर के लेकिन अपनी धांधलीबाजी के कारण सरकार ने नहीं लिया फिर मजबूर होकर उसको दूसरी जगह लिया।

श्री जुझारसिंह : ए. आर. की केटेगरी का अधिकारी लगाने की सरकार की मन्शा थी मैनेजर के पद पर, बाद में निर्णय हुआ जिन बैंकों की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है और जहां पर एडवान्सेज कम हैं, वसूलियां कम हैं, उन जगहों के लिये तय किया गया कि ऐसी बैंकों पर वित्तीय भार बढ़ जाता है, इसलिये उनकी जगहों पर इन्सपेक्टर भी लगाए जा सकते हैं। इस तरह का निर्णय छोटी बैंकों के लिये लिया गया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं इस केस की बात करता हूं।

श्री जुझारसिंह : इसकी जानकारी करवा लेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : क्या यह सही है कि रिकवरी के लिये जीप का किराया लगा और वसूली भी नहीं हुई। कितना किराया खर्च हुआ बैंक का ?

श्री जुझारसिंह : जो आपने अनियमितताओं की बात की है उसमें बैंक भी आती है, जीप भी आती है। उसके लिये ऑडिटर ने जो रिपोर्ट दी है उसके लिये बैंक के सेंट्रल ऑफिस से जवाब देने के लिये कहा गया है संचालक-मंडल से जवाब आयेगा उससे सेटिस्फाइड नहीं हुई तो वीविल टेक एक्शन।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके अंदर पांच हजार रुपये बैंक से बगैर संचालक-मंडल की ऑथोरिटी लिये चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन और मेनेजर पर खर्च किया। बाईलॉज में लिखा हुआ है कि इतना खर्चा मिलेगा बैंक में बाकी रुपया जमा क्यों नहीं कराया गया ? वहां संचालक मंडल को ऑडिटर ने सारी रिपोर्ट दे रखी है कि बैंक को इतना घाटा है।

श्री जुझारसिंह : जो ऑडिट ने रिपोर्ट दी है उसमें बताया है कि जो चेयरमैन, वाईस चेयरमैन व मैनेजर थे, उन तीनों के खर्चे के बारे में कुछ आपत्तियां थीं। ऑडिट ने बताया है चेयरमैन व वाइसचेयरमैन एक एक के खाते में 246.16) निकलते हैं जो उनको वापस करने है। बताया गया है कि

(श्री जुझारसिंह)
वाउचर्स वगैरह हैं वे पेश नहीं किये गए। मैं ऑडिट रिपोर्ट सुना सकता हूं। उस पर उनसे पूछा गया है कि अपना अपना एक्सप्लेनेशन दें कि आप पर अधिक खर्चा हुआ वह वापस क्यों नहीं किया गया है। उनका जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो वसूल किया जायगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : आडिट रिपोर्ट का वह पोर्शन बता दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बैंकों का मामला जनरल है। सरकार आदेश देती है उनको कम्पलायन्स नहीं होती है, ज्यादा खर्चे हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार ने पॉलिसी डिसीजन लिया है। इसी तरह से यहां सरकार क्या एक्शन लेना चाहती है। जिससे वसूली ठीक तरह से हो, सरकार क्या नीति अपनायेगी? जो गवर्नमेंट ऑर्डर भेजते हैं लेते नहीं हैं, बैठे रहते हैं, सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है।

श्री जुझार सिंह : मैं साफ कह चुका हूं कि जो अनियमिततायें बताई गई हैं एक एक आदमी पर 246.16) खर्च हुआ, उनको राईट आफ नहीं किया गया न करने का इरादा है। उनसे जवाब मांगा है, उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो एक्शन लिया जायगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आखिर सरकार का क्या खयाल है? सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है?

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनलाल छंगाणी।

जोधपुर शहर में नियुक्त डॉक्टर

2 **श्री मोहन लाल छंगाणी** (फलोदी) [श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा) : की अनुपस्थिति में] क्या स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य के चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों के स्थानान्तरण के क्या कोई नियम हैं?

(2) यदि कोई नियम नहीं हैं, तो ये नियम कब तक बनाये जायेंगे?

(3) जोधपुर नगर में कार्य करने वाले डॉक्टरों के नाम एवं उनके इस नगर में कार्यकाल की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) जोधपुर नगर में 5 वर्ष से अधिक कार्य करने वाले डॉक्टरों का स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) :
(1) जी नहीं। अलग से कोई नियम नहीं हैं। राज्य के अन्य कर्मचारियों के ही नियम लागू होते हैं।

(2) इस प्रकार के नियम अलग से बनाना आवश्यक नहीं है। अतः प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) जब राज्य सरकार आवश्यकता अनुभव करेगी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मोहन लाल छंगाणी : जोधपुर का ही नहीं, जयपुर का भी सवाल है। दस पंद्रह साल से डाक्टर बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है कि नियम भी हैं और डिस्क्रीशन भी है मन्त्री महोदय को। वह डिस्क्रीशन किस तरह इस्तेमाल करते है ? मैं बताऊंगा कि डाक्टर वाहो के लिए लिखा है कि 27-10-66 से हैं। वह पंद्रह साल से जोधपुर में बैठे हैं। एक डाक्टर मोदी हैं, दस साल से जोधपुर में है। डाक्टर डी. सी. भण्डारी 14 साल से हैं, डाक्टर के. सी. जैन 10 साल से और डाक्टर ए. डब्लु. खान 15 साल से। मेरे ख्याल से जो सूची सदन की मेज पर रखी है वह रोसेंटली जो ट्रांसफर्स हुए हैं उनके आधार पर है। तो ऐसा कौनसा क्रीइटेरिया है उन डाक्टर्स के ट्रांसफर नहीं करने का ? और दूसरा यह जो डाक्टर्स जमे हुए हैं उनको हटाने का सरकार का विचार है या नहीं ? खास तौर से जो रेगिस्तान के इलाके में डाक्टर्स पड़े हुए हैं उनको वहां से हटाने की सम्भावना है या नहीं ? मन्त्री महोदय बताने की कृपा करें कि जो डाक्टर्स 15 या 20 साल से पड़े हुए हैं उनको हटाने का विचार है या नहीं ?

श्री हरिदेव जोशी : इसके बारे में हमारी कोई रिजिड पालिसी नहीं है कि एक डाक्टर को अमुक पीरियड के बाद रहना ही नहीं चाहिये। सरकार इस बारे में विचार कर रही है और इस समर वेकेशन्स में कुछ चेंजेज होंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : मैं व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन इस प्रश्न से मेरी सहानुभूति है। ऐसी कोई परम्परा होनी चाहिये जनतन्त्र के अन्दर कि कम से कम दस पंद्रह साल तक तो एक ही डाक्टर या एक ही आफिसर नहीं रहना चाहिये एक ही स्थान पर। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर विचार करेगी।

श्री हरिदेव जोशी : मैं आपके विचारों से सहमत हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार यह महसूस नहीं करती कि अभी जो नियम हैं जिनमें कोई भी अवधि मुकर्रर नहीं है कि एक ही जगह पर एक आदमी कितना समय रहना चाहिये, वह ठीक नहीं है, और क्या सरकार यह मुनासिब नहीं समझती कि इस प्रकार एक आदमी के साथ फेवरेटिज्म या अन्याय हो सकता है। एक मिनिमम और मैक्सीमम अवधि मुकर्रर करनी चाहिये। यह मामला केवल जोधपुर का ही नहीं है बल्कि और डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स का भी है।

श्री हरिदेव जोशी : जहां तक मिनिमम का सवाल है उसके लिये तो अवधि मुकर्रर कर रखी है कि दो साल से पहले किसी को ट्रांसफर नहीं किया जायगा अनलेस देयर इज एनी एमरजेन्सी, और उनमें भी हैड आफ दी डिपार्टमेंट को पहले सरकार से मन्जूरी लेनी होगी। लेकिन मैक्सिमम के लिए कुछ नहीं है। हम इसके बारे में विचार कर रहे हैं और समर वेकेशन्स के अन्दर कुछ ओवरहालिंग किया जायेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : रूरल एरियाज के लिये भी डाक्टर्स के लिए नियम

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
होना चाहिये कि कम से कम इतना अरसा रहना होगा।

श्री हरिदेव जोशी : वह लोग रूरल एरियाज में क्यों नहीं जाते यह माननीय सदस्य भली प्रकार से जानते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नियम बन जायें तो वह अपने आप जायेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : हम कितनी कोशिश करते हैं यह भी माननीय सदस्य को पता है

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप नियम बना दें कि प्राइवेट प्रेक्टिस बन्द कर दी जाये। इस सब की बुनियाद प्राईवेट प्रेक्टिस ही है।

श्री हरिदेव जोशी : जो नहीं, इसकी बुनियाद और कुछ ही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो कुछ भी बुनियाद है वह आप अच्छी प्रकार जानते होंगे और हम भी जानते हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहता। अगर आप रूल्स बनादें तो यह हल हो सकता है।

श्री हरिदेव जोशी : इसलिये मैंने कहा कि कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए और इस समर वेकेशन्स में कुछ चेन्जेज करेंगे। मैं आशा करता हूं कि इस बारे में सभी दिशाओं से सहकार मिलेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कोई भी सही कदम उठायेंगे तो सदन का समर्थन मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : क्या डाक्टरों के विषय में सरकार ने ऐसी पोलिसी बना रखी है कि इतने समय के बाद उसे होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रखा जायेगा। या उसकी नियुक्ति वहां नहीं की जायेगी?

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री मोहनलाल छंगाणी : अध्यक्ष महोदय जो सूची सदन की मेज पर रखी गयी है और जो सूची मेरे पास है उसमें फर्क। मैं यह चाहता हूं कि अब जो सूची बनाई जाय उसमें यह देखा जाना चाहिए कि कौनसा डाक्टर कितने समय से जोधपुर में है चाहे वह कालेज में है चाहे वह होस्पिटल में। इसलिए सूची बनाई जाय जिसमें यह बताया जाय कि वह लास्ट ट्रान्सफर होकर वहां कब गया यह नहीं बल्कि वह जोधपुर में कबसे है चाहे वह किसी पोस्ट पर था।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे इसकी पूरी जानकारी नहीं मैं इसको देख लूंगा और प्रयत्न करूंगा कि इसमें कोई ले कूना नहीं रखें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह एडहाकिज्म चाहे यह ट्रान्सफर के लिए हो, चाहे वह नियुक्ति के लिये हो, चाहे प्रोमोशन के लिए हो, चाहे प्राइवेट प्रेक्टिस के लिए क्या मन्त्री महोदय यह दृढ़ता से बताने को तैयार हैं कि अमुक समय के बाद यह समाप्त हो जायेगा ?

श्री हरिदेव जोशी : इस मामले को अभी आप सिर्फ ट्रान्सफर के विषय तक ही लिमिटेड रखें। यही मेरा अभी निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि जोधपुर में गत वर्ष कितने ट्रान्सफर हुए थे और कितने ट्रान्सफर कैन्सिल हो गए ?

श्री हरिदेव जोशी : यह अलग से प्रश्न है इसे आप अलग से पूछें कि कितने कैंसिल कर दिये गये।

श्री गुमानमल लोढ़ा : क्या ऐसा हुआ था पिछले साल किन्हीं विशिष्ट डाक्टरों के ट्रान्सफर हुए थे और चिकित्सा मन्त्रीजी ने यह कह दिया था कि आप दो विधान सभा सदस्यों से सिफारिश करा दीजिये तो आपके ट्रान्सफर्स कैन्सिल कर दूंगा।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो किसी भी माननीय सदस्य की सिफारिश मानने को तैयार हूं। चाहे गुमानमल जी लोढ़ा सिफारिश करें तो भी। मैं तो सभी की सिफारिश मानने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा।

कर्मचारियों को बकाया का भुगतान

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि सिंचाई विभाग के हजारों कर्मचारियों को नवीन वेतन शृंखला की बकाया व सालाना बढ़ोतरी की रकम का भुगतान समय पर नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसका भुगतान कब तक करा दिया जावेगा ?

(2) क्या यह सच है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने जनवरी, 65 से जनवरी, 1972 तक धारा 80 के सिविल पेनल कोड के अनेक नोटिस दिये हैं ? यदि हां, तो कितने तथा इनमें से सिंचाई उपखण्ड झालावाड़ के कितने मामलों का फैसला हो चुका है ?

(3) क्या सरकार जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण इन मामलों में विलम्ब हुआ है, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :

(1) जी नहीं, सिंचाई विभाग के केवल 126 कर्मचारियों को नवीन वेतन शृंखला की बकाया व सालाना बढ़ोतरी की रकम भुगतान अभी नहीं किया जा सका है। कर्मचारियों की सेवा पंजिका पूरी होने और स्थानान्तरण के समय एल.पी.सी. एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के विलम्ब के कारण ऐसा हुआ है। जल्दी से जल्दी इनका नवीन वेतन-शृंखला में निर्धारण करके भुगतान कर दिया जावेगा।

(2) जी हां, कुल पांच कर्मचारियों ने वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में 80 सी.पी.सी. के नोटिस दिये हैं ? इनमें से झालावाड़ उप खण्ड का एक मामला है। फैसला होना बाकी है।

(3)

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(3) इन मामलों में विलम्ब किसी अधिकारी विशेष की लापरवाही के कारण नहीं हुआ है इसलिये किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री गुरदयाल सिंह संधु (श्री करणपुर): क्या यह सही है कि श्री साधुसिंह की बकाया और उनके वेतन–शृंखला में वेतन–निर्धारण का मामला सन् 1951 से पेन्डिंग है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह अलग से प्रश्न है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस प्रकार से ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका अभी तक नवीन वेतन शृंखला में वेतन निर्धारण नहीं हुआ है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने निवेदन किया है ना कि 126।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह किसी वजह से है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने उत्तर दिया कि बहुतरों का एल. पी. सी. नहीं आने की वजह से, कईयों के सर्विस रेकार्ड पूरे उपलब्ध नहीं होने की वजह से नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट प्रश्न संख्या चार। श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : क्या ऐसे मामले भी है कि जिनका वेतन–निर्धारण 5–10–66 से नहीं हुआ है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : नवीन वेतन शृंखला 5–10–66 से लागू नहीं हुए हैं वह तो सन् 68 से लागू हुए हैं। और जिसके बारे में आप कह रहे हैं उनका तीन जगह ट्रान्सफर हुआ हैं पहले राणाप्रताप सागर थे फिर बाद में वह झालावाड़ गये और फिर बून्दी गये। तो इनका ट्रान्सफर जगह जगह होने की वजह से विलम्ब हुआ है। फिर भी उनका राणाप्रताप सागर से बिल बनाकर भेज दिया है और एक जगह के बिल जो इनका फाइनल बिल है वह ए. जी. को प्रिआडिट के लिये गया हुआ है वो वहां से आने पर भुगतान हो जायेगा।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : यह कब तक हो जायेगा?

श्री रामचन्द्र चौधरी : जल्दी हो जायेगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी (फलौदी) : अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत अनियमितता है कि किसी को सन् 66 से भुगतान नहीं हो बिल ट्रेजरी में और ए. जी. के पास ही प्रिआडिट के जाता रहे और वह तड़फता रहे। सन् 66 से चल कर 73 आ गया है। जल्दी कब तक हो जायेगा?

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने अर्ज किया ना कि बिल ए. जी. को प्रिआडिट के लिये गया हुआ है जल्दी हो जायेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर में बताया है कि 126 व्यक्तियों के वेतन–निर्धारण नहीं हुए है, आज 5–6 साल हो रहे हैं, नवीन वेतन-शृंखला भी सन् 68 से लागू हो गयी है इससे लोगों को परेशानी होती है लोगों में विलम्ब के कारण असन्तोष है। आखिर यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
कब तक हो जायेगा ? इन 126 का वेतन कब तक हो जायेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इन सभी का वेतन निर्धारण जल्दी कर दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री निरंजननाथ आचार्य। प्रश्न संख्या चार।

झामर कोटडा की रॉक फास्फेट की खानों का बीकानेर जिप्सम को ठेका

(4) श्री **निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि झामर कोटडा की रॉक फॉस्फेट की खानों में उत्खनन आदि का बीकानेर जिप्सम को जो एक करार के अनुसार ठेका दिया गया था लेकिन बीकानेर जिप्सम ने करार की कई शर्तों का पालन नहीं किया ? यदि हां, तो कृपया ऐसी शर्तों का विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) बीकानेर जिप्सम के विरुद्ध उपरोक्त शर्तों का पालन न किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

(श्री जुझारसिंह):

(1) जी हां जिन मुख्य शर्तों का पालन नहीं हो सका है उनकी प्रति संलग्न है।

(2) उपरोक्त शर्तों की पालना नहीं कर सकने पर राज्य सरकार द्वारा समय समय पर उत्पादन बढाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये और मलवा सही जगह पर नहीं डालने के लिये कुछ धनराशि का जुर्माना नहीं किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट सं. 2 देखें)

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : क्या यह सही है कि कुछ शर्तों का तो पालन हो गया है जैसा कि राज्य सरकार ने की है और कुछ का पालन नहीं हुआ है ? क्या राज्य सरकार उन शर्तों का पालन करने का दायित्व नहीं समझती है।

श्री **जुझारसिंह** : राज्य सरकार ने कुछ शर्तों का तो पालन कर दिया है जैसे डबल टार रोड माइनिंग साइड तक बनादी है दूसरे इलेक्ट्रिसिटी के लिये 33 के. वो. लाईन माइनिंग साइड तक बनादी है। तीसरे माईनिंग के साइड तक रेल्वे लाईन बनाने का वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। यह राज्य सरकार का दायित्व है जो पूरा नहीं हो सका है।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : इसमें राज्य सरकार के शेयर 50.04 प्रतिशत हैं क्या यह ठीक है ?

श्री **जुझारसिंह** : जी हां।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : ऐसी स्थिति में बहुमत जब कि राज्य सरकार का है तो मैनेजमेंट भी राज्य सरकार के पास होना चाहिये, जो कि नहीं है, अगर यह राज्य सरकार के पास मैनेजमेंट हो तो राज्य सरकार के हित में होगा••

श्री जुझारसिंह : राज्य सरकार के इसमें तीन डाइरेक्टर हैं अभी बोर्ड में जो राज्य सरकार के हितों का ध्यान रखते हैं।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं प्रश्नकर्ता हूं। मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब राज्य सरकार के बहुमत के शेयर हैं तो फिर उसमें आपके हाथ में उसका मैनेजमेन्ट क्यों नहीं है? आपके बोर्ड आफ डाइरेक्टर के हाथ में मैनेजमेन्ट होना चाहिये, क्योंकि बहुमत शेयर राज्य सरकार के हैं लेकिन उसका नियन्त्रण दूसरे बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के हाथ हैं। क्या राज्य सरकार इस नीति में कोई परिवर्तन करके अपना मैनेजिंग डाइरेक्टर रखने का विचार रखती है?

श्री जुझारसिंह : ऐसी बात नहीं है बोर्ड के दूसरे डाइरेक्टर्स के नियंत्रण में नहीं है। जहां तक मैनेजिंग डाइरेक्टर्स का प्रश्न है अभी तक यह प्रश्न विचाराधीन है। इसके अलावा बोर्ड के मामलों का प्रश्न है सभी बोर्ड के मेम्बर्स बैठकर बात करके फैसला करते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेरा सीधा सवाल है कि जब बहुमत आपके शेयर का है तो फिर उसका मैनेजमेंट दूसरे बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के हाथ में क्यों है राज्य सरकार के हाथ में उसका मैनेजमेंट क्यों नहीं है? अब राज्य सरकार क्या ऐसा विचार रखती है कि उसका मैनेजमेंन्ट राज्य सरकार के बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स के हाथ में हो?

श्री जुझारसिंह : यह प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार एग्रीमेंट किस प्रकार से हुआ कि जब राज्य सरकार के बहुमत शेयर हैं तो मैनेजमेंट राज्य सरकार के पास होना चाहिये, उस पर राज्य सरकार का नियंत्रण होना चाहिये। भारत सरकार की जॉइन्ट सेक्टर्स के लिये यह पॉलिसी है कि इसमें राज्य सरकार का नियंत्रण रहना चाहिये। इस प्रकार का मामला टाटाज ने जब मेमोरेण्डम दिया था और मांग की थी तब भारत सरकार ने उसे नहीं माना।

जॉइन्ट सेक्टर में यदि माइनोरिटी वाले के पास मैनेजमेन्ट हो तो भारत सरकार ने उस पॉलिसी को ठुकरा दिया है। खेद की बात है कि राजस्थान सरकार उसको लागू कर रही है। पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर से सरकार डोमीनेट करवा रही है···

श्री अध्यक्ष : यह आप तकरीर फर्मा रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भारत सरकार की नीति के खिलाफ आपने कदम उठाया है तो क्या भारत सरकार की इस सम्बन्ध में सहमति प्राप्त कर ली है?

श्री जुझारसिंह : राज्य सरकार भी भारत सरकार की उसी नीति का पालन करना चाहती है। इस सम्बन्ध में दो महीने पहले एक मीटिंग भी की थी। इस बात की भी कोशिश की है कि और शेयर बढ़ा कर इस कम्पनी को अपने हाथ में ले लिया

(श्री जुझारसिंह)
जायं। लेकिन जो मौजूदा मेनेजमेन्ट है उस ने बैंक से ऋण का प्रबन्ध किया हुआ है। सरकार की गारन्टी से प्राप्त होने वाला था उसमें डिस्टरबेंस हो सकता था, इसलिये इसको अक्टूबर, 1973 तक कमियों को पूरा करने के बारे में चान्स दिया है वरना आगे इस ओर कार्यवाही की जावेगी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आगे की कार्यवाही का मतलब क्या आप इस पक्ष में है कि इसके मैनेजमेन्ट को अपने हाथ में ले लें? तो क्या एक महीने में इसके मेनेजमेन्ट को समाप्त करके अपने हाथ में ले लिया जावेगा?

श्री जुझारसिंह : मैंने यह नहीं कहा कि एक महीने में मैनेजमेन्ट को हाथ में ले लिया जावेगा। आपने बताया कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। उसका कारण यह था कि मशीनरी वगैरा नहीं मिलने से प्रोडक्शन अचीव नहीं कर सके थे। कम्पनी के साथ दस साल का एग्रीमेन्ट है। इसके पहले उसको टरमीनेट करने के सम्बन्ध में यदि प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाता है तो कार्यवाही करेंगे। अक्टूबर, 73 तक उसको चान्स दिया है ताकि वह ओवर बर्डन को रिमूव कर सके।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप इधर-उधर चले गये हैं। मसला साफ है। बहुमत शेयर सरकार के हैं। जब मेजोरिटी शेयर हमारे हैं तो क्या सरकार इस बात को मानती है कि नेचुरली इसका मैनेजमेन्ट आपके हाथ में आना चाहिये? जिसको आप नहीं ले रहे हैं यह बड़े खेद का विषय है। इसके बावजूद भी जिन मामलात की कम्पलायेन्स नहीं करने की सूरत में सरकार को अपने हाथ में लेने के अधिकार हैं तो क्या आपने उसको नोटिस दिया है टरमिनेशन का?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रश्न इन्वॉल्व्ड हैं। एक तो कान्ट्रैक्ट का पूरा पालन नहीं करना और उसमें कमियां रह जाना। अवधि दी गयी है उसमें इसका पालन किया जाना चाहिये। दूसरा मुद्दा जो माननीय सदस्य ने उठाया है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। कुछ दिन पूर्व भारत सरकार और मुख्य मंत्रीजी के बीच इस सम्बन्ध में वार्ता हुई है और इस सम्बन्ध में जल्दी ही निर्णय कर दिया जावेगा यह मुझे मालूम हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेजोरिटी शेयर्स होने की सूरत में नेचुरली प्रबन्ध इसका गवर्नमेन्ट के हाथ में होना चाहिये। क्या आपने एग्रीमेन्ट में कोई इस प्रकार का किया है कि जिसमें माइनोरिटी शेयर वाले मेजोरिटी शेयर वाले के हाथ में प्रबन्ध न रहने देकर अपने हाथ में प्राइवेट सेक्टर वाले रखेंगे?

श्री जुझारसिंह : जिस समय एग्रीमेन्ट किया गया था मेजोरिटी शेयर वाले उनको फिक्वेन्टली लोन नहीं देते थे इसलिये यह अरेन्जमेन्ट किया गया। इसमें क्या हो और क्या न हो गवर्नमेन्ट आफ इन्डिया भी इन्ट्रेस्ट ले रही है, और हाइयेस्ट लेवल पर चर्चा हुई है कि इसके और शेयर्स ले लिये जायं

(श्री जुझारसिंह)
और इसको एक गवर्नमेन्ट कम्पनी बना दिया जाय, इसको गवर्नमेन्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत सेट अप किया जाय : यह गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया और सरकार के बीच में बातचीत चल रही है, और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया का इसके बारे में निर्णय का इस पर असर रहेगा इसलिये यह होने पर यहां भी उस सम्बन्ध में निर्णय ले लिया जावेगा।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : वेस्ट को डंप करने के लिये डंपिंग की साइट राज्य सरकार की सहमति से सिलेक्ट की गयी थी ?

श्री **जुझारसिंह** : हां।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : इसको आप फिर देख लीजिये। राज्य सरकार की सहमति से क्या डंपिंग साइट सिलेक्ट हुई थी ? और क्या राज्य सरकार ने यह असेसमेन्ट किया था कि जो वेस्ट वहां पर पड़ा हुआ है 36 लाख रुपया उसको हटाने में खर्च होगा अब ? यह असेसमेन्ट किया तो डंपिंग साइट राज्य सरकार की सहमति से हुई थी क्या ?

श्री **जुझारसिंह** : उसी में मैंने जवाब दिया था कि डंपिंग साइट जो सिलेक्ट की गयी थी उसमें कम्पनी को ओवर बर्डन डंप करना था। मशीनरी उसके पास नहीं होने से उस जगह ओवर बर्डन को डंप न करके दूसरी जगह कर रहे हैं। उसको हटाने का जिम्मा उन्हीं पर है। 26 लाख या 30 लाख की वैल्यू का उसको बताया। रांग स्थान पर डंप हुआ तो उसका असर राज्य सरकार पर आने वाला नहीं है। उन्हीं की कॉस्ट पर उसको डंप करेंगे नहीं तो उनके अमाउन्ट में से यह काट लिया जावेगा। इसमें राज्य सरकार को लॉस नहीं होने वाला है।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : आपकी सहमति से डंपिंग साइट सिलेक्ट नहीं हुआ यह आपके इस उत्तर से क्लियर हुआ। क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को सन् 72 तक 2 हजार टन प्रतिदिन का उत्पादन करने का विश्वास दिलाया था ?

श्री **जुझारसिंह** : जी हां, यह टर्म्स आफ एग्रीमेन्ट में है कि दो हजार टन डेली प्रोड्यूस करें। टाइम टु टाइम मीटिंग हुई है और प्रेक्टीकल डिफिकल्टी को देखते हुए रिवाइज्ड टार्गेट को मंजूर किया है। उसको भी पूरा नहीं कर सके। सारा प्रोडक्शन था वह मशीनरी की अवेलेबिलिटी पर था। बुलडोजर्स और डूंजर्स वगैरा जिनकी वजह से मलवा उठाया जा सकता था उसकी अवेलेबिलिटी पर यह कार्य कर सकते थे। उसको बार बार उन्होंने सामने रखा था इस लिये वे वहां पर काम पूरा नहीं कर सके।

श्री **निरंजन नाथ आचार्य** : एग्रीमेन्ट में फेल्योर के सम्बन्ध में टर्मिनेशन का भी प्रावधान है ?

श्री **अध्यक्ष** : Let us take next question, Mr. Acharya. We have taken ample time.

श्री मोहनलाल छंगाणी : माइनिंग जरनल निकलता है उसमें मि. सेठी का लेख था। उसमें उन्होंने लिखा था कि जिप्सम का प्रोडक्शन दस हजार टन तक पहुंच जाना चाहिये था, लेकिन दो हजार टन भी नहीं हुआ। यह उत्पादन टार्गेट पर नही पहुंचा इसके फेल्योर के क्या कारण हैं और राज्य सरकार ने इस ओर क्या कदम उठाये हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया (बूंदी): कौनसा कदम राज्य सरकार ने उठाया है?

श्री भानुकुमार शास्त्री : ओवर बर्डन उस पर डालने से यह प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। राज्य सरकार को उत्पादन का नुकसान हुआ। जिस बेड में रोक फॉस्फेट आया हुआ है और जहां से वह निकाला जा सकता है उसके ऊपर ओवर बर्डन पड़ा हुआ है। जब तक ओवर बर्डन नहीं हटेगा तब तक नीचे दबा हुआ मेटीरियल निकल नहीं सकेगा, और यही कारण है कि उत्पादन दो हजार टन प्रति दिन नहीं हो सका, और जब तक वह ओवर बर्डन नहीं हटेगा तब तक उत्पादन बढ़ नहीं सकता तो, यह किसकी नेग्लीजेन्स से ऐसा हुआ? इसके लिये कौन जिम्मेदार है? इससे सरकार को लाखों का घाटा हुआ है और लगातार होता जा रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस एग्रीमेन्ट में सब-कन्ट्राक्टर को नियुक्ति की गई है? क्या यह सब-कन्ट्राक्टर राज्य सरकार ने नियुक्त किया है?

श्री जुझारसिंह : जी नहीं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, अध्यक्ष महोदय।

श्री मोहनलाल छंगाणी नये सिरे से विचार हो रहा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : जो एग्रीमेन्ट के खिलाफ काम करता है उसके लिये पेनल्टी का काई प्रावधान एग्रीमेन्ट में है? आम तौर से सभी एग्रीमेन्टों में ऐसा प्रावधान हुआ करता है। अगर इसमें भी पेनल्टी है तो क्या वह पेनल्टी किसी पर लगाई गई, अगर नहीं लगाई गई तो क्यों, और अगर पेनल्टी का प्रावधान नहीं है, तो भी क्यों?

श्री जुझारसिंह : एग्रीमेन्ट में क्या है, इसका अभी निवेदन मैं नहीं कर सकता। पर यह सही है कि ओवर बर्डन जिस जगह डालना चाहिये था वह उस जगह सेसी ने नहीं डाला, और इसकी वजह से निश्चित रूप से प्रोडक्शन में कमी आई है। इस बात को राज्य सरकार मानती है, और पार्टी को मजबूर भी किया है। पेमेन्ट में डिडक्शन भी हुआ है। आगे पाबन्द भी किया है सरकार ने कि जितना ओवर बर्डन गलत जगह पर उन्होंने डाला है उसे अक्टूबर, 73 तक क्लीयर कर दें ताकि आगे का प्रोडक्शन नहीं रुका रहे।

प्रश्न सं. 5

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

प्रश्न सं. 6

श्री शंकरलाल जाट।

एनीकट और शौचालय के लिए दी गई राशि

6. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति, छोटी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा विभिन्न पंचायतों को एनीकट और शौचालय के लिये अनुदान व ऋण दिया गया था? यदि हां, तो किस किस ग्राम पंचायत को दिया गया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिन ग्राम पंचायतों को शौचालय और एनीकट के लिये अनुदान दिया गया वह अभी तक खर्च नहीं किया गया है? यदि हां तो कौन कौन सी ग्राम पंचायतों में?

(3) क्या यह सही है कि जो अनुदान की राशि एनीकट और शौचालय के लिये दी गई है वह राशि न तो किसी पोस्ट आफिस में जमा है न किसी बैंक में ही जमा है? यदि हां, तो वह राशि कहां है?

पंचायत मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय इस प्रश्न को स्थगित किया जाय।

श्री **अध्यक्ष** : स्थगित किया गया।

श्री **अध्यक्ष** : श्री अजीतसिंह।

टोंक जिले में पटवारियों की पदोन्नति

7. श्री **अजीतसिंह** (टोंक) : क्या राजस्थान सरकार के राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) जिला टोंक के पटवारियों की वरिष्ठता सूची, 1972 की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) जिला टोंक में 1972 में किस किस पटवारी को गिरदावर के पद पर पदोन्नत किया गया है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला टोंक में अब कितने स्थान गिरदावर पद के खाली हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) : (1) टोंक जिले की सन् 1972 की पटवारियान की प्रोवीजनल वरिष्ठता सूची परिशिष्ट 'क' में संलग्न है।

(2) सन् 1972 में परिशिष्ट 'ख' में अंकित पटवारियों को गिरदावर के पद पर पदोन्नत किया गया था?

(3) जिला टोंक में इस समय कोई स्थान गिरदावर का खाली नहीं है। (सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री **अजीतसिंह** : कोई और भी अनियमित प्रोमोशन हुआ है? शेरखां नामक व्यक्ति की जो 19 नम्बर पर है को छोड़कर 20 वें नम्बर वाले को प्रोमोशन किया गया है? यह क्यों और कैसे?

श्री **रामचन्द्र चौधरी** : इसकी छः साल में से तीन साल की सी.आर. खराब है। इसलिये इसे सुपरसीड किया गया है।

वैद्यों को निजी धन्धा (प्राईवेट प्रेक्टिस) करने के लिये सरकारी सहायता

8. श्री **मीठालाल** (लालसोट) : क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि राज्य सरकार बेरोजगार वैद्यों को डॉक्टरों की भांति

(श्री मीठालाल)
निजी धन्धा (प्राइवेट प्रेक्टिस) करने के लिये सरकारी सहायता देने की योजना के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्यमंत्री, आयुर्वेद (श्री जुझारसिंह): जी हां। ब्यौरा अभी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री मीठालाल : अन्तिम निर्णय कब तक कर लेंगे ?

श्री जुझारसिंह : अभी यह पता लगा रहे हैं कि कितने वैद्य ऐसे होंगे और फिर कितना फण्ड हमें इसके लिये अवेलेबल हो सकेगा, इस पर सब निर्भर करेगा। यह काम हम जल्दी ही कर रहे हैं।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : कितने राज्य भर में बेरोजगार हैं ?

श्री **जुझारसिंह** : अभी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अभी एग्जेक्ट फीगर अवेलेबल नहीं है। और निवेदन करूं कि अभी रूरल मेडिकल प्रेक्टिशनर्स की स्कीम चल रही है, भारत सरकार के अन्तर्गत यह विचाराधीन है। इसमें डॉक्टरों के साथ वैद्यों को भी गांवों में भेजने का प्रावधान होगा।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है।

क्या सरकार स्वीकार करती है कि वैद्य भी डाक्टरों की तरह बेरोजगार हैं ?

श्री **हरिदेव जोशी** : जी हां। जब पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देंगे तब इस बात को भी ध्यान में रखेंगे।

श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** : जिस तरह की सहूलियत आप डॉक्टरों को देते हैं वैसी ही वैद्यों को देने को तैयार हैं ?

श्री **राजेन्द्रकुमार भारतीय** : वैद्यों की संख्या भी बतावें।

श्री **अध्यक्ष**: नेक्स्ट। श्री हरलाल मीणा।

प्रतापगढ़ राजपुरिया सड़क

9. श्री **हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ से राजपुरिया रोड पर बहुत बड़े–बड़े खड्डे पड़ चुके हैं तथा सड़क बहुत खराब हो गई है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उक्त रोड़ को चौड़ी करने की योजना है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक चालू किया जावेगा ?

(3) क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क कम चौड़ी होने व वहां काली मिट्टी के होने से एक दूसरी गाड़ी के क्रास करने में वर्षा काल में फंस जाती है, जिससे बस व ट्रक मालिकों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (1) जी नहीं। सड़क के कुछ किलोमीटर में कुछ छोटे छोटे खड्डे जरूर हैं, उनको मरम्मत करवाई जा रही है।

(2) ऐसी कोई योजना स्वीकृत नहीं है।

(श्री हरिदेव जोशी)

(3) जी हां, यह सत्य है कि सड़क सिंगल लेन 10 फीट विड्थ होने की वजह से बरसात में पटरी की काली मिट्टी के कारण ट्रैफिक को क्रास करने में कुछ असुविधा होती है।

श्री अध्यक्ष : नम्बर 10।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दस नम्बर कब से ?

हरसोरा बान्ध की मरम्मत

10. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : यह तो आपको मिलना चाहिए था।

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले का हरसोरा बांध करीब आठ दस वर्ष पहले टूट गया था और इसको बन्वाने के लिए करीब करीब 3 साल से बजट में भी स्वीकृति दी गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि इस साल भी इस बांध को बन्धाने की स्वीकृति नहीं दी गई है और अभी तक मरम्मत का काम चालू नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने करीब तीन लाख रुपये की कीमत का सामान इस बान्ध के लिए खरीदा था मगर उसका अभी तक कोई उपयोग भी नहीं किया गया है।

(4) सरकार कब तक इस बांध के बनाने की स्वीकृति प्रदान करके मरम्मत का काम चालू करावेगी ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी) :

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) यह कार्य इसी वित्तीय वर्ष में चालू कर दिया जावेगा।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह काम सात आठ साल से अधूरा पड़ा है। 3 साल से बजट प्रावधान मौजूद है। अभी तक काम चालू नहीं हुआ। फरवरी का महीना खतम होने जा रहा है। सैंक्शन इश्यू हो गई है क्या ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : सैंक्शन इश्यू हो रही है। इस पर अब तक सरकार ने 250 हजार खर्च किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्री महोदय को जानकारी है कि इस कान्स्टीट्यूएन्सी में पोलिटिकल प्रेशर भी चैन्ज हो गया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : बजट प्रोविजन भी हो जाता है पर इस विभाग के इन्जीनियर उसे खर्च तक करने में समर्थ नहीं है। मैं जानना चाहूंगा कि बांध वगैरह अधूरे पड़े हैं। मरम्मत तक पुरानों की नहीं हो पा रही है। इस बारे में सरकार कब तक इनको पूरा करवा देगी ? एक तरफ धनराशि होते हुए भी काम पूरे नहीं हो रहे

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

हैं और दूसरी तरफ धनाभाव के कारण सरकार काम नहीं करवा पा रही है ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस पर काम शुरू करा चुके हैं। इसी एक बांध पर जैसा पहले अर्ज किया पहले भी 70-71 में 280 हजार खर्च कर चुके हैं। वैरी टेकनिकल चीजें सामने आती हैं तब हो जाता हैं।

इससे पेटा काश्त हो सकेगी या नहीं इसकी जांच कर रहे हैं। वैसे इस महीने में इस पर काम शुरू कर देंगे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पिछली बार बजट सेशन के अवसर पर इसी मुद्दे पर मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन भी दिया था। उस पर सरकार ने कहा भी था कि इस पर अब तक 3?6 हजार रुपया व्यय किया जा चुका है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, प्रसव पीड़ा हो रही है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो गेट बनने थे वे तो बन चुके हैं और आपने बताया तीन लाख 70 हजार खर्च हो चुके। आप बताइये कब शुरू होगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने बताया इसी महीने शुरू कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है सरकार के द्वारा गलत इनफारमेशन देना एक बहुत बुरी परम्परा है और मैं तो कहूंगा इस तरह फ्राड करना ठीक नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डालेंगे कि सरकार की तरफ से इस तरह की गलत इनफारमेशन दी जाती है तो सरकार गुनाहगार है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसमें फ्राड की क्या बात थी, मैं नहीं समझा।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : झूठ बोलना मंत्री महोदय की आदत है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह तो आपकी राय है सदन जानता है झूठ कौन बोलता है ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 11।

संजीवन क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा किसानों से हेमाली की वसूली

11. **श्री गिरधारी लाल** (हवामहल, जयपुर) : क्या सहकारिता मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया ने सन् 1971-72 में संजीवन क्रय विक्रय सहकारी समिति, फतहनगर को अपना एजेन्ट बनाकर 27 हजार बोरी गेहूं का क्रय किया ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त समिति ने उक्त खरीद के अवसर पर किसानों से हेमाली के नाम पर प्रत्येक बोरी पर 50 पैसा वसूल किये ? यदि हां, तो उक्त रकम कितनी वसूल की गई और कहां जमा हुई ?

(3) क्या सरकार इस सारे घोटाले की जांच करा कर वास्तविकता से सदन को अवगत करायेगी ?

राज्य मंत्री, सहकारिता (श्री जुझारसिंह):

(1) जी हां। सन् 71-72 में फूड कारपोरेशन ग्राफ इण्डिया ने संजीवन क्रय विक्रय सहकारी समिति लि. फतहनगर को अपना ऐजेन्ट बनाकर 21,658 बोरी गेहूं क्रय किया।

(2) जी नहीं।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : 75 पैसे प्रति बोरी किसान से वसूल की गई है। और जिसका 22 हजार पांच सौ रुपया समिति ने अपने यहां जमा नहीं किया है और इस पैसे को हजम कर लिया।

श्री जुझारसिंह : मैंने जो जवाब दिया वह जी नहीं में है कि पैसा वसूल नहीं किया गया है। जितना पैसा जमा हुआ है. आपके पास कोई दूसरी सूचना है तो जांच करवा ली जायेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: 75 पैसे प्रति बोरी के हिसाब से 22 हजार 500 रुपया समिति ने अपने रेकार्ड में नहीं बताये और व्यवस्थापक ने हड़प कर लिये।

श्री जुझार सिंह : जो सूचना मुझे दी गई है उसमें कोई 50 पैसे या 75 पैसे वसूल नहीं किये गये हैं। यदि आप यह फरमाते हैं तो कोई प्रमाण दे दीजिये, मैं जांच करवा लूंगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे पास प्रमाण मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : दूसरे, अध्यक्ष महोदय, समिति ने कहा है कि 50 प्रतिशत गेहूं किसानों से खरीदा गया है और 40 प्रतिशत गेहूं व्यापारियों से खरीद लिया और लाखों रुपया वाला बाला वसूल कर लिया। क्या आपको इसकी पूरी जानकारी है?

श्री जुझार सिंह : जी नहीं है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या आपकी जानकारी में फूड कारपोरेशन ने अलग से कमीशन लिया है।

श्री जुझार सिंह : जी हां, लिया है। फूड कारपोरेशन ग्राफ इंडिया ने कमीशन के रूप में जो पैसा मिला है वह लिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अलग से।

श्री जुझारसिंह : इसके बारे में तो मैंने पहले ही प्रश्न में ना जवाब दिया है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : क्या आप मुझे आश्वस्त करेंगे कि समिति का पूरा रेकार्ड जब्त करके विजिलेन्स कमीशन से एक सप्ताह में जांच कराने को तैयार हैं। मैं एक निवेदन और करूंगा और मेरे पास सप्रमाण मौजूद हैं।

श्री अध्यक्ष : आप दे दीजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक सप्ताह में क्या रिपोर्ट आ जायगी विजिलेन्स कमीशन की। क्या ऐसा आश्वासन दे सकते हैं।

श्री जुझारसिंह : मैं तो यह कह सकता हूं कि किसी आदमी को अननेसेसरी वे में प्रोटेक्शन नहीं किया जायेगा और जांच करवा ली जायगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी मांग है समिति में यह भयंकर घोटाला हुआ है। सारे बही खाते नकली हैं। 22 हजार 500 रुपया फूड कारपोरेशन ने अलग से कमीशन

(श्री गिरधारी लाल भार्गव)

का वसूल किया है। बड़ा भारी घोटाला है। रेकार्ड में कहीं इसका इन्द्राज नहीं है। व्यवस्थापक और अध्यक्ष मिलकर पैसे को हजम कर ले गये हैं और सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है। मेरा निवेदन है कि मंत्री महोदय से 1 सप्ताह में विजिलेन्स कमीशन से जो किसान की सूची है वह जब्त करें। ऐसा मंत्री महोदय आश्वासन दें।

श्री जुझार सिंह: विजिलेन्स कमीशन में तो आपको भी जाने की आजादी है। आपको रोकता कौन है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: यह सरकार भ्रष्टाचार को रोकना नहीं चाहती है क्यों नहीं एक सप्ताह में आप विजिलेन्स कमीशन से जांच करवा लेते हैं। आप तो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

श्री जुझार सिंह: शायद आप विजिलेन्स कमीशन में जाना ही नहीं चाहते हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: अध्यक्ष महोदय, को कहने में कौनसी हिचक है कि एक सप्ताह में विजिलेन्स कमीशन से जांच करवा लें...

श्री जुझार सिंह: मैंने कब कहा कि मुझे हिचक है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आप तो भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं।

श्री अध्यक्ष: Next question is taken now.

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आप मुझे आश्वासन नहीं दे रहे हैं। काफी घोटाला है।

श्री जुझारसिंह: फूड कारपोरेशन के सामने आप भी जा सकते हैं। आपको भी अधिकार है।

प्रश्न संख्या 12

श्री अध्यक्ष: नेक्सट। श्री रावतराम।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री लूणाराम।

चूरू जिले की विभिन्न अदालतों में राजस्व के विचाराधीन मुकदमात।

13. **श्री लूणाराम** (डूंगरगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) क्या यह सही है चूरू जिले की विभिन्न अदालतों में राजस्व के करीबन चार हजार मामले विचाराधीन पड़े हैं? यदि हां, तो आज तक उनका फैसला नहीं होने का क्या कारण है? तथा बकाया मामलों का कितने अर्से में फैसला कर दिया जावेगा।

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): इस समय चूरू जिले की विभिन्न अदालतों में 3296 राजस्व मुकदमात बकाया हैं। लगभग 15 मुकदमें समय पर सबूत पेश नहीं होने के कारण फैसल नहीं हो सके। इसके अलावा राजस्व अधिकारियों को विधान सभा निर्वाचन, अग्नि परीक्षा पुस्तक आन्दोलन तथा बीकानेर विश्वविद्यालय आन्दोलन के सिलसिले में महीनों तक व्यस्त रहना पड़ा अतः मुकदमात के निर्णय होने में देरी हुई है। दिसम्बर, 1973 तक अधिक से अधिक मुकदमात के निर्णय करने की कोशिश की जावेगी।

श्री लूणा राम: अध्यक्ष महोदय तीन हजार से अधिक मुकदमें बताये हैं तो उनसे

(श्री लूणाराम)
सम्बन्धित कितने आसामियों को परेशान होना पड़ता है, यह सोचनीय बात है। आन्दोलन जैसी चीज इस आजादी में रहेगी पर इस सरकार से मुकदमें से बार बार तंग आते रहेंगे। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस बारे में कोई विशेष अधिकारी को अधिकार देकर इन मुकदमों को निपटावें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जिले में तीन सब डिविजन हैं बाकी की सब तहसीलें है। तहसीलों में तो कोई बकाया नहीं है। सब डिविजन्स में असिसटेन्ट कलक्टर और एस.डी.ओ. उनके इन्टरिम आर्डर की भी अपील होती है जो अदालतों में अपील कर देते हैं, उनसे बकाया रहते हैं। जो मुकदमें रिमाण्ड हो जायं उसको उसी नम्बर पर वापिस करें, उस रूप में आ गये हैं। वैसे इस साल में कई किस्म के ऐजीटेशन चलते रहे, फेमीन का काम चल रहा है। एस.डी.ओ. और तहसीलदारों को फुर्सत नहीं मिलती है फिर भी कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निपटाये जायं।

श्री लूणा राम : अध्यक्ष महोदय सारे चूरू जिले में तीन सब डिविजन हैं और तीन एस.डी.ओ. को गांव गांव में घूमना पड़ता है। क्या ऐसे मुकदमों को दूसरे अधिकारी लगाकर सुनटाये जायं तो उचित नहीं रहेगा ?

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस पर विचार किया जायगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय फैमिन का काम, ऐजीटेशन का काम ये तो चलते रहेंगे। रेवैन्यू कोर्ट में रेवैन्यू आफिसर्स की ड्यूटी होती है। यह केवल चूरू जिले का ही प्रश्न नहीं है। सारे राजस्थान का प्रश्न है। आपने केसेज निपटाने के लिये एस.डी. ओज. को पावर्स दे रखी हैं। इनको गांवों में दौरा करना पड़ता है और इसके अलावा भी 10 तरह के काम करने पड़ते हैं। रेवैन्यू केसेज सफर करते हैं और पार्टी सफर करती है। मैं यह पूछना चाहता हूं क्या राज्य सरकार यह विचार कर रही है या ऐसा कोई विचार रखती है जो एस.डी.ओज.और कलेक्टर की ड्यूटीज हैं उनसे अलग हटकर ज्योरली एक अलग कोर्ट कायम कर दी जाय और काम···

श्री रामचन्द्र चौधरी : यह सवाल टीनेन्सी बिल में विचाराधीन है और आपके सबके सामने आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट : श्री योगेन्द्र नाथ हांडा।

श्री लूणाराम : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन और है क्या राज्य सरकार ने सरक्यूलर के अन्तर्गत किसानों की काबिज जमीन होने पर उनको हक दिये जायेंगे। क्या इनको अनिवार्य रूप से और सरलता से निपटा सकते हैं···

श्री रामचन्द्र चौधरी : इसके बारे में 69 तक जितने अवैध कब्जे थे उनको खातेदारी हक कर दिये गये हैं। 10 साल में खातेदारी हक मिलते हैं और ढाई गुनी रकम के हिसाब से रकम दाखिल करने के लिये···

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्र नाथ हांडा।

प्रश्न संख्या 14।

(माननीय सदस्यों के बोलते रहने पर)

(श्री अध्यक्ष)

और भी सवाल बाकी हैं। नेक्स्ट प्रश्न ले लिया गया है।

डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी की बैठक

14. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) मेडिकल डिपार्टमेंट सर्विस रूल्स, 1963 के नियम 9 के तहत डिपार्टमेन्ट प्रमोशन कमेटी की मीटिंग 1963 से आज तक कितनी बार बुलाई गई।

(2) क्या उपरोक्त रूल्स के तहत जो डाक्टर कालेज ब्रांच में थे वे मेडिकल ब्रांच में नहीं आ सकते थे? क्या यह सही है कि इन रूल्स के विरुद्ध अनेकों डाक्टर कालेज ब्रांच से मेडिकल ब्रांच में लिए गये? यदि हां, तो उनके नाम रूल्स लागू होने की तिथि से रूल्स संशोधित होने की तिथि तक के बतायें तथा नियमों के विरुद्ध इन डाक्टरों पर विशेष कृपा किये जाने का कारण भी बतायें?

(3) सन् 1971 में उपरोक्त नियम संशोधित होने के बाद कालेज ब्रांच से मेडिकल ब्रांच में कितने डाक्टर आये कृपया नाम बतायें। क्या मौजूदा डाइरेक्टर हैल्थ एण्ड मेडिसन भी उनमें से एक हैं? क्या यह सही है कि मौजूदा डाइरेक्टर हैल्थ एण्ड मेडिसन एम.आर.पी.सी., लन्दन से पास है जब कि मौजूदा हैड आफ दी डिपार्टमेंट केवल एम.डी. हैं तथा जूनियर है? यदि हां, तो इस गलत नियुक्ति का क्या कारण है?

(4) क्या डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी की मिटिंग इसी वर्ष में हुई है? यदि हां, तो उसमें किस किस डाक्टर को तरक्की दी गई है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा मंत्री (श्री हरिदेव जोशी): (1) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम 24 के अन्तर्गत न कि 9 के तहत डिपार्टमेन्टल प्रोमोशन कमेटी 1963 आज तक निम्नलिखित वर्षों में बुलाई गई।

1. 1967
2. 1969
3. 1973

(2) (i) जी हां।

(ii) जी नहीं।

(iii) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) (i) केवल एक। डाक्टर पी. डी. माथुर।

(ii) जी हां।

(iii) मौजूदा डाइरेक्टर एम. आर. सी. पी. व एफ. आर.सी.पी. व एम.डी. है।

(iv) मौजूदा हैड आफ दी डिपार्टमेन्ट केवल डाईरेक्टर ही हैं और उनका जूनियर होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: इस रूल के तहत इस कमेटी की मीटिंग हर वर्ष बुलाई जानी चाहिये थी क्या यह सही है?

श्री हरिदेव जोशी: जी हां।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: तो फिर केवल सन् 63 के बाद आज 73 चल रहा है 10

Page No 21

(21)

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

वर्षों में केवल 3 बार ही क्यों बुलाई गई? 10 बार से कम क्यों बुलाई गई? इतनी कम क्यों बुलाई गई और हर साल क्यों नहीं बुलाई?

श्री हरिदेव जोशी : कई दिक्कतों के कारण ऐसा सम्भव नहीं हुआ। मगर माननीय सदस्य इस चीज को एप्रीशियेट करेंगे कि इतने बड़े डिपार्टमेन्ट की डी. पी. सी. आम तौर पर अध्यक्ष महोदय यह महसूस करते थे कि नहीं हो सकेगी और वह इस वर्ष कर दी गयी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक साल कोई कठिनाई हो जाती, दो साल कोई कठिनाई हो जाती, लेकिन यहां तो सालों के साल गायब हैं?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो माननीय सदस्य बधाई देंगे कि यह कर दिया गया है जो कि आज तक नहीं हुआ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपके ही राज्य में यह फैसला हो गया लेकिन इस निगलीजेन्स के लिए जो जिम्मेदार हैं इसके लिए किस को जिम्मेदार ठहराते हैं? उनके विरुद्ध कोई एक्शन लिया है? इतने प्रमोशन किये जाते रहे हैं और हर प्रकार के गलत प्रमोशन किये जाते रहे हैं, फिक्सेशन गलत किये जाते रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को भी शायद विदित होगा मगर मैं ऐसा समझता हूं कि इस डी.पी.सी. के बाद 'बाई एण्ड लार्ज' मेडिकल डिपार्टमेंट का सेट-अप ठीक हुआ है और पहले जो असन्तोष सर्विसेस में था वह खतम हुआ है और एक रेगुलर वे में उसका काम शुरू हुआ है।

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : नहीं साहब, अभी तो इसके बहुत पार्ट बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष : साथ में सवाल भी बाकी हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत इम्पारटेन्ट सवाल है यह एड-हाक बेसिज कब तक चलेगा? डी. पी. सी. की मिटिंग के बिना जो प्रमोशन्स होते रहे हैं आप कहते हैं कि उनमें कोई अनियमिततायें नहीं हुई हैं और मैं कहता हूं कि उसमें सैकड़ों अनियमिततायें हुई हैं। उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

श्री हरिदेव जोशी : राज्य सरकार।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या राज्य सरकार.....

श्री अध्यक्ष : खतम हो गया। इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं आप?

प्रश्न संख्या 15

श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 16

श्री सुखलाल।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 17

श्री भरतलाल।

(अनुपस्थित; कृपया आगे देखिये)

श्री प्रद्युम्न सिंह : कोई लाल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माई के लाल तो हैं।

श्री जोथिग ।

कुशलगढ़ रेन्ज में भूमि पर अनधिकृत कब्जा

18. **श्री जोथिग** (कुशलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बांसवाड़ा रैन्ज कुशलगढ़, डुंगरा छोटा शेरगढ़ क्षेत्र के आदिवासी भूमिहीन किसानों ने वन भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर काश्त कर ली है ? यदि हां, तो कितने किसानों ने कब से कितनी एकड़ भूमि पर कब्जा किया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विभाग ने अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध धारा 32 फॉरेस्ट एक्ट के तहत अदालत में चालान किये हैं ? यदि हां, तो यह चालान कब कितने किसानों के नाम किये हैं ? सूची नामवार व तारीख सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिस वन भूमि पर वर्षों से वन उत्पादन नहीं हो रहा है ऐसी भूमि को कृषि विभाग में परिवर्तन करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना अभी नहीं आई है इसलिये मैंने निवेदन किया है कि इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री गुरदयालसिंह संधु ।

जिला गंगानगर के कृषकों से रक्षा कोष में वसूल की गई राशि

19. **श्री गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) क्या यह सही है कि सन 1971-72 में जिला गंगानगर के काश्तकारों से एक रुपया प्रति बीघा के हिसाब से रक्षा कोष वसूल किया गया था ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि वसूल की गई थी ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(ख) क्या उक्त धनराशि की उन्हें रसीद भी दी गयी थी ? यदि नहीं, तो उन्हें रसीद कब तक दे दी जावेगी ? तथा उक्त राशि का किस प्रकार उपयोग किया गया ?

राजस्व मंत्री (श्री रामचन्द्र चौधरी): (क) जी नहीं। रक्षा कोष में सभी वर्ग के लोगों ने धन दिया था। कुल धनराशि 12,00,480.71 वसूल हुए।

(ख) उक्त कोष में प्राप्त राशि की रसीदें सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जारी की गयी थीं इसका उपयोग निम्न प्रकार किया गया :—

(1) सेना द्वारा विजित टैंकों को रखने के लिए प्लेटफार्म बनवाने हेतु उपयोग की गई राशि 17,000 रु.।

(2) मुख्य मन्त्री महोदय द्वारा ब्रिगेडियर कमाण्डर को 51 इन्डेप पैरा ब्रिगेडर गंगानगर की मैस के लिए भेंट की गई राशि 30,000 रु. शेष राशि मुख्य मन्त्री कार्यालय को ड्राफ्ट द्वारा भेजी जा चुकी है।

श्री गुरदयाल सिंह संधु : यह बिलकुल गलत है कि उसकी रसीदें दी गई हैं। मैं यह कहूंगा कि मेरे क्षेत्र में किसी एक व्यक्ति को भी रसीद नहीं दी गयी है और मैं चाहूंगा कि उनको रसीदें दिलाई जायें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : इस प्रकार की कोई बात बतायेंगे तो जानकारी कर ली जायेगी।

श्री गुरदयालसिंह संधु : मैं पदमपुर और करनपुर का जिक्र कर रहा हूं। मैं कहूंगा कि गंगानगर में भी हुआ, रायसिंहनगर में भी हुआ और चार पांच तहसीलों में किसी में भी रसीदें नहीं दी गयीं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : जो रसीदें दी जा चुकी हैं उसके लिए मैंने अर्ज कर दिया और जो नहीं दी गयी हैं उसके लिए यदि आप बता देंगे तो इन्क्वायरी करा लेंगे।

श्री गुरदयालसिंह संधु : 36 लाख रु. वसूल किया गया जिसकी रसीदें नहीं दी गयी हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय····

श्री गुरदयालसिंह संधु : और मैं यह अर्ज करूंगा कि उनको रसीदें मिल जानी चाहिए। मैंने पिछले बजट सेशन में भी इस पाइन्ट को उठाया था और यह सन् 1971 और 72 में वसूल की गयी रकम है।

श्री रामचन्द्र चौधरी : धनराशि इकट्ठी की गयी उसका ब्यौरा दे दिया गया। इतना ज्यादा एग्जोगरेट करने से फायदा नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस अकाउन्ट का किसी लेवल पर आडिट कराया गया?

श्री गुरदयालसिंह संधु : यह जो एलोगेशन लगाया जा रहा है कि वह रकम कांग्रेस ने अपने इलेक्शन में खर्च की तो इसके लिए मैं यह अर्ज करूंगा कि जब तक पूरी रसीदें नहीं दी जातीं उस समय तक इस बात का निर्णय नहीं हो सकेगा।

श्री रामचन्द्र चौधरी : गलत बात है। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री दलपतसिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि रसीद देने का क्या तरीका है? इन्डीविजुअल को दी जाती हैं या चन्दा इकट्ठा करके लाते हैं उनको एक रसीद दी जाती है?

श्री रामचन्द्र चौधरी : कोई इन्डीविजुअल पैसा देता है तो इन्डीविजुअल रसीद दी जाती है और गांव से देते हैं तो उसकी एक रसीद दी जाती है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : क्या राज्य सरकार जांच करायेगी कि जिन तहसीलों की शिकायत आती हैं उनकी एप्लीकेशन ले ली जाये और वह कहते हैं तो उनको रसीदें दे दी जायें।

श्री रामचन्द्र चौधरी : आप ऐसी दरख्वास्त देंगे तो जांच करा ली जायेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपकी जानकारी में है कि जैसा आपने कहा कि एक रुपया प्रति बीघा के हिसाब से वसूल नहीं किया गया है तो कई पंचायतों के, कई पंचायत समितियों के, कई तहसीलदारों के और कई एस. डी. ओ. के बाकायदा लोगों ने उन लोगों की डिफेन्स कमेटी में बुलाया और रेज्योल्यूशन है कि एक रुपया प्रति बीघा के हिसाब से वसूल किया जाये और आप इसको सफा इन्कार कर रहे हैं कि एक रुपया के हिसाब से नहीं लिया गया?

श्री रामचन्द्र चौधरी : रेज्योल्यूशन आप पेश करेंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जी हां, वह है। डिफेन्स कमेटी के मिनिट्स तो नहीं रखे जाते। अध्यक्ष महोदय खुद मौजूद थे।

श्री श्रीराम गोटेवाला : खाली रेज्यो-ल्यूशन पास करने से वसूल नहीं हुआ। जितनी वसूली हुई जांच तो उसी की होगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं झूठ बोलने की आदत को सामने ला रहा हूं।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महो-दय, माननीय मंत्री महोदय यह प्रश्न दूसरे कोष का नहीं है, प्रश्न है रक्षा कोष का। और रक्षा कोष के सम्बन्ध में कोई आरोप आता है तो इसका सारे राष्ट्र के ऊपर असर पड़ता है। जब माननीय सदस्य ने आपसे दरख्वास्त की कि ऐसी स्थिति हुई है तो आपका कर्तव्य है कि आप अपने स्तर से इसकी जानकारी और जांच करालें बजाय इसके कि कोई आपको जानकारी दे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : मैंने कहा कि इसकी जांच करा ली जायेगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

सरकारी कार्य में हिन्दी भाषा का उपयोग

5. श्री **वृद्धिचंद जैन** (बाड़मेर) : क्या भाषा विभाग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार ने किस तिथि से सरकारी कार्य हिन्दी भाषा में किये जाने की घोषणा की थी ?

(2) उक्त घोषणा के पश्चात् हिन्दी भाषा को सरकारी कामकाज में उपयोग में लाने के लिए राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाये ?

(3) क्या राज्य सरकार की जानकारी में है कि अंग्रेजी जानने वाले मंत्री, अधि-कारी और कर्मचारी जो हिन्दी अच्छी तरह जानते हैं वे अधिकतर अंग्रेजी भाषा को सरकारी कार्यालयों में प्रयोग करते हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार उन्हें हिन्दी में सम्पूर्ण कार्य करने के लिये कब तक अनि-वार्य रूप से बाध्य करेगी ?

उत्तर

(1) 26-1-68 से अहिन्दी भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपवादस्वरूप कुछ छूटें दी गई थीं।

(2) उक्त नीति के अनुसार विविध योजनाओं द्वारा राजभाषा के प्रयोग अनि-वार्यता की कार्यवाही की गई। उदाहरणार्थ राज-पत्र में समस्त सामग्री अनिवार्यतः हिन्दी में भेजे जाने के आदेश, सरकारी विज्ञापनों में केवल हिन्दी का प्रयोग, राज्य सेवा के लिये हिन्दी ज्ञान की अनिवार्यता, लिपिक वर्गीय सेवा की कुछ श्रेणियों के लिये हिन्दी टंकण जानने की अनिवार्यता आदि कदम उठाये गये। हिन्दीकरण हेतु साधन सुवि-धायें उपलब्ध कराई गई, उदाहरणार्थ हिन्दी टंकण यन्त्र, हिन्दी टंकण, शीघ्रलिपिक, शब्दावलियां आदि।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(3) सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि राज्य कार्य हिन्दी में किया जाए।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

चूरू–नागौर बस के परमिट

12. **श्री रावतराम** (छापर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार चूरू से नागौर वाया रतनगढ़ छापर कातर लालगढ़ बस सर्विस के लिए परमिट जारी करना उचित नहीं समझती ? यदि उचित समझती है तो इस रूट के लिए बस परमिट कब तक दे दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मार्ग के लिए परमिट प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र सरकार को मिले हैं? यदि हां, तो कब और किसने और अभी तक इन पर निर्णय न होने के क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस मार्ग के लिए परमिट जारी करने सम्बन्धी निर्णय एक बार ले लिया गया था ? यदि हां, तो कब और अब तक परमिट जारी न होने का मूल कारण क्या है ?

उत्तर

(1) परमिट दिए जाने के बारे में राज्य परिवहन अधिकरण अपने निर्णय का प्रस्ताव पास कर चुकी है, प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की सूची भी एतराजों के लिए राजस्थान राज-पत्र में प्रकाशित कर दी गई है। राज्य परिवहन अधिकरण निकट भविष्य में परमिट मंजूर करने के बारे में अपनी बैठक में निर्णय लेगी।

(2) जी हां, परमिट प्राप्त करने हेतु राज्य परिवहन अधिकरण को आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। सूची संलग्न है। निर्णय राज्य परिवहन अधिकरण जो एक अर्ध-न्यायिक अधिकरण है ही करेगी। निर्णय मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में निर्धारित औपचारिक विधि के अनुसार ही लिया जा सकेगा।

(3) जी हां, प्रादेशिक परिवहन अधिकरण बीकानेर ने 23-2-67 को इस मार्ग को खोलने का प्रस्ताव किया था और उन्होने बिना स्कोप निर्धारित किये हुए प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित कर लिए थे। किन्तु ऐसे मामले राज्य परिवहन अधिकरण के कार्य क्षेत्र में आने के कारण प्रादेशिक परिवहन अधिकरण, बीकानेर के अध्यक्ष ने उनके आदेश दिनांक 26-6-69 से राज्य परिवहन अधिकरण को भेजे जाने का निर्णय लिया। राज्य परिवहन अधिकरण ने प्रस्ताव दिनांक 12-7-72 से स्कोप निर्धारित करने से पूर्व जो प्राप्त पत्र परिवहन अधिकरण बीकानेर द्वारा प्राप्त हुए थे, खारिज कर दिया। अब शीघ्र ही निर्णय ले लिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

डाया योजना का सर्वे

श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला उदयपुर की तहसील सराडा पालोदडा में ऊपर रेला गांव के नीचे डाया योजना की सर्वे काफी समय पूर्व की जाकर तखमीना राज्य सरकार के पास मंजूरी में विचाराधीन है ?

(श्री देवीलाल)
यदि हां, तो योजना की स्वीकृति कब तक की जाकर कार्य चालू करवा दिया जायेगा ?

(2) क्या सरकार उपरोक्त योजना को पंचवर्षीय योजना में लिए जाने के आधार पर इसे अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत चालू कर लोगों को काम धन्धा देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां, डाया योजना का तखमीना तैयार किया जा चुका है और इस समय निर्देशक, रूपांकन द्वारा उसकी तकनीकी जांच की जा रही है।

(2) अभी पांचवीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा सरकार के विचाराधीन है इस लिए अभी यह नहीं कहा जा सकता है कि इस योजना को उसमें लिया जायेगा या नहीं। यह एक मध्यम श्रेणी की योजना है जिसकी अनुमानित लागत 51.82 लाख रुपये है। इस काम को शुरू करने से पहले केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। इस कारण इस योजना पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत काम चालू करना उचित नहीं होगा।

नीमाज बस स्टेण्ड के निर्माण का ठेका

16. **श्री सुखलाल** (जैतारण) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले के नीमाज बस स्टेण्ड बनाने का ठेका राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 2 साल पहले दिया गया था ?

(2) क्या यह सही कि ठेका होने के उपरान्त भी उक्त बस स्टेण्ड का कार्य नहीं हुआ और ठेकेदार को टेण्डर की राशि वापिस लौटा दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां, क्योंकि जिस भूमि पर निर्माण कार्य करवाने की स्वीकृति जारी की गई थी उस भूमि के लिए नीमाज स्कूल के विद्यार्थियों एवं पंचायत ने एतराज किया था कि यह भूमि गांव के बीच में है तथा स्कूल के कार्य के लिए है जिसमें स्कूल का एक कुआं भी है।

नायब-तहसीलदारों की पदोन्नति

17. **श्री भरतलाल** (बामनवास) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज-पत्र दिनांक 19 जून, 1969 में नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित हुई है ? यदि हां, तो इस सूची में दर्ज भाग 1 (ख) में क्रम सं. (44) व (45) पर दर्ज व्यक्तियों के प्रोमोशन तहसीलदारों के पद पर हो चुके अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो किस कारणवश प्रोमोशन नहीं हुए ?

(2) क्या यह सही है कि इसी सूची में दर्ज क्रम सं. (56) व (72) के नाम वाले व्यक्तियों को प्रोमोशन दिया गया है ?

(3) क्या यह सही है कि इस सीनियोरिटी लिस्ट में नाम न होते हुए भी

(श्री भरतलाल)

किसी व्यक्ति को प्रोमोशन दे दिया गया है? यदि हां, तो किन कारण व क्यों?

उत्तर

(1) हां, 19–6–69 के राजस्थान राजपत्र में नायब तहसीलदारों की सीनियोरिटी लिस्ट प्रकाशित हुई थी। उक्त वरिष्ठता सूची के भाग 1 'ख' में क्रम संख्या 44 व 45 पर सर्व श्री प्रभुदयाल व श्री हरिशचन्द्र अस्थायी नायब तहसीलदारों के नाम दर्ज हैं। इनके पदोन्नति तहसीलदार के पद पर नहीं दी है। इनकी पदोन्नति देने हेतु यथा समय इनके मामलों पर विचार किया गया था परन्तु इनका कार्य असंतोषजनक पाये जाने के कारण इन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया।

(2) जी हां।

(3) जी हां, जिन व्यक्तियों के नाम इस अस्थायी सूची में प्रकाशित होने से छूट गये थे उनके मामलों की जांच करने पर वे वरिष्ठ पाये गये एवं उनका कार्य भी संतोषप्रद पाया गया। उन्हें पदोन्नति दी गई।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान नहर क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन

1. श्री गुरदयालसिंह संधु (करणपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) राजस्थान नहर क्षेत्र में कितनी सरकारी भूमि सिंचित व असिंचित है? तहसीलवार ब्यौरा दिया जावे।

(2) उपरोक्त भूमि में से कितनी सिंचित व कितनी असिंचित भूमि हरिजनों पिछड़ी जातियों, सवर्ण भूमिहीनों व गैर काश्तकारों को अलॉट की गई है? और कितनी सरकारी भूमि सिंचित व असिंचित बाकी पड़ी है? कृपया ब्यौरा उपनिवेशन तहसीलवार दिया जावे।

उत्तर

(1) राजस्थान नहर के प्रथम चरण के चक प्लान जो बने हैं उनके अन्तर्गत आये हुए क्षेत्र में से स्थायी आवंटित व विशेष आरक्षणों को निकालकर बची सरकारी भूमि का विवरण तालिका 'क' में संलग्न है।

(2) तालिका (ख) संलग्न है। गैर काश्तकारों को कोई आवन्टन नहीं किया गया है। 31, 327 एकड़ भूमि का अस्थाई आवन्टन नहीं हो सका है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

बाड़मेर जिले में नामान्तर करण के मामले

2. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

बाड़मेर जिले में भूमि के नामान्तरकरण (म्यूटेशन) के कितने मामले गत पांच सालों में प्रस्तुत हुए और उनमें से कितने मामलों का निर्णय लिया गया और कितने मामले कब से पेण्डिंग हैं? आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

Page No 28

(28)

(राजस्व मंत्री)

उत्तर

बाड़मेर जिले में भूमि के नामान्तरकरण (म्यूटेशन) के मामले गत पांच वर्षों में प्रस्तुत हुए और उनमें से कितने मामलों का निर्णय लिया गया, व शेष मामले जब जब से पेन्डिंग हैं, की सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

जयपुर जिले के न्यायालयों में राजस्व मुकदमात

3. श्री जयकिशनलाल तोसावडा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले के विभिन्न न्यायालयों में इस समय विचाराधीन राजस्व मुकदमात की संख्या क्या है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मुकदमें कब से विचाराधीन हैं? और इनमें तीन साल से, 1 साल से तथा 6 माह से अधिक समय के कितने कितने हैं? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार इन मुकदमों को शीघ्र निपटाने के बारे में कोई विचार रखती है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में विभिन्न न्यायालयों में दिनांक 1-1-73 को राजस्व मुकदमों की संख्या 21140 है प्रत्येक न्यायालय वाइज सूची संलग्न है।

(2) उक्त मुकदमें दिनांक 1-1-73 को प्रत्येक न्यायालय में शेष रहे हैं। इनमें 6 माह से कम अवधि के 7810, एक वर्ष से कम अवधि के 6630, एक वर्ष से अधिक अवधि के 4591, दो वर्ष से अधिक अवधि के 1254 और 3 वर्ष से अधिक अवधि के 855 हैं। न्यायालय वाइज सूची संलग्न है।

(3) इन मुकदमों को शीघ्र निपटाने के लिये सम्बन्धित राजस्व अधिकारीगण को समय समय पर हिदायतें की जाती रही हैं और अब भी की गई है कि इन्हें शीघ्र निपटाया जावे।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

अकाल राहत कार्यों के लिये सिंचाई विभाग द्वारा सामान की खरीद

4. श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा (सूरतगढ): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा क्या क्या सामान कितनी कितनी राशि का वर्ष 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72 व 1972-73 में खरीदा गया?

(2) उक्त सामान का स्टोर वेरिफिकेशन उपरोक्त वर्षों में कब-कब किया गया तथा विभिन्न स्टोर्स में उपरोक्त वर्षों में किस-किस में कितनी-कितनी कमी पाई गई, कितने मामले गबन और घोटालों के बने तथा इसके लिए किस किस को जिम्मेवार ठहराया गया तथा उनके विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई?

(सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(1) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70, 1970-71, 1971-72, 1972-73 में खरीदे गये सामान का खण्ड वार ब्यौरा संलग्न है। सिंचाई खंड भीलवाड़ा एवं बांसवाड़ा की सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है। वह बाद में भेज दी जायेगी।

(2) उपरोक्त सामान का स्टोर वेरिफिकेशन प्रत्येक वर्ष में किया गया था और किसी प्रकार की कमी नहीं पाई गई। केवल डूंगरपुर खण्ड के उप-खण्ड एक का स्टोर वेरिफिकेशन नहीं हो सका भीलवाड़ा एवं बांसवाड़ा खण्ड की सूचना अभी प्राप्त नहीं हो सकी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

झामर-कोटडा से ट्रकों द्वारा राक-फॉस्फेट का ट्रान्सपोर्टेशन

5. **श्री निरंजननाथ आचार्य** (मावली): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

झामर-कोटड़ा से निम्नलिखित रजिस्ट्रेशन नम्बर के ट्रक्स द्वारा अब तक किस किस माह में कितने कितने टन रॉक-फॉस्फेट का ट्रान्सपोर्टेशन किया गया है :—

1 आर. जे. वाई. 4538
2 आर. जे. वाई. 372
3 आर. आर. एल. 2355
4 आर. आर. एल. 4449
5 आर. आर. एल. 2898
6 आर. आर. एल. 1661
7 आर. आर. एल. 4811

कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

गंगानगर जिले में पंचायतों द्वारा चुंगी कर की वसूली

6. श्री गुरुदयालसिंह संधु (करणपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) गंगानगर जिले में कितनी ऐसी पंचायतें हैं जो चुंगी कर वसूल कर रही हैं और कृषि उपज पर कितना चुंगी कर वसूल हो रहा है ?

(ख) क्या ऐसी उपज पर जिसकी खपत उस पंचायत क्षेत्र में न होती हो, पंचायत को चुंगी कर वसूल करने का अधिकार है ? यदि नहीं, तो अब सरकार इस विषय में कब तक क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(क) केवल तीन पंचायतें पदमपुर, विजयनगर और केसरीसिंहपुर द्वारा कृषि उपज पर निम्न प्रकार चुंगी कर वसूल किया जाता है :—

1 नरमा व कपास—0.25 पैसे प्रति क्विन्टल।

2 गेहूं, जौ, चना, गवार, मक्का—0.15 पैसे प्रति क्विन्टल।

(सामुदायिक विकास मंत्री)

3. सरसों, व तारामीरा–0.40 पैसे प्रति क्विन्टल।

(ख) प्राप्त सूचना के अनुसार उपरोक्त वस्तुओं की खपत उक्त पंचायतों में ही हो जाती है और उक्त चीजों के पंचायत क्षेत्र में आने पर चुंगी कर पंचायत लगाती है जिसे लगाने का पंचायतों को राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 की धारा 64 (एफ) के अन्तर्गत अधिकार है।

राजस्थान में डामर, ग्रेवल एवं अन्य किस्म की सड़कों का निर्माण

7. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के निर्माण के समय कुल कितनी डामर, ग्रेवल एवं अन्य किस्म की सड़कें थीं? प्रत्येक के अलग अलग आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) राजस्थान के निर्माण से आज तक कुल कितनी डामर, ग्रेवल एवं अन्य किस्म की सड़कों का निर्माण हो चुका है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) राजस्थान के निर्माण से आज तक विभिन्न जिलों में कुल कितनी डामर, ग्रेवल एव अन्य किस्म की सड़कों का निर्माण अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सम्पूर्ण हुआ है? आंकड़े जिलेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सूची (अ) प्रस्तुत है।

(2) 31/3/49 तक की बनी सड़कों की लम्बाई को शामिल कर 31/3/72 तक की सड़कों की लम्बाई जिलेवार सूची (ब) में अंकित है।

(3) अकाल सहायता विभाग से सम्बन्धित है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

राजस्थान में सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत सड़कों का ठेका

8. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीमा सड़क परियोजना के अन्तर्गत अब तक राजस्थान में कौन कौन और कितनी कितनी मील सड़कों का निर्माण हुआ है? इनमें से कितनी सड़कों का कार्य पूर्ण हो चुका है और कितनी सड़कों पर कितना और कहां तक कार्य चालू है? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन सड़कों का निर्माण किन किन ठेकेदारों से करवाया गया?

(3) ऐसे प्रत्येक ठेकों की मूल रकम कितनी कितनी थी और अन्तिम भुगतान कितना कितना हुआ है?

(4) किन किन ठेकेदारों के कितनी 2 रकम के बिल भुगतान के लिये विभाग के पास विचाराधीन पड़े हैं और कब कब से?

(निरंजन नाथ आचार्य)

(5) उपरोक्त ठेकेदारों में विभाग की कितनी कितनी रकम कब से बकाया पड़ी है और इसका अब तक भुगतान न होने के क्या कारण हैं ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

राजस्थान में सी. ए. एस. प्रथम श्रेणी के डाक्टरों के पुनः विचार से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र

9. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा): क्या स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(1) राजस्थान के एकीकरण के पश्चात् एकीकृत वेतनमान 1–4–50 से नियमों के अन्तर्गत एकीकरण की प्रक्रिया में कितने सी.ए.एस. प्रथम श्रेणी के डाक्टरों के पुनः विचार से संबंधित कितने प्रार्थना-पत्र अभी तक सरकार के विचारार्थ शेष रह गये हैं ?

(2) कितने डाक्टरों ने सेक्शन 80 सी. पी. सी. के अन्तर्गत सरकार को नोटिस दे दिये हैं, कितने मुकदमें न्यायालयों में विचाराधीन हैं तथा कितने मुकदमों में न्यायालयों ने सरकार के विरुद्ध मय हर्जाना के फैसले दिये हैं ? यदि यह सत्य है, तो सरकार को हुई हानि का कौन उत्तरदायी है तथा और ऐसे ही मामलों में सरकार की शिथिलता के कारण होने वाली हानि का कौन उत्तरदायी होगा ?

(3) क्या यह सही है कि डा. अचलमल सिंघवी के ऐसे ही मामले पर अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है व इस डाक्टर द्वारा 1–3–71 को अवकाश ग्रहण कर लेने के बावजूद अभी तक सरकार ने इनका निर्णय नहीं कर इन्हें परेशान कर रखा है, जो सरकारी नीति के स्पष्टतया विरुद्ध है ?

उत्तर

(1) एकीकरण के पश्चात् एकीकृत वेतनमान 1–4–50 से नियमों के अन्तर्गत एकीकरण की प्रक्रिया में 6 चिकित्सा अधिकारियों के प्रार्थना पत्र अभी तक सरकार के विचाराधीन हैं।

(2) 5 डाक्टरों से 80 सी.पी.सी. के नोटिस प्राप्त हुए हैं इनमें से 4 ने सरकार के विरुद्ध मुकदमा दायर किया है एवम् एक मामले मे सरकार के विरुद्ध फैसला हुआ है, जिसका हर्जाना भुगतना पड़ा। इस मामले में प्रभार अधिकारी डा. गंगाराम पुरोहित थे, जो अब सेवा निवृत्त हो चुके हैं।

(3) प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। अतः परेशान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

चूरू जिले के गांवों में विद्युत लाइन का सर्वे

10. श्री लूनाराम (डूंगरगढ़)–क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) चूरू जिले में 31 दिसम्बर, 72 तक कितने ग्रामों की विद्युत् की मांग पर सर्वे की गई ? कृपया तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री लूनाराम)

(2) क्या सर्वे शुदा लाइनों में से सन् 1972–73 में दिसम्बर, 72 तक स्वीकृति दी गई है ? यदि हां, तो कितने ग्रामों की ? तहसीलवार बताने की कृपा करें ।

(3) क्या बाकी ग्रामों में चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृति देने का प्रोग्राम है ?

(4) यदि हां, तो कितने ग्रामों को ? तहसीलवार बताने की कृपा करेंगे ?

उत्तर

(1) चूरू जिले में इस वर्ष 31-12-72 तक 77 गांवों का विद्युतिकरण हेतु सर्वेक्षण किया गया । तहसीलवार सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । वर्ष 1971–72 में सर्वे किये गये गांवों की सूची में से तहसील तारानगर के ग्राम पण्डरू टीबा और छागोई को इस वर्ष में विद्युतिकरण के लिये स्वीकृत किया गया है । इन गांवों को 31-12-72 को बिजली दी जा चुकी है ।

(3) अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

कालीसिंध व अरनिया नदियों पर बड़े पुलों की स्वीकृति

11. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन)—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ में नदी कालीसिंध व नदी अरनिया पर बड़े पुल बनाये जाने की स्वीकृति हो चुकी है ? यदि हां, तो इनके लिये कितनी कितनी रकम स्वीकृत की गई है ?

(2) उक्त पुलों का कार्य कब से शुरू होगा तथा कब पूरा होगा ?

उत्तर

(1) जयपुर कोटा झालावाड़ रोड पर काली सिंध एवं धारनर पुल निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा 40 लाख रु. की दी गई है ।

(2) वर्ष 73–74 में उक्त कार्य चालू होने की आशा है तथा 75–76 तक पूर्ण होने की आशा है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियरों, असिस्टेन्ट इन्जिनियरों, एक्स. ई. एन. व एस. ईज. के तबादले

12. श्री **योगेन्द्रनाथ हांडा** (सूरतगढ): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) 1 मार्च, 1972 से आज तक सार्वजनिक निर्माण विभाग के कितने ओवरसियर, असिस्टेंट इंजीनियर व एक्स. ई. एन. और एस. ईज. के तबादले जिनकी नौकरी का काल दो वर्ष से कम था, जिनकी नौकरी का एक स्थान पर दो वर्ष से अधिक था । तीन वर्ष से अधिक, चार वर्ष से अधिक तथा क्रमशः सात वर्ष तक के आंकड़े जिलेवार दें ।

(2) इन तबादलों में सैद्धान्तिक आधार क्या रखा गया ?

[स्थगित किया गया]

शोक प्रस्ताव

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के निधन पर शोक प्रकट एवं श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : शोक प्रस्ताव।

श्री हरिदेव जोशी (स्वास्थ्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, 25 दिसम्बर, 72 का दिन इस देश के इतिहास में महान क्षति के दिन के रूप में माना जाएगा। उस दिन इस राष्ट्र के महान नेता और मनीषी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का निधन हुआ। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारे देश की राजनीति के क्षितिज में एक महान नक्षत्र के रूप में रहे हैं। वे विविध प्रतिभाओं के धनी थे। महान लेखक थे। महान विचारक थे। महान राजनीतिज्ञ थे। जो भी लोग उनसे असहमति रखते थे वे भी एक बार तो निष्पक्ष रूप से स्वीकार करते थे कि राजाजी जो कुछ भी कहते हैं उसमें उनके विचारों की ईमानदारी है। राजाजी ने, अध्यक्ष महोदय, इस देश की राजनीति को महात्मा गांधी और जवाहर लाल नेहरू की तरह प्रभावित किया है। उन्होंने न केवल अपने प्रदेश में बल्कि सारे ही देश में एक तरह से अपने विचारों की छाप डाली।

अध्यक्ष महोदय, जब भारतीय स्वाधीनता का इतिहास लिखा जाएगा तब राजगोपालाचारी को एक ऐसे महान व्यक्ति के रूप में लिखा जायगा जिन्होंने स्वाधीनता संग्राम के दौरान उत्कृष्ट त्याग किए और दूसरों को प्रेरित किया और भारत माता को बेड़ियों से मुक्त किया।

अध्यक्ष महोदय, यह हम भारतवासियों का सौभाग्य था कि उनके जैसा महान व्यक्ति हमें नेता के रूप में मिला। राजाजी जब से राजनीति में आए उन्होंने राजनीति पर अपनी छाप छोड़ी और उनकी छाप की विशेषता यह थी कि बड़े स्पीकरों में वे अलग से दिखाई देते थे। इस सब के बावजूद दुनिया के लोग उन्हें बहुत ही आदर की निगाह से देखते थे।

अध्यक्ष महोदय, राजाजी इस देश के महान प्रतिष्ठित पदों पर रहे किन्तु वे जल में कमलवत् रहे और इसलिए भारत ही नहीं विश्व के लोग उन्हें राजर्षि के रूप में याद करते हैं। वे महान लेखक थे, महान विचारक थे। उन्होंने धार्मिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किये हैं। वे सरल से सरल भाषा में, लोक भाषा में, आम लोगों की समझ के अनुकूल रहे हैं। गांधीजी के बाद में शायद वे ही दूसरे राज नेता हुए हैं जिन्होंने एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ धर्म को प्रधानता देकर के जीवन निर्माण, लोक कल्याण को आर प्रयत्न किया है। राजाजी 94 वर्ष की आयु में इस संसार से विदा हुए। एक प्रकार से इस युग में हमारी राजनीति के भीष्म पितामह थे। राजाजी निर्भीक राजनेता थे। जब वे दूसरे प्रकार के विचार रखते थे तो निर्भयतापूर्वक अपनी बात को रखते थे। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में संघर्ष हुआ उसके पहले भारत और रूस की संधि हुई। कई राजनेता इस संधि को संदेह की, प्रज्यूडिस की दृष्टि से देखते थे, किन्तु राजाजी एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पार्टी और अपने समर्थकों की

(श्री हरिदेव जोशी)

परवाह नहीं करके उस संधि का स्वागत किया। उनका स्वागत भारत और पाक के संघर्ष के समय अधिक योग्य सिद्ध हुआ।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के राज नेता को खो करके हम अपूर्णीय क्षति का अनुभव करते हैं। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और सदन की ओर से राजाजी की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री **लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, इस बीसवीं शताब्दी के इने गिने चोटी के नेताओं में श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे। वर्तमान राज नेताओं में उनका त्याग, उनके सिद्धान्त, सत्य, अहिंसा, धर्म निरपेक्षता और उनकी आयु को देखते हुए वे आधुनिक भीष्म पितामह थे। उनकी प्रखर बुद्धि, उनकी स्पष्टवादिता, उनकी शासन पटुता, उनकी दूरदर्शिता को गम्भीरतापूर्वक देखा जाय तो वे आधुनिक चाणक्य थे, इसमें कोई संदेह का विषय नहीं है। वे विभाजन के पश्चात् भारतवर्ष के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। वे भारतवर्ष के प्रथम नागरिक थे जो इस लम्बी शृंखला के अन्दर अन्तिम गवर्नर जनरल हुए, जिसका प्रारम्भ वारेन हेस्टिंग्स से हुआ था। वे केन्द्र के मंत्री भी रहे। वे मद्रास के मुख्य मंत्री भी रहे। उन्होंने धर्म के सम्बन्ध में जो लेख लिखे वे चिर स्मरणीय रहेंगे। उनकी आंग्ल भाषा को लिखने की शैली अद्वितीय थी। बहुत से अंग्रेज विचारक भी उस स्तर की ऊंची आंग्ल भाषा नहीं लिख सकते थे। उनकी स्पष्टवादिता और दूरदर्शिता के कारण उनको कांग्रेस दल की नाराजगी भी उठानी पड़ी।

बारह वर्ष पूर्व उन्होंने विश्व के राष्ट्रों के समक्ष एक सुझाव रखा था कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अणु शस्त्रों को अवैध घोषित किया जाय। शनैः शनैः विश्व के बड़े राष्ट्र उनका यह सुझाव साकार करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज क्या रूस, आज क्या चाईना, और आज क्या अमेरिका यह अनुभव करते हैं कि यदि भविष्य में विश्व युद्ध हुआ तो न तो कोई विजेता रहेगा और न कोई हारा हुआ पक्ष।

इस विश्व युद्ध का परिणाम यह होगा कि सारा विश्व राख का एक ढेर हो जायगा। गांधीजी के सिद्धान्तों को कोएग्जीस्टेन्स, जीओ और जीने दो, इसका साकार रूप चक्रवर्ती राजगोपालाचारीजी के अन्दर निहित था। राजाजी का यह निश्चित अभिमत था कि जनतन्त्र बिना दो दलों के सफल नहीं हो सकता। इसके विपरीत खेद के साथ मुझे यह कहना पड़ेगा कि आज के सत्तारूढ़ दल की यह चेष्टा कि हमारे देश के अन्दर एक ही दल रहे और एक ही उसका नेता रहे, यह एक ऐसी भावना है जो कि जनतन्त्र के विपरीत है। राजाजी बारबार कहते थे कि जनतन्त्र व्यक्ति की गरिमा, महिमा और नागरिक आजादी के बिना सम्भव नहीं है। नागरिकों को मौलिक अधिकार संवैधानिक अक्षुण्णता के लाभ प्राप्त होना जनतंत्र के लिये अनिवार्य है।

(श्री लक्ष्मणसिंह)

अध्यक्ष महोदय ऐसा ऋषि, ऐसी त्यागमूर्ति, ऐसा अनुभवी और वयोवृद्ध नेता का हमारे बीच से उठ जाना हमारे देश के लिये एक बड़ी क्षति है। राजाजी की स्मृति सदियों तक बुद्धिजीवियों को जनतन्त्र की विशुद्ध परम्परा के सम्बन्ध में प्रेरित करती रहेगी। वे गांधीजी के अनुसार उनके कांशशकीपर थे और गांधीजी के पश्चात् मैं समझता हूं कि वे हमारे देश के कांशश-कीपर हैं।

अपने दल की ओर से और मेरी ओर से राजर्षि राजाजी की पवित्र स्मृति में मैं सादर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री **गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, महर्षि, कर्मयोगी और देश के उच्चतम राजनेता स्वर्गीय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के प्रति इस सदन के उपनेता और माननीय महारावल साहब ने जो कुछ कहा है वह वास्तव में उनके जीवन के त्याग, बलिदान और उनकी उपलब्धियों को देखते हुए बहुत ही कम है। राजाजी एक अत्यन्त दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। स्वतन्त्रता संग्राम में उनका पूर्ण योग व मार्ग दर्शन रहा। इसके साथ ही जब समय आया तो उन्होंने अपने विचारों के अनुसार, भविष्य को देख कर, देशभक्ति के साथ कोई बात कहने में हिचकिचाहट नहीं की। उनका सारा दल उस समय एक विचार को लेकर चल रहा था लेकिन यथार्थता, स्पष्टवादिता और दूरदर्शी होने के कारण उन्होंने उस समय अपने विचारों को रखा चाहे वे विचार उनके दल के विचारों से अलग थे, उनमें अन्तर था। देश के विभाजन के बारे में दल से अलग विचार रखते हुए उन्होंने एक सी. आर. फामूला के रूप में रखा। इसका विरोध भी हुआ और यह विरोध भी उन व्यक्तियों के द्वारा हुआ जिन्होंने अन्ततोगत्वा जाकर, उससे अधिक, उसी भावना से और उसी प्रकार के विचारों को मान्य करके विभाजन को स्वीकार किया। लेकिन राजाजी एक दूरदर्शी थे यह उनके इस फामूर्ले से पता लगा। राजाजी ने इस देश के अन्दर विरोधी पक्ष को सबल बनाने के लिये अपने जीवन के अन्तिम क्षणों तक प्रयास किया। जनतन्त्र में जिस प्रकार सत्तारूढ़ दल स्वस्थ हो, सुदृढ़ हो, सबल हो उसी प्रकार से वास्तव में एक मनुष्य के दो हाथ के रूप में जनतन्त्र में विरोधी दल उतना ही सक्रिय हो, क्रियात्मक रूप से कार्य करे। सत्तारूढ़ दल को कार्य करने के अन्दर अपनी मर्यादाओं के अन्दर रखे और देश हित के अन्दर कार्य करने में वह सहयोग दे और जहां भी इस प्रकार का डिपारचर हो, उसका वह निर्भीकता के साथ विरोध करे। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण राजाजी के जीवन में हमको मिलता है। वास्तव में राजाजी का अभाव सदियों तक ही नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी, इतिहास के विद्यार्थी को विश्व भर में उनका अभाव महसूस होगा।

मैं इस समय अधिक केवल उनकी उपलब्धियों के बारे में कह कर यह कहूंगा कि हमारे देश में जिन महान व्यक्तियों ने इस देश को बनाया, देश को मार्गदर्शन दिया, उनमें महर्षि राजाजी एक देदीप्यमान नक्षत्र थे जो आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मैं अपनी ओर से और अपने

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

दल की ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान और स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश के उन प्रमुख राजनीतिज्ञों में रहे हैं जिन्होंने देश की राजनीति को प्रभावित किया है और लाखों लोगों को अपने विचारों के अनुसार चलाने का प्रयत्न किया है। मुझे अपने विद्यार्थी काल से बहुत निकट से राजाजी को सुनने का मौका मिला है। मुझे याद है, 1937 में जब पहली बार कांग्रेस में यह विवाद खड़ा हुआ कि प्राविन्शियल आटोनोमी के तहत जो चुनाव हुए उनमें गवर्नमेंट मन्जूर की जाये या नहीं की जाये। राजाजी कांग्रेस में मोडरेट पक्ष के एक तरह से नेता थे जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस उस वक्त रेडिकल व्यूज के नेता कहे जाते थे और उसमें आफिस अक्सेप्ट किया जाये इस विंग को लीड करने वाले राजगोपालाचारी और वल्लभदास भाई थे और नहीं किया जाना चाहिये इस बात के पक्ष में जवाहरलाल नेहरू थे। और गांधीजी राजगोपालाचारी की बात से ज्यादा प्रभावित होकर उन्होंने यह फार्मूला-दिया :

स प्रकार से समन्वय कर के उन्होंने यह निर्णय लिवाया। इस प्रकार मुझे देखने को मिला नजदीक से कि किस प्रकार अपने तर्क से, अपनी बातों से वे कांग्रेस जैसे बड़े आर्गनाइजेशन में अपना प्रभाव रखते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि वे अपने मौलिक विचारों को रखने में चूकते नहीं थे और हमेशा वे अपने विचारों को निर्भीकता के साथ रखते रहे, चाहे वह हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन का सवाल हो, क्रिप्स मिशन आया उस पर सवाल रहा हो। उन्होंने उस समय भी अपने विचारों को और आजादी के बाद जब भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बनने का सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ और वहां से पदमुक्त होने के बाद भी उन्होंने जो उनकी विचारधारा थी, जिस प्रकार मोर्डन विंग के लीडर-वे कांग्रेस में थे उसी तरह से हिन्दुस्तान की पोलीटिक्स में जो दूसरी विंग है, उसके लीडर के रूप में भी उनका उदय हुआ और उसको अपने अन्तिम क्षणों तक चलाने का प्रयत्न किया। लेकिन फिर भी उनकी यह विशेषता रही कि काफी प्रश्नों के ऊपर, जो कि पार्टी से संबधित थे, उससे जड़ता से नहीं बंधकर उसी तरह से अपने स्वतन्त्र विचार व्यक्त किये जैसा वे पहले किया करते थे चाहे फिर वे उनकी आफिशियल पार्टी से सम्बन्धित नहीं हों, लेकिन उससे भी वे अपना मतभेद रखते थे। मैं समझता हूं कि राजाजी बावजूद इसके कि उनसे कितने ही प्रश्नों पर कितने ही लोगों के मतभेद हों वे उन सबके श्रद्धा और आदर के पात्र रहे हैं।

मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से स्व. राजाजी को श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं।

श्री **निरंजन नाथ आचार्य** (मावली) : अध्यक्ष महोदय, राजाजी के निधन ने सारे संसार को सन्तप्त किया है। निश्चित ही राजनीति के आकाश के वे एक उज्जवल नक्षत्र थे। भारतीय संस्कृति की एक शान-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

दार कड़ी थे। वह पत्रकार दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। इन तीनों सन्दर्भों में राजाजी का कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। राजाजी के निधन से राजनीति के इतिहास का एक अध्याय समाप्त हुआ। उन्होंने महाभारत एवं उपनिषदों की कहानियों के आधार पर बालसुलभ साहित्य की रचना की तमिल और अंग्रेजी की विद्वत्ता में उनकी अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति रही है। वह महर्षि थे अनासक्त थे अपना मार्ग वह स्वतन्त्र रूप से चुनते थे उस क्षेत्र में वे अनूठे थे। राजाजी अपने निर्णय पर अडिग रहा करते थे। वह टूट जाना पसन्द करते थे लेकिन झुकना पसन्द नहीं करते थे। इस महान व्यक्ति के निधन से निश्चित ही हमारे राष्ट्र की राजनीति को ठेस पहुंची है। उनके निधन पर सारे राष्ट्र ने शोक किया है। इस मौके पर मैं अपनी ओर से दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए कामना करता हूँ।

श्री केदारनाथ शर्मा (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, स्व. राजा जी हमारी और आगे आने वाली जनरेशन के लिए एक महान नेता के रूप में माने जायेंगे। हमारे देश की राजनैतिक आजादी में उनका निर्णायक हाथ रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि 30।35 में देश की पोलिटिकल आजादी, कांग्रेस हाई कमाण्ड, या पार्टीशन का सवाल हो, पाकिस्तान के सवाल पर, उनका कई बार उनसे मौलिक मतभेद रहा। आज भी हमे उन्हें याद रखेंगे ऐसी निर्भीकता जो उन्होंने पब्लिक लाइफ में और प्राइवेट लाइफ में दिखाई है। मैं अपनी ओर से उनको हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष : वयोवृद्ध नेता चक्रवर्ती राजगोपालाचार्यजी के निधन से हम सब को ही नहीं बल्कि सारे देश को अत्यन्त दुख है। उनका प्रभाव भारतवर्ष के बाहर गये 50।60 साल तक इतना व्यापक रूप में रहा है, वह इतिहास का काफी बड़ा भाग है। मैं उनके सम्बन्ध में यही बात कहूंगा कि सागर को कितना संक्षिप्त करो उसी प्रकार उनके लिए कहना कठिन होता है। वही बात मैं चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में कहूँगा। इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो भावनायें व्यक्त की हैं, उनमें मैं अपने आपको शरीक करते हुए शामिल करता हूं। राजाजी हमारे भारत देश के गगन मण्डल के दमदमाते हुये और चमचाते हुए सूर्य की तरह थे। उन्होंने आजादी के पहले आजादी हासिल करने में, स्वतन्त्रता प्राप्त करने में, अपनी सारी शक्ति और सारा जीवन लगा दिया। आजादी के बाद देश के निर्माण में और देश का मार्ग दर्शन करने में उन्होंने बड़ा योगदान दिया है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उन्होंने देश को मार्गदर्शन दिया है। जैसा कि अभी कहा गया है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे हैं। केन्द्रीय सरकार में मन्त्री और गृह मंत्री भी रहे हैं। मद्रास के मुख्य मन्त्री भी रहे हैं। अनेक प्रकार से हम उनके मार्गदर्शन में रहे हैं। वह अपने स्वतंत्र विचार रखने में बड़े निर्भीक थे। जी और जवाहरलाल जी जैसे व्यक्तियों के सम्मुख भी उन्होंने निर्भीकता से अपने विचारों को व्यक्त किया है और बराबर अभी तक जब तक उनका निधन हुआ है उस वक्त तक समय समय पर ऐसी समस्याओं पर जब कि दूसरे आदमी बोलते

(श्री अध्यक्ष)

हुए हिचकिचाते थे उस पर राजाजी ने अपनी बहुत हिम्मत के साथ बातें कही हैं। राजाजी न केवल स्वतन्त्र विचारक और दार्शनिक ही थे वह साहित्यकार भी थे। वह लेखक थे और भारतीय संस्कृति के बहुत अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने जैसा कि अभी आप को बताया उपनिषदों की बहुत सारी कहानियों की पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने संक्षेप में रामायण और महाभारत भी लिखे हैं। उसमें विशेषकर महाभारत का काफी सम्मान हुआ। केवल भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी सम्मान किया जाता है। मैं ज्यादा न कहकर यह कामना करता हूं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से भी कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार वालों को शक्ति प्रदान करे।

अब दो मिनट के लिए मौन खड़े हो जाएं।

(सदन ने दो मिनिट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)

श्री हरिभाऊ उपाध्याय एवं डा. शौकतुल्ला शाह अन्सारी के निधन पर शोक प्रकट एवं श्रध्दांजलि

श्री हरिदेव जोशी (चिकित्सा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय 25 अगस्त, 1972 को विधि ने हमारे बीच में से श्रद्धेय हरिभाऊ उपाध्याय को उठा लिया। हरिभाऊ जी उपाध्याय राजस्थान के उन लोगों में से एक थे जिन्होंने देशी रियासतों के जुल्मों से मुक्ति पाने के लिए राजस्थानियों को प्रेरणा दी। हम में से अनेक लोग, अध्यक्ष महोदय, उनके श्री चरणों में बैठकर देश की आजादी के संघर्ष में काम करते रहे हैं। हरिभाऊ जी 'जिन्हें हम स्नेहपूर्वक' दा साहब कहते थे को हमने विभिन्न पदों पर रह कर कार्य करते हुए देखा है। वे हमारे देश की स्वतन्त्रता के संग्राम के सेनानी रहे। आजादी के बाद अजमेर राज्य के मुख्य मंत्री रहे। और उसके पश्चात् हमारे राजस्थान के मन्त्रिमण्डल में रह कर विविध पदों का भार उन्होंने सम्भाला। सभी स्थानों पर कार्य करते हुये 'दा साहब' अन्य लोगों से भिन्न दिखाई देते थे। वे विचार में और कर्म में गांधीवादी परिपाटी के समर्थक थे और उन्होंने राजस्थान में अपने काम से एक अमिट छाप छोड़ी। राजनैतिक क्षेत्र के अतिरिक्त वे साहित्यिक क्षेत्र के अन्दर भी बहुत बड़ी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कई मौलिक ग्रन्थों को लिखा और कई ग्रन्थों का अनुवाद किया। उन ग्रन्थों से हरिभाऊ जी की विचारधारा और उनके जीवन की शैली पर प्रकाश पड़ता है।

स्वर्गीय श्री जयनारायण जी व्यास, स्वर्गीय श्री माणिक्यलालजी वर्मा और स्वर्गीय हरिभाऊजी उपाध्याय उन लोगों में से थे जिन्होंने राजस्थान की दासता की बेड़ियों को तोड़ा और हम आज जो कुछ भी हैं वह उनके त्याग, उनके बलिदान और उनके मार्ग दर्शन के अवशेष हैं। अध्यक्ष महोदय, हरिभाऊ जी उन लोगों में से रहे हैं जिन्होंने राजस्थान के बाहर अपना बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र बनाया और अपने समर्थकों और प्रशंसकों का बहुत बड़ा क्षेत्र उन्होंने देखा।

राजस्थान के मंत्रि मंडल से उन्होंने अनायास त्याग-पत्र दिया। उस समय कई

(श्री हरिदेव जोशी)
प्रकार की कल्पनाएं सुनी गई। एक बार जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि कार्य में प्रवेश करने के लिए हमें विचार करना चाहिए । उससे मुक्त होने के लिए भी हमें कुछ निश्चय करना चाहिए । दरअसल वे सक्रिय राजनीति से जिस प्रकार अलग हुए वह एक प्रकार का अनूठा उनका निर्णय था।

अध्यक्ष महोदय, हरिभाऊजी स्त्री शिक्षा और सामाजिक सुधार के अन्दर भी अग्रणी रहे हैं इस क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण भाग अदा किया है ।

हमारे प्रदेश के नेता के प्रति मैं भाव भीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस क्षति को सहने की शक्ति दे।

श्री अध्यक्ष : दूसरे पर भी कह दीजिये इसी के साथ ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार भारतीय राजनीति में डा. शौकतुल्ला शाह अन्सारी का नाम हमेशा याद किया जाता रहेगा। मुझे उस जमाने की याद आती है, अध्यक्ष महोदय, जब हम आजादी का संघर्ष लड़ रहे थे । शौकत साहब उन लोगों में से एक थे जिन्हें हम नेशनलिस्ट मुस्लिम कहते थे, जिन्होंने मुस्लिम साम्प्रदायिकता का विरोध किया, पाकिस्तान के निर्माण को कल्पना का विरोध किया। इस देश में हिन्दू भी रहेंगे, मुस्लिम भी रहेंगे और यह देश सब का है- इस विचार धारा का पोषण किया। इसके लिए उन्हें अनेक यातनाएं सहनी पड़ीं।

शौकत साहब ने एक पुस्तक लिखी है, 'डिवाइडेड इंडिया' के नाम से जिसमें उन्होंने बहुत ही पहले से आज जो पाकिस्तान है उसकी कल्पना कर ली थी। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जिस प्रकार का पाकिस्तान बना है, वह टिक नहीं सकेगा, असफल होगा क्योंकि वह द्वेष और हिंसा के ऊपर आधारित है। अध्यक्ष महोदय, आज हम जिन स्थितियों में हैं उन परस्थितियों से परे मुस्लिम लीग के उस जमाने की कल्पना करें जब किसी मुस्लिम के लिए मुस्लिम लीग की विचारधारा के विपरीत विचार व्यक्त करना खतरे से खाली नहीं था। शौकत साहब को अपने सामाजिक जीवन में, राजनैतिक जीवन में और व्यक्तिगत जीवन में अपने विचारों के कारण बहुत कठिनाइयों का मुकाबला करना पड़ा। उनकी देश भक्ति मौलाना आजाद और रफी अहमद किदवई से किसी प्रकार भी कम नहीं आंकी जा सकती है । वे उस कोटि के व्यक्तियों में से एक थे। अपनी प्रतिभा के कारण देश की आजादी के बाद वे विभिन्न उच्च पदों के ऊपर रहे और वहां पर रह कर उन्होंने अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप छोड़ी। सही दिशा में सोचने वाले और निर्भीकतापूर्वक सही बात कहने वाले, और एक तरह का माहौल हो लेकिन उसके परे अपनी बात को रखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ऐसे डा. अन्सारी की पुण्य स्मृति में मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय हरिभाऊ जी उपाध्याय एक वयोवृद्ध और राजस्थान के चोटी के नेता थे। यदि श्री राजगोपालाचार्य भारतीय स्तर पर एक चोटी के नेता थे, तो वैसे ही स्वर्गीय श्री हरिभाऊ जी राजस्थान के स्तर पर एक प्रमुख नेता थे। हरिभाऊ जी ने देशी राज्यों में आजादी की महत्वपूर्ण लड़ाई लड़ी और गांधीवाद के सिद्धान्तों के ऊपर लड़ाई लड़ने के बावजूद मैं उनको कई वर्षों से जानता था। उनमें तनिक मात्र भी बदले की भावना और कटुता नहीं थी। हरिभाऊ जी के प्रति मेरी बड़ी आदरपूर्ण भावना सदा से रही है। राजस्थान के राजनैतिक क्षेत्र में भी हरिभाऊ जी का महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भाग था। ये अजमेर राज्य के मुख्य मंत्री रहे और राजस्थान के मंत्री भी रहे और जिस प्रकार उन्होंने मंत्री पद से त्यागपत्र दिया, वह भी मैं समझता हूँ। एक उच्चकोटि के त्याग और भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा किया। श्री हरिभाऊ जी की रचनात्मक कार्य में भी बड़ी रुचि रही। उन्होंने महिलाओं की उल्लेखनीय सेवा की। हटूंडी का आश्रम भी उनके नाम पर चिरस्मरणीय रहेगा। रचनात्मक कार्य के अतिरिक्त श्री हरिभाऊ जी उच्चकोटि के साहित्यकार थे। स्वर्गीय हरिभाऊ जी की स्मृति में मैं अपने दल की ओर से तथा मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को चिरशांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहन करने की शक्ति दे।

डाक्टर शौकत अन्सारी भी उच्चकोटि के देशभक्त थे और क्योंकि उनको व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं जानता, अभी जो प्रस्ताव उनके संबंध में रखा गया और जो चर्चा उनके संबंध में की गई है, उसका मैं समर्थन करता हूं। श्री अन्सारी की दिवंगत आत्मा के प्रति मेरे दल की ओर से और मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की चिरशांति के लिए प्रार्थना करता हूं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : स्वर्गीय श्री हरिभाऊ और डाक्टर अन्सारी दोनों के बारे में इस सदन के माननीय उपनेता व महारावल साहब ने जो कुछ कहा, उससे स्पष्ट है कि आज हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं, जबकि आजादी में संघर्ष करने वाले, स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा एक एक करके हमारे बीच में से जा रहे हैं और उसी कड़ी, उसी शृंखला में ये दोनों देश भक्त नेता हैं। वास्तव में इन दोनों के बारे में सादा जीवन उच्च विचार की जो अति पवित्र कल्पना लेकर उन्होंने राजनैतिक क्षेत्र में अपने आप को चारों ओर से सब प्रकार के प्रलोभन के बावजूद कीचड़ से ऊपर कमल की तरह रखा, वह हमारे लिए थाती थे। मैं अपनी ओर से व अपने दल की ओर से इन दोनों महान आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके शोक संतप्त परिवार को शक्ति दे कि वह इस दुख को सहन कर सके।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, श्री हरिभाऊ और डाक्टर अन्सारी इन दोनों महापुरुषों के संबंध में मेरे से पूर्व जो वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनसे पूर्णतः सहमत हूं और

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उन्होंने जो देश–सेवायें की हैं देश को आजादी के आंदोलन में या देश को एकता बनाए रखने में, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न इलाके के लोगों में एकता की भावना पैदा करने में, उनका योग रहा है, उनके लिए वे चिरस्मरणीय रहेंगे। मैं अपने दल व अपनी ओर से इन महान् आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय हरिभाऊजी गांधी विचारधारा के थे। यह सदन उनकी स्मृतियों से भरा हुआ है। वित्तमंत्री के रूप में, शिक्षा मंत्री के रूप में, उनकी सेवायें इस सदन में रही हैं। विरोधियों से स्नेह और सहानुभूति उनके व्यक्तित्व की एक अनोखी बात थी। हटूंडी नामक संस्था की स्थापना करके उन्होंने स्त्री–शिक्षा की अनुपम सेवायें कीं। साहित्य के क्षेत्र में वे लेखक और कवि थे और लेखक होने के नाते उनकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर थी। कई पुस्तकें उन्होंने लिखीं। एक अद्वितीय व्यक्ति होने के नाते अंत तक वे अपनी सेवायें देते रहे, संस्था को, समाज को। हटूंडी में अहिंसा की प्रतिमा स्थापित करके उन्होंने अहिंसा में अपना विश्वास प्रकट किया, अहिंसावृति का परिचय दिया। दा साहब के साथ मुझे भी कई वर्षों तक रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरिभाऊजी का राजनीति में समन्वय, समाज की नीतियों में भी समन्वय था। उग्र और शांत दलों के बीच वे एक अनुपम कड़ी थे। उनके निधन से साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में एक अभाव अखरने वाला है। मैं दा साहब के प्रति सादर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे।

इसी तरह से डॉ. अन्सारी जिनका संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन में अनुपम रहा है। उन दिनों जबकि नेशनलिस्ट मुस्लिम नाम मात्र प्लेटफार्म पर दिखाई दिए। उस समय उनकी निष्ठा अद्वितीय थी। मैं उनके प्रति अपनी सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री केदार नाथ (श्री गंगानगर) : स्वर्गीय उपाध्यायजी का राजस्थान की आजादी के आंदोलन में बड़ा हाथ था। उनकी विनम्रता से हमेशा हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। डॉ. अन्सारी बहुत बड़े देश भक्त और अच्छे पार्लियामेंटेरियन, कुशल राज्यपाल के रूप में याद रहेंगे। मैं अपनी ओर से अपने दल की ओर से दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुरा) : अध्यक्ष महोदय, हरिभाऊजी को सारा राजस्थान अच्छी तरह से जानता है, उनकी समाज के लिए जो सेवायें रही हैं वह अनुकरणीय और प्रेरणादायक रही हैं। मैं भी उस महापुरुष को अपनी ओर से व अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा साथ ही डाक्टर अन्सारी साहब को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : स्वर्गीय श्री हरिभाऊजी जिनको हम अक्सर दा साहब के नाम से कहते हैं, वह हम सभी के सुपरिचित व निष्ठावान व्यक्ति थे। दा साहब राजस्थान को स्वतंत्रता दिलाने वालों में और उसके

(श्री अध्यक्ष)

बाद में उनका निर्माण करने वाले चुने हुए व्यक्ति रहे। दा साहब गांधी विचारधारा मानने वाले थे और उनकी क्षति से उस विचारधारा को क्षति हुई है। वह एक क्लास को रिप्रेजेन्ट करते थे, पीढ़ी को रिप्रेजेन्ट करते थे और उस पीढ़ी के लोग दिनों दिन कम होते जा रहे हैं। हरिभाऊजी आज हमारे बीच में नहीं हैं, इसलिए हमको बहुत ही दुख है उनका। हरिभाऊजी ने भिन्न भिन्न रूप से राजस्थान की सेवायें की, स्वतंत्रा सेनानो के रूप म, राजस्थान के निर्माता के रूप में, अजमेर राज्य के निर्माता के रूप में, अजमेर राज्य के मुख्य मंत्री के रूप में, यहां के वित्तमंत्री के रूप में, हमारे सदन के सदस्य की हैसियत से, अनेक प्रकार से उनकी सेवायें रहीं और वे शिक्षा प्रेमी थे और विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के प्रति उनकी लगन थी। हटूंडी उसी की एक यादगार है।

श्री हरिभाऊ उपाध्याय पत्रकार भी थे और साहित्यकार भी थे। उन्हें महात्मा गांधी के साथ रहने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और काफी अर्से तक वे महात्मा गांधी के सहयोगी रहे।

डॉ. श्री शौकतुल्ला शाह अन्सारी राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्ति थे ये अपने जमाने के उन इने-गिने व्यक्तियों में से थे जिन्होंने अपनी 13–14 साल की उम्र से ही स्वाधीनता आन्दोलन में भाग लेना शुरू कर दिया था। यह महात्मा गांधी की राष्ट्रीय विचारधारा से बहुत ही प्रभावित हुए थे और आन्दोलनों में भाग लेने की वजह से कई बार जेल गये। आजादी के बाद में उनको सन् 51 में लाओस में अन्तर्राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद में वह एक बार सूडान में राजदूत भी रहे। इस प्रकार से उन्होंने कई जगह काम किया और दूसरी जगह विदेशों में कई डेलीगेशन्स में गये तथा बाद में बिहार के गवर्नर भी रहे थे। इन्होंने देश की काफी सेवा की थी जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती।

श्री हरिभाऊजी जिन्हें हम दा साहब भी कहते और डॉक्टर अन्सारी के बारे में इस सदन में अभी सभी दलों के माननीय सदस्यों ने उनके निधन पर शोक प्रकट किया और अपनी भावनाओं से अवगत कराया है उसके साथ मैं भी अपनी भावनाओं को सम्मिलित करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शान्ति प्रदान करे, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार वालों को ईश्वर शक्ति प्रदान करे। अभी सभी माननीय सदस्य दो मिनट खड़े होकर मौन रखें।

(सदन ने दो मिनिट मौन खड़े रह कर दिवगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

1. सर्वश्री मीठालाल, मूलचन्द सामरिया, जीथिंग व विट्ठल भाई, सदस्य

(श्री अध्यक्ष)
विधान सभा ने 3 स्थगन प्रस्तावों को सूचना दी है जिसमें सम्पूर्ण राजस्थान में अकाल की स्थिति से उत्पन्न स्थिति की चर्चा की गई है तथा जिला बांसवाड़ा जिला जयपुर की कुछ तहसीलों में खाने का गल्ला उपलब्ध न होने की स्थिति का उल्लेख किया गया है।

2. सर्वश्री रामानन्द अग्रवाल, मोहम्मद गफ्फार अली, केसरीमल, केदारनाथ व निरन्जननाथ आचार्य, सदस्य विधान सभा ने 3 स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है जिसमें दिनांक 16 फरवरी, 1973 को सायं 6.30 बजे राज्यपाल महोदय के समक्ष महंगाई के विरुद्ध ज्ञापन प्रस्तुत करने वाले राज्य कर्मचारियों एवं श्रमिकों के जुलूस पर किये गये लाठी चार्ज की चर्चा की गई है।

3. सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा, निरंजननाथ आचार्य, केदारनाथ, भानुकुमार शास्त्री, गिरधारी लाल भार्गव, रामानन्द अग्रवाल व योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा ने स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है जिसमें राजस्थान शिक्षक संघ द्वारा प्रस्तुत मांगों के सम्बन्ध में किये जाने वाले आन्दोलन और पुलिस द्वारा किये गये लाठी चार्ज आदि की चर्चा की गई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिये थे वह आपने दूसरों में मिला दिया। मैंने तो लाठी चार्ज के बारे में दिया था।

श्री अध्यक्ष : जानकारी के लिये भेजा गया है।

4. सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गिरधारीलाल भार्गव, निरंजननाथ आचार्य व केदारनाथ, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान राज्य के खनिजों पर काम करने वाले श्रमिकों व माईनिंग विभाग के मजदूरों की हड़ताल के सम्बन्ध में दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

5. सर्वश्री गुरदयाल सिंह सन्धु, केदारनाथ, गिरधारीलाल भार्गव व योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य, विधान सभा ने उप जिला एवं विकास अधिकारी गंगानगर द्वारा जिला परिषद् के रैस्ट हाउस के एक चौकीदार की पत्नी के साथ बलात्कार किये जाने के प्रयत्न के सम्बन्ध में तीन स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है।

6. श्री गुमानमल लोढ़ा व श्री गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य, विधान सभा ने चौहटन में दिनांक 12-2-73 को किये गये लाठी चार्ज के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री केसरीमल, सदस्य विधान सभा ने कमानी इण्डस्ट्रीज, झोटवाड़ा में एटक यूनियन के मजदूरों पर किये गये हमले के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री, गिरधारी लाल भार्गव व गुमानमल लोढ़ा, सदस्य विधान सभा ने जिला भीलवाड़ा, की तहसील मांडल के गांव कवराड़िया के निवासी श्री कजोड़ दरोगा की भूख के कारण मृत्यु के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

Page No 44

(44)

(श्री अध्यक्ष)

इन सब स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर इन पर निर्णय लिया जावेगा।

सर्वश्री गुमानमल लोढ़ा और गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा ने दो स्थगन प्रस्तावों की सूचना दी है जिसमें से एक मे प्रतापगढ़ में गौ हत्या के विरुद्ध आन्दोलन के दौरान की जाने वाली गिरफ्तारियों तथा दूसरे में पुलिस मलारना में एक महिला को नाजायज हिरासत में लेकर बलात्कार करने के समाचार का उल्लेख किया गया है। ये दोनों ही घटनायें अस्पष्ट हैं अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मीठालाल तथा श्री मूलचन्द सामरिया सदस्य विधान सभा ने दिनांक 16 फरवरी, 1973 को राजस्थान विधान सभा के बाहर शिक्षकों के ऊपर किये गये लाठी चार्ज को लेकर एक एक प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि इस पर दिनांक 16-2-73 को ही चर्चा हो चुकी है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मीठालाल तथा मूलचन्द सामरिया, सदस्य, विधान सभा ने राजस्थान में शराबबन्दी सत्याग्रह के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। चूंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय नहीं है अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव की सूचना, 16 तारीख की शाम को साढ़े छः बजे जो लाठी चार्ज हुआ था....

श्री अध्यक्ष : उसमें जानकारी मांगी है।

श्री **श्री रामानन्द अग्रवाल**: अध्यक्ष महोदय, 16 तारीख को जो घटना हुई है उसके बारे में मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को इसकी पूरी जानकारी थी, क्योंकि इसके लिए राज्य सरकार की सरकारी कर्मचारियों द्वारा एवं मजदूर वर्ग ने मंहगाई के सम्बन्ध में राज्यपाल को ज्ञापन देने की सूचना दे दी थी और खुद राज्य सरकार अनाज की राष्ट्रीयकरण की नीति को लागू करना चाहती है फिर भी ऐसी क्या बात थी? वे तो सिर्फ राज्यपाल को मंहगाई और अनाज की समस्या के बारे में ज्ञापन देना चाहते थे जिसकी कि सूचना पहले दे दी गई गयी थी। उसके लिए उनके 11 सदस्य भी आये थे। अध्यक्ष महोदय, श्रमिकों और सरकारी कर्मचारियों ने बहुत ही शान्ति के साथ जुलूस निकाला था और वे यहां आये थे, लेकिन पुलिस ने बिना किसी कारण जबरदस्ती उन पर लाठी चार्ज किया। यह लाठी चार्ज तो उस तरह हुआ जिस तरह से कि 6 मार्च, 1967 को पहले सिविल लाइन्स में किया गया था। इस लाठी चार्ज में काफी लोग घायल हुए हैं ..

श्री अध्यक्ष : दो दफा आप क्यों कहना चाहते हैं मैंने कह दिया कि राज्य सरकार से इसकी जानकारी मांगी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें जानकारी मांगने की क्या बात

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

थी जबकि राज्य सरकार खुद को इसकी सूचना थी कि सरकारी कर्मचारी व श्रमिक वर्ग के लोग राज्यपाल को बढ़ती हुई मंहगाई के सम्बन्ध में ज्ञापन देंगे। सिर्फ ज्ञापन देने की ही बात थी और सरकार को तो खुद को इस सम्बन्ध में सहयोग देना चाहिये था क्योंकि सरकार की खुद की यही नीति है कि महंगाई हटे और लोगों को राहत मिले। अध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों का और श्रमिक वर्ग के लोगों का शान्तिपूर्ण जुलूस आ रहा था, लेकिन यहां पर ऐसा वातावरण किसी वजह से बना दिया कि किसी न किसी कारण से पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। मैं समझता हूँ कि इस घटना में किसी न किसी का षडयन्त्र था। जिसमें इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं थी, वह पैदा की गई। सरकारी कर्मचारियों और मजदूरों के नेताओं····

श्री अध्यक्ष : आपने सूचना ही चाही है उसको ध्यान में रखते हुए कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, कौनसी ऐसी सूचना है जो सरकार के पास नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं कहता कि सरकार के पास नहीं है। उनसे मंगवाई है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह रेजोल्यूशन परसों भेज दिया था और आपने भी 17 तारीख को ही सरकार के पास भेज दिया था तो फिर सूचना तो पूरी होनी चाहिये थी। आखिर क्यों स्थिति बन गई कि शान्तिपूर्ण जुलूस पर लाठी चार्ज करके लोगों को जख्मी कर डाला। 25-30 आदमियों के चोटें आयीं और उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। आखिर यह स्थिति पैदा हुई तो मै चाहता हूं कि सरकार अपनी बात सारे तथ्यों के साथ कहे।

यह सारा जो भी जलूस था, सारे के सारे निहित स्वार्थ हैं जिनके, जो अनाज की मंहगाई कर रहे हैं, काला बाजारी कर रहे हैं, उन के खिलाफ था सरकार उनके खिलाफ एक्शन न ले और शान्त जलूस पर इस प्रकार लाठी चार्ज करे······

श्री अध्यक्ष : जो आप कहना चाहते हैं वह मैं संक्षेप में कह दूं। सरकार से कहूंगा कि परसों जानकारी दे। इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव है उनके बारे में व्यवस्था दी है।

श्री केदारनाथ : आप तो यह फरमायें कि स्टेटमेन्ट दें। जानकारी किस बात की चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्टेटमेन्ट आजाना चाहिये।

श्री हरिदेव जोशी : जो भी समय आप निर्धारित करेंगे गवर्नमेन्ट अपना स्टेटमेन्ट दे देगी।

श्री अध्यक्ष : कल दे दिया जाय।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : 16 तारीख को जब इस पर चर्चा हुई तो मैंने यह निवेदन किया था कि शिक्षकों पर जो लाठी प्रहार हुआ है वह विद इन प्रिंसिपल्स ऑफ दी

(श्री निरंजन नाथ आचार्य)

असेम्बली हुआ, बाहर भी हुआ। दो जगह लाठी प्रहार हुआ। उस समय आपने फरमाया था कि असेम्बली के अहाते में वह आता है या नहीं इस पर निर्णय दूंगा। मेरी जानकारी है कि पहले भी इस प्रकार के निर्णय हुए हैं। इस दरवाजे से लेकर असेम्बली के बाहर के दरवाजे तक असेम्बली का अहाता है। उसी अहाते में शिक्षकों पर लाठी चार्ज हुआ है। उसकी जांच यदि आपके माध्यम से ही की जाय तो वह निष्पक्षता से जांच हो सकती है और वह जांच यदि इस पक्ष में हो तो ब्रीच ओफ प्रिविलेज है, यदि असेम्बली के अहाते में दाखिल होकर लाठी प्रहार किया गया तो.....

श्री लक्ष्मण सिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने जो ध्यान आकर्षित किया है वह एक महत्वपूर्ण विशेषाधिकार का प्रश्न है और मुझे गम्भीर आशंका है कि यह जो कुछ भी पुलिस का अतिक्रमण हुआ है, ज्यादती हुई है यह विधान सभा की हद के अन्दर, ज्युरिस्डिक्शन में पड़ती है, यह ऐसा मुद्दा है जो काबिल दरयाफ्त निष्पक्ष जांच के है।

इसके साथ-साथ मैं यह कहे बिना रह नहीं सकता हूं कि जो प्रदर्शक थे वह शान्तिमय प्रदर्शन कर रहे थे, और यह कहे बिना भी नहीं रह सकता हूं कि उनकी मांग भी एक हद तक विचारणीय है। उनकी तनख्वाहें अगर नहीं चुकायी जायं, अगर उनके अधिकारों के सम्बन्ध में, उनकी दवाइयों के बिलों के भुगतान के सम्बन्ध में व्यवस्था सरकार न करे, और वे तंग आकर, परेशान होकर, मंहगाई के जमाने में गरीब आदमी यहां पर कोई प्रदर्शन करे तो मैं क्षण भर के लिए भी यह नहीं सोच सकता कि टीचर्स, अध्यापकगण, कभी भी सरकार के ऊपर, पुलिस से दब करके, विशेष दबाव डाल सकते हैं। उनके अधिकारों के अन्दर आखिरकार वे करते क्या ? उनके अधिकार के अन्दर जो कुछ भी था आखिर वह उन्होंने किया। सरकार का उस पर इस प्रकार का कठोर व्यवहार हो तो वह विचारणीय विषय है। माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा, सरकार को इस पर स्टेटमेन्ट देना चाहिए और उस पर हाउस में डिबेट होनी चाहिए। विचार व्यक्त करने का माननीय सदस्य अधिकार रखते हैं। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में एक यहां पर डिबेट हो और विचार रख सकें ताकि सरकार को अनुमान हो कि वास्तविक स्थिति आज राजस्थान की क्या है, वास्तविक स्थिति आज कर्मचारियों की और शिक्षकों की क्या है और आम जनता की और मजदूरों की क्या स्थिति है इस मंहगाई के कारण और उसका परिणाम क्या होने वाला है।

श्री अध्यक्ष : 16 तारीख को भी निवेदन किया था। असेम्बली बिल्डिंग किस स्थान तक है इसकी जांच कर रहा हूँ। इसमें समय लग सकता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्थिति यह है कि दफा 144 लगी हुई है।

श्री अध्यक्ष : 144 दफा का सवाल नहीं है।

रिजेक्ट नहीं किया है।

श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा : मैने प्रस्ताव दिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्टेटमेन्ट चाहते हैं। सचिवालय और सिविल लाईन्स में दफा 144 लगी हुई है। इधर शिक्षक दफा 144 तोड़ने जा रहे हैं। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ विधान सभा के और जयपुर के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि चार घण्टे में दो दफा लाठी चार्ज हो और दूसरे दिन सचिवालय और सिविल लाइन्स में दफा 144 लगा दी जाय। सोनियर टीचर्स ग्रेड की मांग को लेकर दफा 144 को तोड़ने जा रहे हैं। तानाशाही की हद हो गई...

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट आ जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : शिक्षकों की मांग के सम्बन्ध में दफा 144 लगाने के सम्बन्ध में और जो तानाशाही और पुलिस का तांडव नृत्य कर रहे हैं उस पर सरकार एक स्टेटमेन्ट दे। सरकार शिक्षकों की तनख्वाह मन्जूर करने जा रही है या दमन-चक्र चलाने जा रही है...

श्री अध्यक्ष : देयर शुड बी नो स्पीच प्लीज।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : स्टेटमेन्ट चाहिए अध्यक्ष महोदय, आप उनसे स्टेटमेन्ट दिलाइये।

श्री गुमानमल लोढा : पिछले दिन माननीय मुख्य मन्त्री महोदय वक्तव्य दे रहे थे उस दिन व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था तब यह कहा गया था कि स्थगन प्रस्ताव न आया है और न है इस पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जावेगा। हमें आशा थी कि इतना भयानक भीषण लाठी चार्ज के सम्बन्ध में और शिक्षकों की मांगों के सम्बन्ध में, शिक्षा मन्त्री और मुख्य मन्त्री से बातचीत हो चुकी थी और समझौता भी जिन पर हो गया था और घोषणा होने वाली थी कि उस वक्त दुर्घटना हुई, जिसमें शिक्षकों का खून बहा और विधान सभा के प्रांगण में इस बारे में चर्चा उठी। हमें यह आशा थी कि मुख्य मन्त्री और शिक्षा मन्त्री सरकार की नीति को स्पष्ट करेंगे कि शिक्षकों की मांगों को कहां तक स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहां आने के पश्चात् यह कहा जा रहा है कि जानकारी चाही जा रही है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप कृपया शिक्षा मन्त्री और मुख्य मन्त्री महोदय को स्पष्ट आदेश दें कि वे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। बाहर धरणा हो रहा है। राजस्थान में काला दिवस मनाया जा रहा है। सारे शिक्षक हड़ताल पर हैं। दफा 144 लगा दी गई है और नागरिक हकों का दमन हो रहा है।

आज अध्यापकों के साथ बुरी तरह से दमन हो रहा है और दूसरी तरफ केवल जानकारी चाही जा रही है क्या जानकारी चाहेंगे आप। शिक्षा मन्त्री स्वयं यहां बैठे हैं। डेपूटेशन उनसे, मुख्य मन्त्री से मिल चुका है। बातचीत उनकी हो चुकी है। निष्कर्ष निकल चुके हैं। इसलिये सम्भव हो तो आज नहीं तो कल स्पष्ट वक्तव्य दें। मुझे दुख है कि बिना किसी टीस के, दुख के, दर्द के, क्षोभ के मुख्य मन्त्री कहीं चले गये। पर कोई बात नहीं किसी कार्यवश

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
चले गये होंगे, कल स्पष्टीकरण किया जावे। यह मेरी मांग है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि स्थगन प्रस्ताव के बारे में 16 तारीख की घटना पर जो वक्तव्य दिया गया था तथ्य उससे भिन्न हैं। मैं नहीं समझता कि यह क्यों हुआ? एक बात स्पष्ट है कि 14 को शिक्षा मन्त्री बैठे थे, मुख्य मन्त्री थे, अध्यापक थे। उनकी बैठक हुई। शिक्षा आयुक्त भी थे, निदेशक भी थे। भूतपूर्व निदेशक भी थे। उनमें समझौता हो चुका था। लिखित रूप में देने की बात रह गई थी।

(दर्शक दीर्घा से नादिरशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, शिक्षा मन्त्री को बर्खास्त करो, नारे लगाते हुए कुछ दर्शकों ने सदन के प्रांगण में छपे हुए पर्चे फेंके)।

मै समझता हूं कि यह छोटी सी बात थी। लिखित रूप में दे देने के बाद सारा मामला समाप्त हो जाता। पर सरकार की इस गलत कार्यवाही के कारण आज सभी दुखी हैं। शिक्षित भी, बच्चों के अभिभावक भी। वे आगे की कार्यवाही करने के लिये बैठे हैं। सरकार मामला पुलिस को सौंप कर निश्चिन्त है। यह स्थिति अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। मै समझता हूं कि जब आपस में समझौता हो चुका है तो लिखित में देने मे शिक्षा मन्त्रीजी को संकोच नहीं करना चाहिये। इससे कटुता मिटेगी अन्यथा फैलेगी। इसका असर बच्चों को शिक्षा पर बुरा पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, स्वयं मुख्य मन्त्री की इन सीनियर टीचरों के बारे में बड़ी अच्छी धारणा है, जिसे उन्होंने काफी स्पष्ट शब्दों में प्रकट किया है। मैं थोड़े में उनको आपके सामने रख देना चाहता हूं। केवल तीन चार लाइने हैं :

The Ranawat Pay Commission has done less than justice to the cause of senior teachers. A senior teacher is more qualified than a lecturer because in addition to the Post Graduate degree he possess the professional degree in Education. Moreover the work load on his shoulders is also greater, so minimum justice will be done to them, if they are put at par with a lecturer in the matter of pay scales.

I am afraid if the legitimate demands of senior teachers are not met at this juncture, there will be a wide dissatisfaction which all of us would like to avoid.

यह हमारे मुख्य मन्त्री का स्वयं का कथन है। तो मेरा निवेदन है कि यह मसला आपस में बैठकर तय हो सकता है। आप इसे तै कर लें। यह सब के हित की बात होगी। आसन्न संकट को इस तरह से टाला भी जा सकता है।

सदन प्रांगण में दर्शक दीर्घा से पर्चे फेंकने सम्बन्धी व्यवस्था का प्रश्न।

श्री प्री. केदारनाथ : ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर।

अभी हाउस में कुछ पर्चे फेंके गये हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि इस अशांति को अपने ध्यान में रखकर इस मसले को आप जल्दी से हल करें। इसकी क्या भूमिका है आप जानते हैं। इसे ध्यान में रखकर इसका हल आप निकालें।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि 16 की घटना के बारे में सदन में चर्चा हो रही थी कि इसी बीच नारे लगाये गये और ये पर्चे फेंके गये। यह सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा का भंग है। मैं नहीं जानता कि ये कौन हैं? अध्यापक हैं या और लोग हैं। मैं यह प्रस्ताव करूंगा कि इस घटना की जांच की जानी चाहिये और उनको सदन की कस्टडी में लिया जाना चाहिये।

श्री भानुकमार शास्त्री : 16 को कहीं ऐसी घटना नहीं हुई।

श्री श्रीराम गोटेवाला : 16 की घटना की चर्चा के समय ऐसा कहा है उन्होंने।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन कर रहा था कि इस समस्या को शीघ्र निपटाया जाय। आज राजस्थान शिक्षक संघ की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि 19 से 22 तक वह सेक्रेटेरियट और सिविल लाइन में पिकेटिंग करेंगे और इससे पहले उन्होंने अपनी 12 सूत्री मांगें भी रखी थीं।

शिक्षक संघ में चुनावों को लेकर आपस में झगड़े भी हैं जो लोग चुनाव में हार गये उन्होंने दूसरा शिक्षक संघ बना लिया और इस पिकेटिंग की घोषणा की है।

शिक्षकों का विशाल बहुमत है। उनके शान्तिपूर्ण आन्दोलन में धारा 144 लगा कर सरकार अशान्ति बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 16 तारीख को भी जो घटना हुई उसमें भी उनके आपसी चुनावों को लेकर झगड़ा था, जो दल हार गया वह इस तरह से अपने को मान्यता दिलवाने का प्रयास कर रहा है। मांगों के लिये नहीं कर रहा है उतनी जितनी अपनी मान्यता के लिये। इनकी मुख्य मांगें 22 हैं जिनमें मुख्यतया शिक्षण संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण भी है। सदन में एसी संस्थाओं का जिक्र भी आया जैसे आदर्श विद्या मन्दिर हुई जो टीचरों को पूरा पेमेन्ट नहीं करती, नियमों का पालन नहीं करती। उनका राष्ट्रीयकरण किया जावे, शिक्षकों के एरियर का पेमेन्ट कराया जावे। तो सरकार को बजाय 144 धारा लगाने के उनसे बात करके ऐसी संस्थाओं के राष्ट्रीयकरण की घोषणा करनी चाहिये। केरल में इसी प्रकार के सवाल को लेकर वहां की सरकार ने साहस दिखाया था। शिक्षा जैसे विषय में जो दुकानदारी चलती है उसे रोका जाना चाहिये। इन संस्थाओं में अवांछनीय अराष्ट्रीय कार्यवाहियां भी होती हैं। ऐसा करने से उनको रोकने का भी मौका मिलेगा। इस तरह से शिक्षक संघ अपनी मांगों के लिये ही नहीं लड़ रहा है, बल्कि राष्ट्रीय नीतियों के लिये भी लड़ रहा है। इस पर सरकार को तुरन्त वक्तव्य देना चाहिये और स्थिति को सामान्य बनाने की कोशिश करनी चाहिये। हल निकालना चाहिये। बात करनी चाहिये ताकि मामला आगे नहीं बढ़े।

Page No 50

(50)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : अध्यक्ष महोदय, शिक्षकों की जहां तक वाजिब मांगों का प्रश्न है हमारी सहानुभूति उनके साथ है लेकिन उन्होंने अपनी मांगों के लिए समय ऐसा चुना है जो इम्तिहानों का है। इनका आपस में चुनाव हुआ। इसमें एक दल हार गया। दूसरा जीत गया। एक दल अपनी मांग 22 सूत्री रखकर अपनी अहमियत बताना चाहता है तो दूसरा सम्भव है अपनी 25 या 30 मांगें रखकर अपना अस्तित्व प्रकट करना चाहे।

इधर करोड़ों रुपया सरकार शिक्षकों और शिक्षा पर खर्च करती है जो गरीब जनता की जेब से आता है। इसका परिणाम अगर यह निकलता है तो यह दुर्भाग्य है हमारा। मेरा नम्र निवेदन है कि इस आन्दोलन को इस तरह से बढ़ावा न दें। जितनी उनकी वाजिब मांगें हैं सभी पक्ष विपक्ष आपस में एक जगह बैठकर तय कर लें। शिक्षा मन्त्री आपसी बातों से कोई रास्ता निकाल सकते हैं। और उनकी वाजिब बहुतसी मांगें हैं, मैं मानता हूं उनको स्वीकार किया जाना चाहिये। किन्तु शिक्षकों के लिए यह कतई उपयुक्त नहीं है कि इस तरह का वातावरण बनावें जिससे खून खराबी हो और लोगों के चोटें आयें। पुलिस एक फोर्स के रूप में होती है लेकिन मैं कहता हूं एक पक्ष के, यहां तो जो पुलिस रहती है वह सशस्त्र पुलिस रहती है और बदनाम पुलिस है और वह सिविल पुलिस है। उसके तो बहुत से शिकार हो सकते हैं। यह आम तौर से समाज के गरीब से गरीब लोग हैं। ए.पी. में चाहे आर. ए.सी. में भर्ती हो जाते हैं। ठीक है कि उनको कभी कभी ऐसा काम करना पड़ता है लेकिन वे अपनी तरफ से नहीं करते हैं। मजिस्ट्रेट मौके पर रहते हैं, अधिकारी मौके पर रहते हैं। ये पुलिस वाले बहुत संयम से काम लेते हैं।

दुख की बात है उस घटना पर, इतने इतने बड़े पत्थरों से प्रहार हुआ। आखिर उनके भी बाल बच्चे हैं, उनके भी औरतें हैं। जिस व्यक्ति से कोई द्वेष नहीं है लेकिन जो बर्ताव होता है, कई दफा ....

श्री अध्यक्ष : थोड़े में फरमायें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : स्वाभाविक बात है वे तो अन्दर नहीं आने देंगे। इस तरह की घटनायें होती हैं, मैं मानता हूं शिक्षकों ने शपथ ली है। हम जनतन्त्र के माध्यम से बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन मैं समझता हूं इस तरह प्रोत्साहन नहीं करना चाहिये। समाज में कई प्रकार के ऐसे वर्ग हैं वे आन्दोलन कर नहीं सकते हैं। दो टाइम रोटी भी बहुत से भाइयों को आज नहीं मिल रही है। सरकार कहीं भग नहीं जायगी, सरकार तो यहीं रहने वाली है। दो महीने बाद में भी यह हो सकता था। अभी पढ़ाई का वक्त है....

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : धीरे-धीरे उस पर आन्दोलन खड़ा करना...

श्री अध्यक्ष : समाप्त करिये।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : ये मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनको आप राजनीति में मत डालो। शिक्षा मन्त्रीजी ने 5–25 रुपये बढ़ाये और ये सब समाप्त हो जायेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट निवेदन करना चाहता हूं...

एक माननीय सदस्य : यह तो इल्जाम लगाया है...

श्री अध्यक्ष : पहले सुन लीजिये।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय मुझे निवेदन करना है। आपने अपने निर्णय में कहा है कि गवर्नमेंन्ट से राय मांगी जा रही है। गवर्नमेन्ट आपको सूचना भेज देगी। अभी जो विवाद हो रहा है उसमें गवर्नमेन्ट को कहने का अवसर नहीं मिल रहा है आप महरबानी करके कोई तारीख तय कर लीजिये। गवर्नमेन्ट स्टेटमेंट दे देगी। यहां पर दमन करने का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य कुछ घटनाओं को नजर-न्दाज करें। सामने की तरफ से पिकेटिंग होवे और उसमें पुलिस लाठी चार्ज करे, यह एक तरफा बात होगी।

श्री गुमानमल लोढ़ा : यह आपका स्टेटमेन्ट हो रहा है क्या ? आप अपना निर्णय बाद में दीजिये। इस बारे में आप पहले जानकारी कर लीजिये और फिर बाद में कोई निर्णय दीजिये।

श्री हरिदेव जोशी: मैं जानकारी करके ही दे रहा हूं। आप कोई तारीख तय कर लीजिये। गवर्नमेन्ट स्टेटमेन्ट देगी। अध्यापकों के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है। गवर्नमेन्ट बहुत साफ है। निगोशियेसन्स किये हैं...

They are the teachers of the govt.

श्री गुमानमल लोढ़ा : अध्यापकों के साथ कोई समझौता...

श्री हरिदेव जोशी : गवर्नमेन्ट अपना स्टेटमेन्ट देगी, उसमें साफ कर देगी।

श्री अध्यक्ष : दो प्रश्न सामने हैं। एक तो यह है कि 16 तारीख को यहां पर लाठी चार्ज वगैरह हुआ, उसके सम्बन्ध में कुछ कहने सुनने की बात है दूसरा उसी से जुड़ा हुआ जो शिक्षक लोग हैं उनकी जो मांगे हैं उनके सम्बन्ध में जो फैसला होना है जो कम्प्रोमाइज होना है, उसका निर्णय देना दो बात है। मैं समझता हूं पहले पाइन्ट पर, जो 16 तारीख को लाठी चार्ज हुआ, मैंने भी निवेदन किया उसको आज ले लें लेकिन आपका भी यह आग्रह रहा और मैंने भी आपके आग्रह में कोई दखलन्दाजी नहीं करना चाहा। उस दिन 20 मिनट में काफी हो गया था और मुख्य मन्त्रीजी ने भी जवाब दिया था—शिक्षकों के सम्बन्ध में और मांगों के बारे में। मैं समझता हूं परसों शिक्षा मन्त्री जी अपना वक्तव्य दे देंगे।

श्री चन्दनमल वैद (शिक्षा मन्त्री) : मैं तो कल ही देने को तैयार हूं, आज ही देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष : कल ही दोनों वक्तव्य हो जायेंगे। सिविल लाइन्स के पास जो लाठी चार्ज हुआ है उस पर भी कल ही हो जायगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो पिकेटिंग हो रहा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : मुख्य चीज यह है कि पिकेटिंग हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : उस स्थिति के सम्बन्ध में ही तो कह रहा हूं। आपके ही प्रश्न को तो हल करता जा रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : पिकेटिंग मुख्य पाइन्ट है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये आर. एस. एस. के लोग हैं, आपको फायदा होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत हो तो ही फरमायें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं वही निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : क्या निवेदन कर रहे हैं?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : एक मिनिट में निवेदन करना है...

श्री अध्यक्ष : बहुत आवश्यक है क्या। बहुत कुछ कहा जा चुका है। बहुत आवश्यक हो तो ही बोलें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मुझे एक मिनट का ही समय चाहिये। मैं निवेदन कर रहा हूं न तो शिक्षकों की मांगों को राजनीतिक रंग देने का प्रश्न है और न कोई और बात है मैं तो निवेदन कर रहा हूं..

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

मई के महीने में पिछली विधान सभा के समय शिक्षकों ने यहां प्रदर्शन किया था। माननीय मुख्य मन्त्री जी अब यहां नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : वह तो शास्त्री जी बता चुके हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : शिक्षा मंत्री श्री नारायणसिंह जी मसूदा साहब को एक ज्ञापन दिया था और मांग की थी कि..

श्री अध्यक्ष : अब कृपया समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी आपसे यह निवेदन है कि उन्होंने शिक्षकों को..

श्री अध्यक्ष : (Now please) कृपया समाप्त करें। एक मिनट का समय हो गया है।

(व्यवस्था सूचक घन्टी)

(श्री गिरधारी लाल भार्गव के बराबर बोलते रहने पर अश्रव्य) पर्याप्त समय हो गया है और पर्याप्त समय देने के बाद भी आप बराबर बोल रहे हैं।

(व्यवस्था सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : कृपया विराजें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं आपको कल उत्तर दे दूंगा, माननीय अध्यक्ष जी यह कहना कि प्रदर्शन करके जो कुछ करना है वह नहीं हो सकता है। मैं समझता हूं इस

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)
प्रकार की बात का कहना शिक्षा मन्त्री जी के लिये शोभनीय नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अब मैं आपको कोई समय नहीं देना चाहता हूं। मेरे पास इस समय कोई समय नहीं है।

(बराबर बोलते रहने पर)

इस समय मेरी बात मान लीजिये।

(लगातार घन्टी बजने से अश्रव्य)

श्री गिरधारी लाल भार्गव : (अश्रव्य) उनकी वाजिब मांगों को मानने का।

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष जी, पाइन्ट आफ आर्डर प्लीज। पाइन्ट आफ आर्डर!

श्री खेतसिंह : माननीय अध्यक्ष जी ये बार बार खड़े हो जाते हैं। इनके खिलाफ कार्यवाही की जाय और इनको कहा जाय।

(दोनों माननीय सदस्यों के बराबर बोलते रहने से अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने धारा लगादी है 144, सचिवालय के बाहर 145 कांग्रेस के लोग हैं, आप बन गये सचेतक अब 144 रहेंगे। इसलिये आप विधान सभा में भी 144 लगादें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे मिलता है आम तौर से। मेरी धारणा है सभी सदस्यों का सहयोग मिलता है लेकिन कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको बराबर कहने के बावजूद भी नहीं रुकते हैं और उनका सहयोग नहीं मिलता है और कार्य में विलम्ब करते हैं।

मैं इसलिए नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आगे यह ध्यान रखें। कहीं मजबूरी में मुझे कार्यवाही के लिये सोचना पड़े। मैं सबको पूरी आजादी देता हूं, समय देता हूं....

श्री गुमानमल लोढा : आप अवश्य कीजिये लेकिन सचेतक महोदय के कहने से जोश में मत आइये।

श्री अध्यक्ष : कतई नहीं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप भारतीय जी का उपयोग कर लिजिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैंने दो मिनट का समय मांगा था।

श्री अध्यक्ष : 2 के 5 मिनट हो गए।

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि 16 तारीख को जो भी यहां घटना हुई उसके बारे में यहां काफी वाद-विवाद भी हो गया था और चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कुछ कहा था और उसके अलावा शिक्षक संघ के संबंध में वक्तव्य कल यहां देंगे शिक्षा मन्त्री जी और जो सिविल लाइन्स के रेल्वे क्रासिंग के आसपास लाठी चार्ज हुआ उसके सम्बन्ध में भी कल ही वक्तव्य देने के लिये गृह मन्त्री जी से मैं प्रार्थना करूंगा। इसी तरह से धारा 144 की बात है उसका भी कल ही जवाब हो जाये। और एक बात

(श्री अध्यक्ष)

और रही जो अभी सदन के अन्दर जो कुछ हुआ वह आपने देखा, कुछ पर्चे फेंके गये, कुछ नारे लगाये गए। मैं समझता हूं कि वह निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है, लेकिन मैं अभी उस मामले में कुछ जानकारी करूंगा कि वह कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, किसके पास से आये हैं और कैसे आये हैं–वह जानकारी करने के बाद मैं सदन में जानकारी दूंगा और उसके बाद कोई कार्यवाही करूंगा।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मेरा···

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, एक स्थगन प्रस्ताव था प्रतापगढ़ के बारे में। वहां गिरफ्तारियां की जा रही है···

श्री अध्यक्ष : जानकारी चाही है। दोनों एक ही नेचर के हैं।

श्री गुमानमल लोढा : अभी अभी तार आया है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : तार आया है तो कौनसी ऐसी बात हो गई है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी स्थगन प्रस्ताव है। तारीख 12 फरवरी को···

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये मैं दूसरा आइटम ले चुका हूं। अधिसूचनाएं····

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक जानकारी देनी है। ऐसा है कि गंगानगर में उप-जिला अधिकारी हैं···

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में भी जानकारी चाही है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जानकारी का प्रश्न नहीं है गंगानगर बन्द होने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष : जल्दी ही कर लेंगे।

अधिसूचनायें।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

अधिसूचनायें

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री, नियुक्ति) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियुक्ति–विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 6(48) नियुक्तिक–11170 दिनांक 11 अगस्त, 1972 एवं अधिसूचना संख्या एफ 23(2) नियुक्ति (क) 160 पार्ट 2 दिनांक 6 अप्रेल, 1972 को सदन की मेज पर रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या एफ 8(1) नियुक्ति (क–2)। 71 दिनांक 4 अगस्त, 1972 को प्रक्रिया के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुन: सदन की मेज पर रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 28 (51) उद्योग।71 दिनांक 22 अगस्त, 1972 को सदन की मेज पर रखता हूं, तथा अधिसूचना संख्या प 6 (26) उद्योग (क):63 दिनांक 7 अक्टूबर, 1971 की प्रक्रिया के नियम 169

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(2) के अन्तिम पुनः सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री हरिदेव जोशी (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन विभाग की अधिसूचना संख्या प 13 (5) 60 एच. बी-1164 दिनांक 17 अप्रेल, 1967 को सदन की मेज पर रखता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या एफ 1(3)17 एच.बी—ग्रुप 1163 दिनांक 26 अप्रेल, 1972 को प्रक्रिया के नियम 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत एवं विकास की अधिसूचनायें....

(1) अधिसूचना संख्या एफ.4।एल.जे.। पंचायत।72।4239, दिनांक 25 नवम्बर, 1972, एवं

(2) अधिसूचना संख्या एफ.4।एल.।पी. एस.।ए. आर.।3।72।3640, दिनांक 25 सितम्बर, 1972

(3) अधिसूचना संख्या एफ.4 (एल. जे.) 4(7) 68।1103—8, दिनांक 26 अप्रेल, 1972,

(4) अधिसूचना संख्या एफ 4।।एल.। पी. एस.।ए. आर.।1।70।1883—92, दिनांक 24 अप्रेल, 1972,

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल. पी. एस.।ए. आर.।6।71।1063—82 दिनांक 24 अप्रेल, 1972,

(6) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल.।पी. एस.।ए. आर.।5।71।1809—47 दिनांक 23 जून, 1972,

(7) अधिसूचना संख्या एफ. 4।एल.।पी. एस.।ए. आर.।9।69।1448-55 दिनांक 23 जून, 1972 और

(8) अधिसूचना संख्या एफ 4।एल.पी. एस.।ए, आर।3।69।2146 दिनांक 19 जुलाई, 1972

को प्रक्रिया के नियम 196(2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व एवं राजस्व (उपनिवेशन) विभागों की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

(1) अधिसूचना संख्या एफ. 4(ग)(1) राज.।उपनिवेशन।71, दिनांक 16-6-1972

(2) अधिसूचना संख्या एफ 24।15 उप।70 दिनांक 17 अगस्त, 1972

(3) अधिसूचना संख्या 4(सी) (1) राज।उप 71 दिनांक 7-9-1972।

(4) अधिसूचना संख्या 4(सी) (1) राज.।उप।71, दिनांक 11 सितम्बर, 1972,

(5) अधिसूचना संख्या एफ. 4 (बी) (1) रेवेन्यू।उपनिवेशन।70, दिनांक 25-9-1972।

(6) अधिसूचना संख्या 4 (घ) (1) राज।उप।68, दिनांक 16-9-1972।

(श्री रामचन्द्र चौधरी)

(7) अधिसूचना संख्या एफ.4(अ) (1) राज।उप.168, दिनांक 15 सितम्बर, 1972।

(8) अधिसूचना संख्या एफ. 22(54) राज.।उप.168, दिनांक 12-10-1972।

(9) अधिसूचना संख्या एफ. 22(60) राज।उप।64 दिनांक 10-11-1972।

(10) अधिसूचना संख्या एफ.4(अ) (3) राज।उप।70 दिनांक 31-10-1972।

(11) अधिसूचना संख्या 4 (स) (1) राज।उप।71 दिनांक 10-11-1972।

(12) अधिसूचना संख्या एफ(क) (1) रैब।(कोल) 70 दिनांक 20-12-1972।

वित्त विभाग

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री)। अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचायें पुनः सदन की मेज पर रखता हूं।

(1) अधिसूचना संख्या एफ.4(2)एफ. डी.।एक्स।71 दिनांक 11 मई, 1972।

(2) अधिसूचना संख्या एफ. 16 (3) एफ. डी.।वा. कर।71 दिनांक 16 मई, 1972।

(3) अधिसूचना संख्या एफ. 16(3) एफ. डी.।सी. टी.।71–1 (जी. एस. आर.। 25) दिनांक 23 जुलाई, 1972।

(ये अधिसूचनायें गत दो सत्रों में सदन की मेज पर रखी गयी थीं परन्तु राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 की धारा 71(3) व राजस्थान यात्री तथा मालकर अधिनियम, 1959 की धारा 21(3) के अन्तर्गत अपेक्षित कालावधि पूर्ण न हो सकने के कारण इन्हें राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, 169 (2) के अन्तर्गत पुनः सदन की मेज पर रखा गया है।)

प्रतिवेदन एवं लेखे आदि

श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री उद्योग) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 ए की उप-धारा (8) के भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखती हूं:–

(1) राजस्थान लघु उद्योग निगम का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1971–72।

(2) राजस्थान वित्त निगम का 17 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे।

श्री हरिदेव जोशी (यातायात मंत्री)। अध्यक्ष महोदय, मैं पथ परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1971–72 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री परसराम मदेरणा (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

1956 की धारा 619 ए की उप-धारा (3) के भाग (बी) के अन्तर्गत निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज पर रखती हूं:–

(1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड का 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित दूसरा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे ।

(2) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड का 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित तीसरा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, तथा

(3) कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम के 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष से सम्बन्धित लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणी ।

विधायी कार्य

राजस्थान अभिधृति (टीनेन्सी) विधेयक, 1972 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी ।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति (टिनेन्सी विधेयक), 1972 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में····

श्री यशवन्त सिंह नाहर : मुझे भी इस बारे में निवेदन करना है ।

(व्यवधान)

श्री रामानन्द अग्रवाल : निवेदन करना है···

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आप कुछ कह रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जी हां ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप तो मेम्बर हैं इस कमेटी के ।

श्री गुमनामल लोढ़ा : इससे क्या होता है ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप क्या कहेंगे ।

श्री गुमानमल लोढा : मेम्बर होने से क्या होता है । अपनी बात तो यहां कह सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस कमेटी का निर्माण पिछले सदन में, जो बजट सेशन हुआ था उसमें किया गया था और इसकी अवधि अगले सत्र तक के लिए थी । वह सत्र बहुत छोटा था । उस सत्र के और इस सत्र के बीच में इस कमेटी की केवल एक शुरूआती मीटिंग इसलिए बुलाई गई कि अगली मीटिंग कब बुलाई जाय । उसके बाद जितनी भी मीटिंगें बुलाई गई यहां सब मीटिंगों में उपस्थित

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

होने से पहले ही तार के जरिए कौंसिल की सूचना भेज दी गई। इस तरीके से तीन, चार, पांच दफा हुआ। अब जब कि इस सदन की मीटिंग बुलाई जाने वाली थी, इस बात का बराबर एजीटेशन हुआ, शिकायत भी हुई, यहां तक कि भारत सरकार को पार्टीज की तरफ से प्रतिवेदन दिए गए कि यहां के रैवेन्यू मिनिस्टर टेनेन्सी रिफार्म में इंटरेस्टेड नहीं हैं और उसकी वजह से इस बिल को स्टाल करने के लिए इस तरह से मीटिंग्स स्थगित करते रहते हैं, तब यह मीटिंग बुलाई गई। और जब इस सदन की यह मीटिंग 16 तारीख को होने वाली थी तो इस कमेटी की मीटिंग 22 जनवरी को बुलाई गई और फिर इतना बड़ा, यह जो बिल है, इसमें इतने क्लोजेज हैं, इतना डिस्कशन होना है तो वह इतना जल्दी नहीं हो सकता था। फिर, माननीय अध्यक्ष महोदय, जान बूझ कर चेयरमैन की तरफ से इसमें देरी की जा रही है। इसलिए एक तो मेरा प्रस्ताव है कि इस कमेटी का पुनर्गठन होना चाहिए इसका चेयरमैन किसी और व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो कि वास्तव में इस बिल को पायलेट करने में दिलचस्पी रखता हो।

दूसरा मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस कमेटी को इसी सदन के अन्दर, एक दो महीने करीब यह सदन बैठेगा, तो एक महीने का टाइम दे दिया जाय जिसके दौरान इस पर डिस्कशन हो जाय और कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार कर पेश कर दें इससे पहले कि यह सदन स्थगित हो ताकि इसके अन्दर हम इस बिल को ले आएं और इस बिल को पास कर सकें, इस बात की व्यवस्था करनी चाहिए। पहले ही इतनी डिले हो चुकी है।

अध्यक्ष महोदय, पहले भी यह बिल दो दफा लेप्स हो चुका है, टेनेन्सी बिल लेप्स होता जा रहा है, इसलिए मैं समझता हूं कि यह देश के किसानों की मांग है कि टेनेन्सी रिफार्म हो। इस दृष्टि से मेरा निवेदन है कि यह जो मांग की गई कि इसे अगले सत्र के लिए बढ़ा दिया जाए, यह फिर बिल को स्टाल करने की बात है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कमेटी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए और इसका चेयरमैन दूसरा व्यक्ति बनाया जाना चाहिए और इसको एक महीने की अवधि देकर यहां पर बिल लाया जाना चाहिए।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय...

श्री गुमानमल लोढा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : आपको (राजस्व मंत्रीजी को) पहले कह लेने दें स्थिति स्पष्ट हो जाय।

श्री गुमानमल लोढा : दोनों का जवाब साथ ही दे देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में अत्यन्त वेदना के साथ निवेदन करता हूं कि यह इतना महत्वपूर्ण बिल है...

श्री अध्यक्ष : आप भी सदस्य हैं।

श्री गुमानमल लोढा : मैं सदस्य हूं इसीलिए दुःख है। दुःख इस बात का है कि

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

हुए बार बुलाई मीटिंग में आने की तैयारी की, आने का प्रबन्ध किया और उससे पहले ही टेलीग्राम पहुँच गया कि मीटिंग एड-जोर्न्ड। अगर माननीय मंत्री महोदय इतने प्री-ओकोपाइड हैं, उनके पास इतना अधिक कार्य है, इतने अधिक विभाग हैं और अधिक कार्य व्यवस्था के कारण समय नहीं दे सकते हैं तो इसमें किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। हमारे यहां बहुत अधिक मंत्री हैं, दूसरे व्यक्ति हैं जो यह कार्य करने को तैयार हैं, उनको अवसर दीजिए। यह नहीं होना चाहिए कि इसकी बारबार मीटिंगें बुलाई जायं और बारबार स्थगित कर दी जायं। विधान सभा जल्दी मिलती नहीं। छः महीने का समय जब समाप्त होने को आ गया और कांस्टीट्यूशन की व्यवस्था के अनुसार विधान सभा लैप्स हो जाएगी अगर छः महीने में विधान सभा की बैठक नहीं हुई तो इसलिए अब विधान सभा की बैठक बुलाई गई है। जितनी कमेटीज बनी हैं, कंसल्टेटिव कमेटी टेनेंसी की, रेवेन्यू की उनकी बैठकें बुलावें नहीं, बैठक एक बुलाई गई तो भी आधा घण्टे के लिए और औपचारिक बातें करके बैठक को एडजोर्न कर दिया गया। यह व्यवस्था एक तरफ से लोकतंत्रीय परम्पराओं की हत्या हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यहां पर इस पर विचार करें और इसकी अवधि के बारे में निर्देश दें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मुझे अर्ज करना है . . .

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, इस महत्व पूर्ण बिल के सम्बन्ध में सिलेक्ट कमेटी विचार करती है। यह सही बात है कि इसकी मीटिंगें बहुत कम बुलाई गई। इसके कई कारण हो सकते हैं लेकिन अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा कि इस समिति का अध्यक्ष दूसरा व्यक्ति रखा जाय यह बिल्कुल अव्यवहारिक बात है। क्योंकि राजस्व सम्बन्धी विषयों के बारे में सरकार का प्रतिनिधित्व राजस्व मंत्री करते हैं और वहां पर अपनी सरकार की नीति की उद्घोषणा करते हैं और मेरा खयाल है कि वहां पर वह व्यक्तिगत हैसियत से नहीं, बल्कि सरकार की नीति को सामने रखते हैं। किसी भी सलेक्ट कमेटी में मंत्री, जो पदेन सभापति होते हैं, वहां पर वह अपनी व्यक्तिगत नीति नहीं रख कर सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए उनके बजाय किसी दूसरे व्यक्ति को चेयरमैन बनाना अव्यवहारिक है।

रहा सवाल जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य का कि यह महत्वपूर्ण बिल है, मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसको कितना महत्वपूर्ण समझते हैं कि दो बार इस कमेटी की मीटिंगें बुलाई गई लेकिन एक भी मीटिंग में शायद वे तशरीफ नहीं लाए। यह महत्व है इसका उनके लिए। मैं यह मानता हूं कि इसमें देरी अवश्य हुई है लेकिन शायद इस सदन के बाद में छोटा सा गेप आ सकता है और उस गेप के बाद जब दूसरी बार सदन मिले, उस सदन के पहले सप्ताह में यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सदन के समक्ष पेश कर दे, इसमें कोई अव्यवहारिक बात नहीं

(श्री शिवचरण माथुर)

है। मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव रखा गया है चेयरमैन बदलने का वह तो कम से कम व्यवहारिक नहीं है।

श्री **मोहम्मद गफ्फार अली** : अध्यक्ष महोदय, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर महोदय का दिल दिमाग इसका समर्थक नहीं है और इसीलिए इस बिल को टालने की कोशिश करते हैं। अगर उनका दिमाग इस बिल के साथ होता, इसकी सिफारिशों को मानने को तैयार होते तो शायद इतनी देरी नहीं करते। इसलिए यह प्रस्ताव है कि इसका चेयरमैन दूसरा व्यक्ति रखा जाय। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो अव्यवहारिक हो। कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। आपको याद होगा कि जब इस सदन में सीलिंग के बारे में बिल रखा गया तो मुख्य मंत्री महोदय ने इस सदन में विश्वास दिया था कि हम टीनेंसी एक्ट में इस प्रकार का संशोधन करेंगे कि जो काश्तकारी का पेशा करता है वही काश्तकार माना जाएगा····

श्री अध्यक्ष : आप जल्दी समाप्त करें।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : इस तरह की टालमटोल करने से ऐसा लगने लगा है कि वे इस किस्म डेफिनेशन के विपरीत खयाल रखते हैं और इसलिए इसको टालने की कोशिश करते हैं। मेरा सुझाव है कि इस महीने के अन्दर इस बिल को लाया जाय ताकि किसानों को राहत मिल सके और दूसरा व्यवसाय करते हैं, जो वकालात करते हैं, व्यापार करते हैं, धन्धा करते हैं, मिनिस्टर हैं उनकी जमीनें तो कम से कम उपलब्ध हो जावें।

श्री अध्यक्ष : अब आप आसन ग्रहण करें।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं····

श्री पूनमचन्द विश्नोई : काश्तकार की डेफिनेशन लिखने का काम तो रामानन्दजी के जिम्मे कमेटी ने रखा था··

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं संक्षेप में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मंजूर कर लोगे ना? वह तो अभी आधा घण्टे में लिख देंगे।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें देरी अवश्य हुई है। यह रेडटेप है। किसी की इन्टेन्शन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। व्यक्तिगत रूप से किसी के विरुद्ध कुछ नहीं कहना चाहता हूं। माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर साहब हैं पदेन सभापति इसके, होने ही चाहिए। किन्तु जो देरी हुई है उसके सम्बन्ध में मुझे आपत्ति अवश्य है।

दूसरा मेरा निवेदन करना यह है...

(व्यवधान)

आप मुझे कन्फ्यूज कर रहे हैं रामानन्दजी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : देर से तो आपको फायदा हुआ ही है।

श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह अगर यह कहना चाहते हैं कि मैं प्रतिक्रिया

(श्री लक्ष्मणसिंह)

वादी हूं, तो हूं, लेकिन इस तरह की देरी को पसन्द नहीं कर सकता हूं। माननीय सदस्य यह कह रहे हों कि मेरी जमीन चली जाएगी तो चली जाय, इसका स्वागत है। लेकिन इस तरह से देरी करके हम कितने दिन तक पास रख सकेंगे। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा के अनुसार आपको अपोजीशन को भी कन्फीडेन्स में लेना चाहिये। माननीय सदस्य, जो जोधपुर से आये हैं उन्होंने भी कई आपत्तियां आपके समक्ष रखी हैं, उनका एक हद तक मैं समर्थन करूंगा और साथ ही साथ निवेदन करूंगा कि सभापति तो पदेन सभापति ही रहना चाहिये और इस सम्बन्ध में जो रिपोर्ट है वह एक महीने के अन्दर आ जाये। कोई कारण नहीं कि सरकार एक महीने के अन्दर यह रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सके। सी. पी. आई. के सदस्य जो कहते हैं उनके कहने से मुझे कोई डर नहीं है। जो लेना है, जो छीनना है वह सब आप ले लीजिये लेकिन सामाजिक न्याय हो और इसमें देरी न हो और वक्त पर रिपोर्ट पेश हो, यही मेरा निवेदन है।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा: हलाल नहीं झटका चाहते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : झटका ही हो, जो कुछ करना हो वह तो करो। मैं सी. पी. आई से एक स्टेप और आगे हूं। सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट देने के बारे में आप मुझे प्रतिक्रियावादी बता रहे हैं परन्तु मैं इसके साथ आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि इसको पेश कराने में आप विलम्ब कर रोड़ा न डालें।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि आइन्दा स्पेशल सेशन बुलाकर इसको इन्ट्रोड्यूज कराया जाये क्योंकि इसका संबन्ध रूरल इकोनोमी से है। यह एक बड़ा इम्पोर्टेन्ट सवाल है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सी. पी. आई. तो आपके साथ कोआपरेशन कर रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम तो खुल कर सहयोग कर रहे हैं और आपका और रेवेन्यु मिनिस्टर का छिपा हुआ सहयोग है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: यह तो रेवेन्यु मिनिस्टर साहब ही बता सकते हैं।

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने टाइम बढ़ाने के सम्बन्ध में यहां पर जो आपत्ति प्रस्तुत की है उसके सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि इसके पहले 22 तारीख से यह सोचा था कि इसकी दस, पन्द्रह जितनी भी सिटिंग्स होंगी उसको करके सदन में इसी सत्र में इसकी रिपोर्ट पेश कर दें। लेकिन 22 तारीख के बाद यही माननीय सदस्य यह कहने लगे, मुझे अलवर जाना है, इसको पोस्टपोन कर दो....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं अकेला नहीं, हूं कमेटी में और भी सदस्य थे। आप चल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सकते थे कार्यवाही···· चार दिन के लिये बुलाई थी और तीन दिन मीटिंग हुई। इसके बाद···

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यहां तो मैं इस सिलेक्ट कमेटी का सभापति रेवेन्यु मिनिस्टर होने के नाते हूँ। इससे पहले भी यह दो बार लेप्स हो गई यह किसके जिम्मे था? यह चूंकि मेरे जिम्मे है इसलिये आप भारत सरकार से यह कह रहे हैं कि इसको डिसमिस कर दो, इसको हटा दो। परन्तु मैं आपको यह कह देना चाहता हूं कि मैं आपके वोट से नहीं बना हूं। जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यहां पर इसके बारे में आपत्ति उठायी है किन्तु इसके लिये जब मीटिंग बुलाई गई तो वे नहीं आये। माननीय सदस्य, जो अलवर से आये हैं, यहां पर बहस करते हैं परन्तु जब चार चार घंटे तक इसकी मीटिंग चली तो आपने वहां पर एक शब्द भी आगे नहीं बढ़ने दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप घास काटना चाहते हैं? यह भी कहा था वहां पर आप टाइम बढ़ाने का प्रस्ताव रखेंगे तो हम वहां पर एतराज करेंगे।

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारी यह मंशा थी कि इस सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट को इस असेम्बली के सेशन में रख देंगे। मैं यह चाहता था और इसके लिये तैयारी की थी और यह भी तय किया था कि असेम्बली के दौरान जब भी समय मिलेगा इस पर विचार करेंगे और इस रिपोर्ट को पूरा करेंगे और इस सेशन के दौरान नहीं कर सके तो अगले सत्र के पहले पहले इसको पूरा करेंगे। मैं अब भी यही चाहता हूं कि इसको इसी सत्र में ले लेंगे। आप इसके लिये मेरे पर इल्जाम लगा सकते हैं परन्तु यह पहली बार ही लेप्स नहीं हुआ है। इससे पहले जब लेप्स हुआ था तब आपने क्या इल्जाम लगाया था?

श्री अध्यक्ष : आपस की बात छोड़िये आगे चलिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक महीने का टाइम बढ़ा दीजिये।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

क्या सदन की राय है कि सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के उपस्थापन हेतु नियत समय को अगले सत्र के प्रारम्भ होने तक बढ़ा दिया जाये।

(स्वीकृत)

मियाद बढ़ाई गई।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, दूसरी राय नहीं पूछी गई है। मेरा दूसरा प्रस्ताव है कि इसकी अवधि एक महीने तक के लिये बढ़ा दी जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको दुबारा रख देता हूं।

एक माननीय सदस्य : मियाद बढ़ गई है। अब इसको रिप्रोपन नहीं किया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इसकी अवधि एक महीने के लिये बढ़वाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह अवधि अगले सत्र के प्रारम्भ होने तक बढ़ाई गई है। इसका अर्थ यह है कि यह एक डेफीनेट पीरियड रहता है उस समय तक यह बढ़ाई गई है। इसका स्पष्ट अर्थ यही होता है कि अगले सत्र के प्रारम्भ होने तक बढ़ाई गयी है। नेक्स्ट। पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयक।

विधेयकों का पुरःस्थापन

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, 1972 का पुरःस्थापन

श्री रामचन्द्र चौधरी (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक : पुरःस्थापित किया गया।

नेक्स्ट।

राजस्थान निरसन तथा संशोधन विधेयक, 1972 का पुरःस्थापन

श्री रामचन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय मैं राजस्थान निरसन तथा संशोधन विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, 1972 का पुरःस्थापन

श्री ओंकारलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान धर्म स्वातन्त्र्य विधेयक, 1972 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद

श्री शिवचरण माथुर।

राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव व उस पर वाद-विवाद

श्री शिवचरण माथुर (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित शब्दों में धन्यवाद दिया जाये :—

'इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिये, जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।'

(1.59 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के सब से पहले के सत्र में तारीख 16 फरवरी,

(श्री शिवचरण माथुर)

1973 को माननीय राज्यपाल महोदय ने संसदीय परम्पराओं के अनुकूल हमारा जो उद्बोधन किया और कृपा करके अपना भाषण इस सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसके लिए मैं उनके लिये कृतज्ञता प्रकट करने के लिये उपस्थित हुआ हूं। वैसे संसदीय प्रणाली के अनुसार राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सत्र में आने वाले महत्वपूर्ण विचारार्थ प्रश्नों का जिक्र होता है और राज्य सरकार की ओर से जो कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित किये गये हैं उनका भी जिक्र होने के साथ साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण काम जो आगे लिए जाने वाले हैं, उनका भी एक संकेत होता है। इस दृष्टि से जब यह सत्र इस वर्ष में पहली बार मिल रहा है, हम एक भयंकर परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जो कि अकाल की परिस्थिति है। इसलिए यह बहुत अच्छी बात थी कि राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में अकाल के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा करते और उन्होंने अपने भाषण के प्रारम्भ में, राजस्थान में इस समय जो अकाल की स्थिति चल रही है उसकी चर्चा की है। राज्यपाल महोदय ने हमारे प्रदेश की अकाल की चर्चा करते समय इस बात का जिक्र किया है, कि प्रदेश की सरकार अकाल की स्थिति का मुकाबला करने के लिए अपनी सामर्थ्य से जो भी प्रयत्न हो उसके करने के लिए कृत संकल्प है। मैं इस सदन की राजस्थान सरकार के प्रति यह भावना प्रकट करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार जो कुछ भी इस भयंकर संकट का मुकाबला कर रही है, उसके लिए वास्तव में धन्यवाद की पात्र है। इस स्थिति में जब कि हमारी सरकार के सामने कई समस्याएं हैं, उनका मुकाबला सम्भव नहीं होता है। राजस्थान के लिए अकाल कोई नई बात नहीं है। आप देखेंगे कि वैसे तो 1952 से 1973 तक राजस्थान में छोटे मोटे रूप में अकाल की स्थिति बनी रही है। ऐसा कोई वर्ष नहीं निकला है, जिसमें अकाल की स्थिति न रही हो। लेकिन 1964 और 1967 के दिनों के बाद भयंकर अकाल पड़ा है जिससे राजस्थान की स्थिति भयंकर बन गई है। किसी में 113 करोड़ किसी में 60 करोड़, किसी में 50 करोड़ की धनराशि खर्च करनी पड़ी है। प्रादेशिक सरकार की जितनी क्षमता है उससे इनका मुकाबला करना उस दृष्टि से यह मुश्किल था। यह सर्वमान्य बात है कि ऐसे दैवी संकटों का सामना करने की जिम्मेदारी आती है तो वह केन्द्रीय सरकार की आती है। इतना बड़ा दैवी संकट आये तो उसका सामना करने की किसी प्रादेशिक सरकार की सामर्थ्य नहीं हो सकती है। यही कारण है कि हमारे प्रदेश में छोटे मोटे क्षेत्रों में अकाल की स्थिति बनी रही है। भारत सरकार ने इसके लिए खुले दिल से सहायता की है। 1968-69 में 2300 गांव और एक लाख 45 हजार लोग प्रभावित हुये। उस समय 113 करोड़ की धनराशि खर्च की गई। किसी भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया गया है। लोगों को राहत मिल सके इसके लिए राहत के काम खोले गये।

पहले भी अकाल पड़ते थे। उस वक्त भी सरकार यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाती थी कि हमने अपनी सामर्थ्य

(श्री शिवचरण माथुर)

से मुकाबला किया। बंगाल में 30 लाख लोग मौत के घाट उतर गये थे। इस समय हमारे देश में जनता की हुकुमत है। लोगों की चुनी हुई हुकुमत है। उस हुकुमत का यह पहला दायित्व हो जाता है कि चाहे खजाना खाली हो जाये लेकिन एक भी व्यक्ति को भूख से न मरने दिया जाये। संकट का मुकाबला किया जाये। मैं मानता हूं कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार के सामने परिस्थितियां बनी हुई हैं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने और प्रधान मंत्री जी ने चर्चा की है। केन्द्रीय सहायता आने में यदि देर भी है तो राजस्थान के खजाने से वह खर्च करना चाहते हैं। हमें यह दुःख से कहना पड़ता है कि यह दायित्व केन्द्रीय सरकार का होते हुए भी किसी भी प्रदेश में ऐसी दैवी विपत्ति आये तो एक ऐसा प्रशासनिक तरीका बना हुआ है, ब्यूरोक्रेटिक ढांचा बना हुआ है। और उनका जो सहायता देने का जो तरीका बना हुआ है, वह ऐसा मालुम होता है कि जो लोग जब जाकर रिपोर्ट देते हैं तो दरअसल ऐसा आभास होता है कि जो वास्तविक कठिनाई है उससे उनको कोई सहानुभूति नहीं होती है। उसके अनुकूल उनकी भावना नही मालूम होती है। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों को अध्ययन करने के लिये नहीं भेजना चाहिये। केन्द्र से अकाल का अध्ययन करने के लिये जो दल आया उसके बारे में अखबारों में भी आया है। केन्द्रीय अध्ययन दल सर्किट हाऊस में ठहर कर केवल अफसरों से मिला। वह लोग कारों में आये और जहां पर सर्किट हाऊस की व्यवस्था नहीं थी वहां जाने से उन्होंने इनकार कर दिया। तो आप सोच सकते हैं, जहां ऐसी अकाल की स्थिति हो और उनका दृष्टिकोण सहानुभूति का नहीं है। 1972 में जो केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट पेश की गई स्थिति बहुत बिगड़ती जा रही थी तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने प्रधान मंत्री जी से निवेदन किया कि राजस्थान की स्थिति को अगर अभी नहीं सम्भाला गया तो लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति बिगड़ सकती है। प्रधान मंत्री ने जोधपुर के दौरे पर वहां की स्थिति को देखा और कहा कि चाहे कितना हो पैसा खर्च करना पड़े, हमें इसका मुकाबला करना होगा। मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्रीय अध्ययन दल आया उसका व्यवहार न केवल असहानुभूति पूर्ण था अपितु पक्षपात पूर्ण भी था। उनका कहना है कि कई प्रदेशों में अकाल है। गुजरात और महाराष्ट्र में अकाल का पहला मौका है। राजस्थान में अकाल हमेशा पड़ता रहा है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान के करोड़ों आदमी अकाल बरदाश्त कर लेंगे। बार बार अकाल पड़ने से क्या वह बरदाश्त करने वाला बन गया है? करीब 100 करोड़ की धनराशि महाराष्ट्र को दी गई। गुजरात को भी काफी राशि दी गई। लेकिन उसके मुकाबले राजस्थान को 5 करोड़ के आस पास की राशि अकाल का मुकाबला करने के लिए दी गई। उसके बाद हमारे मन्त्रिमण्डल ने निर्णय किया कि केन्द्रीय सहायता का इन्तजार हम नहीं करें। अकाल राहत कार्य शुरू किये जायें, पीने के पानी की व्यवस्था की जाय और जो कुछ भी और आवश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति करने की बात की जाय। मुझे यह कहने पर प्रसन्नता होती है कि आज राजस्थान में अकाल राहत कार्यों पर

(श्री शिवचरण माथुर)

करीब 3 लाख 75 हजार मजदूर अलग अलग तौर पर कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा 1 लाख 10 हजार व्यक्ति दूसरे प्रोग्राम, क्रेश प्रोग्राम, डी.पी.एम.पी. प्रोग्राम और जो दूसरी योजना है, रोजगार दिलाने की योजनायें हैं, उनमें कार्य कर रहे हैं। बीस हजार को ग्रेच्यूटस रिलीफ दी जा रही है और इसके अलावा करीब साढ़े चार लाख क्विन्टल चारे को इकट्ठा करने की व्यवस्था की जा रही है। यह ऐसे काम हैं, जो राजस्थान सरकार आज भी केन्द्रीय सहायता न मिलने के बावजूद आगे बढ़ कर कर रही है। मैं जानता हूं, प्रधान मंत्री राजस्थान की अकाल की स्थिति को सहानुभूति पूर्वक समझ रही हैं और केन्द्रीय सहायता में कोई कमी नहीं होने वाली है लेकिन आज जो राजस्थान की वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुए यह मानना पड़ेगा, हमारे प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े अकाल का मुकाबला करने के लिए अपने वित्तीय आधार पर सक्षम नहीं हैं और इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी इस काम में आगे बढ़ने की बात कर और कार्य किया जा रहा है यह गौरवपूर्ण बात है। इसके लिए राजस्थान सरकार को आपकी ओर से और अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इस मौके पर यह बात निवेदन करना मैं अपना कर्तव्य समझूंगा कि राजस्थान प्रदेश में अकाल हमेशा पड़ा करता है, चाहे 1972-73 में अकाल पड़ा और चाहे 1968-69 में अकाल पड़ा। आपने फेमिन रिलीफ के तौर पर उसका मुकाबला करने की तैयारी कर ली। उसके बाद यदि अच्छी वर्षा हो गई तो जो पुराना दुःख है, तकलीफ है, उसको भूलने की आदत से भूलते रहे। दर असल इस राजस्थान प्रदेश में प्रति वर्ष अकाल पड़ा करता है। यदि अकाल को ऐसी फौरी और मामूली तौर पर डील करने वाली बात करेंगे तो हमेशा आपको अकाल का इसी प्रकार का खतरा उठाना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में अकाल से हमेशा के लिए निपटने के लिए आपने जो कुछ किया है, वह ठीक है, उसके लिए राजस्थान सरकार धन्यवाद की पात्र है लेकिन बड़े पैमाने पर कार्य करके हमेशा के लिए अकाल समाप्त किया जा सकता है और अकाल पड़े भी तो इतना बड़ा संकट एकदम इतने लोगों पर न पड़े इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए मैं कुछ मोटे तौर पर सुझाव रखना चाहता हूं।

अकाल राजस्थान के पश्चिमी हिस्से में आम तौर पर काफी पड़ा करता है। पश्चिमी हिस्से में जैसलमेर और ऐसे इलाके हैं जहां छः-सात साल से अकाल की स्थिति बनी हुई है। यह कहा जाता है कि छः-सात साल के पहले पैदा हुआ बच्चा कुछ इलाकों में, कुछ गांवों में यह नहीं जानता कि वर्षा कैसी हुआ करती है, वर्षा की बूंद कैसी हुआ करती है। जहां ऐसी स्थिति बनती है उन इलाकों में अकाल से हमेशा के लिए निपटने के लिये स्थायी व्यवस्था करने की आवश्यकता हमारे सामने आती है। मैं कहना चाहूंगा, वहां यदि यह मानकर चलना चाहते हैं कि पानी की कमी वहां आम तौर

(श्री शिव चरण माथुर)

पर रहती है और उसको दूर करने के लिए वर्षा के ऊपर आधारित रहा जाय तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। इसलिए यह जरूरी बात है कि हमारी कोशिश यह हो, कि धरती के अन्दर जो जल छिपा हुआ है उसको खोज कर बाहर निकाल कर उसका उपयोग करने वाले काम बड़े पैमाने पर किये जायें। मैं जब यह बात कहता हूं तो मेरा इशारा ट्यूब वैल्स की ओर है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में, काफी बड़े पैमाने पर ट्यूब वैल्स खोदने की आवश्यकता है। पिछले सालों में जो ट्यूब वैल खोदे गये उन ट्यूब वैल्स को, जब अकाल आता है, हम लोग चालू कर देते हैं, लेकिन जैसे ही अकाल समाप्त होता है, उन ट्यूब वैल्स को मेन्टेन करने की व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं हुआ करती है। मैं समझता हूं, यह राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी भूल है। मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहूंगा, आप हमेशा के लिए अकाल की स्थिति का मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको ऐसे मैजर्स उठाने पडेंगे जिनसे अकाल हमेशा के लिये रोका जा सके। इन मैजर्स में एक मैजर के तौर पर ट्यूब वैल्स बड़े पैमाने पर आप खोदें, और न केवल ट्यूब वैल्स खोदें बल्कि उनको मेन्टेन करने की बात हमेशा के लिये करें तो यह काफी महत्वपूर्ण बात होगी। मुझे याद है, 1968–69 के अकाल के वक्त जो ट्यूब वैल्स खोदे गये, और जो उससे पहले ट्यूब वैल्स खोदे गये, उन ट्यूब वैल्स को मेन्टेन करने की योजना भी बनाई गई। जब ट्यूब वैल्स को मेन्टेन करने की बात आती है तो एक ट्यूब वैल्स को मेन्टेन करने के लिए पच्चीस तीस हजार रुपया मशीनरी पर खर्च करना पड़ेगा, इंजिन लगाना पड़ेगा, उसके लिए ड्राइवर, खल्लासी और दूसरा स्टाफ रखना पड़ेगा। इसको एवोइड करने के नाते यदि बिजली ले जाई जाय और उसके आधार पर ट्यूब वैल्स हमेशा चलाये जायं तो यह बहुत बड़ी बात होगी। बिजली विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में योजना बनायी गई थी, उसमें डेढ़ करोड की धनराशि की आवश्यकता पड़ती थी। इस राशि से जैसलमेर की लाठी ट्यूब वैल सीरीज है, जोधपुर के आस पास ट्यूब वैल्स हैं, उनके लिए बिजली वहां पहुंचाने की बात कही गई। यह योजना डेढ़ करोड़, पौने दो करोड़ की योजना था जिसके कारण हाई टैंशन लाइन ले जाकर ट्यूब वैल्स तक पहुंचाने की बात थी। यदि ट्यूब वैल्स की गिनती के आधार पर हिसाब किया जाय तो एक ट्यूब वैल के पीछे पच्चीस, तीस हजार का खर्च मान लिया जाय और ढाई सौ ट्यूब वैल्स से गुणा कर दिया जाय तो एक करोड़ के आस पास धनराशि लगती है–यदि इन ट्यूब वैल्स को मेन्टेन करने के लिहाज से ट्यूब वैल्स तक बिजली ले जाने की बात की जाती है और ट्यूब वैल्स हमेशा के लिए चालू हो जाते हैं तो उन ट्यूब वैल्स के अन्दर काफी पानी है, जो जैसलमेर से चांदना और लाठी सीरीज के ट्यूब वैल्स आते हैं, वहां एक ट्यूब वैल की छप्पन हजार साठ हजार गैलन पानी एक घण्टे में फेंकने की क्षमता होती है। इतने बड़े पैमाने पर यदि पानी निकल सके तो इन ट्यूब वैल्स के आस पास के क्षेत्र में जमीन का चरागाह के रूप में उपयोग किया जा सकता है। इसके साथ आवश्यकता इस बात की

(68)

(श्री शिवचरण माथुर)

है कि राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में जो बिखरी आबादी है, उसको एक जगह इकट्ठा करके, जहां कमाई के साधन हों, जहां पशु धन को चराने की व्यवस्था है वहां एक जगह बसाने की व्यवस्था हो। आवश्यकता इस बात की है, ट्यूब वेल्स के इर्द गिर्द ऐसे इलाके हैं जहां आम तौर पर अच्छी घास पैदा की जा सकती है। राजस्थान में अच्छी घास पैदा हुआ करती है, सेमल घास अच्छी होती है। सेमल के अन्दर तैंतीस पर्सेन्ट प्रोटीन हुआ करता है और उसके खाने के बाद पशु में ताकत आती है। इसलिए सेमल घास ट्यूब वेल्स के आस पास लगाई जाय और पशु पालकों को वहां पर बसाया जाय, डेयरी फार्म का इन्तजाम किया जाय, दूध जो वहां पर पैदा हो उसकी खरीद और उसको प्रोसेज करने का इन्तजाम किया जाय तो यह निश्चित बात है कि रेगिस्तानी इलाकों में जो बिखरी आबादी है, वह वहां बस जायगी और उसकी अच्छी सिविल लाइफ बन जायगी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जायगी और जिस वक्त अकाल की स्थिति होगी, उस समय आबादी को वहां से माइग्रेट करने की आवश्यकता नहीं होगी। राजस्थान में जब अकाल पड़ता है तो कैटल वेल्थ को माइग्रेट करने वाली बात आती है और उसमें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह मामूली सी बात है, यदि आपको अनाज को ट्रान्सपोर्ट करना पड़े तो वह करना बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन चारे को ट्रान्सपोर्ट करने वाली बात हो, तो जहां चारे के भण्डार हैं, वहां से यदि बाड़मेर ले जाना चाहें, या वहां ले जाना चाहें जहां जरूरत है तो वैगन्स की आवश्यकता पड़ती है, ट्रान्सपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ती है, और एक कैटल जितना चारा खाता है, उसके हिसाब कैटल के लिए बहुत बड़े पैमाने पर चारा ट्रान्सपोर्ट करना होता है। तो उसमें बहुत मुश्किल होती है। लेकिन जो अनाज के ट्रान्सपोर्टेशन वाली बात है, वह आसान बात होती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि चारे के भण्डार वहीं उपलब्ध हों जहां चारे की आवश्यकता होती है। ऐसा होता है तो उचित बात होती है। मुझे दुःख होता है, इतने बड़े पैमाने पर अकाल के वक्त जब चारे की आवश्यकता है, वहां राजस्थान सरकार के पास आज चारे के अपने भण्डार नहीं है, मुश्किल से राजस्थान सरकार के पास आठ हजार क्विन्टल दस हजार क्विन्टल चारा होगा, जबकि एक अकाल के वक्त केवल रेगिस्तानी इलाके में जो पशु हैं उनको चारा देने की बात करें तो करीब पांच लाख, छः लाख क्विटल चारे की आवश्यकता होती है। इसलिए जरूरी है, एक सीजन, एक अकाल के वक्त, जो बड़े से बड़ा अकाल हुआ है, उस वक्त अलग अलग क्षेत्रों से जो चारा इकट्ठा करना पड़ा, उतने चारे का भण्डार राजस्थान सरकार के पास होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो इससे धन का अपव्यय होता है और साथ ही कठिनाई भी होती है। मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रानिकल ड्राट अफेक्टेड एरिया हैं, वहां बड़े से बड़ा चारे का भण्डार बनाना चाहिए ताकि हमेशा अकाल की स्थिति में आपको चारा बाहर से नहीं लाना पड़े और इसमें दिक्कत नहीं हो।

एक बात और कहना चाहता हूं

(श्री शिव चरण माथुर)

राजस्थान के एरिया में आप वर्षा के आंकड़े उठा कर देखें तो आपको मालुम पड़ेगा कि साल में वर्षा का औसत करीब करीब बराबर हुआ करता है। मेरे पास वर्षा के आंकड़े हैं लेकिन उनको मैं आपके सामने रख कर समय खराब नहीं करना चाहता। इन आंकड़ों को देखने से लगता ऐसा है कि औसत वर्षा अच्छी हो रही है, जुलाई के महीने में वर्षा अच्छी होती है, लेकिन अगस्त के महीने में चार पांच वीक्स का वर्षा में गैप आता है, इस कारण फसल नष्ट हो जाती है। थोड़ी आशा बंधती है, अगर थोड़ा पानी पड़ जाता है, लेकिन उसके बाद फिर बरसात नहीं होती है तो फसल नष्ट हो जाती है। कुल मिला कर जहां बरसात का औसत अच्छा है, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा यहां अच्छी बारिश होती है, लेकिन बीच में बारिश नहीं होने की वजह से सारी फसल नष्ट हो जाती है। इसलिए इस सम्बन्ध में सोचना पड़ेगा। और जो इर्रेगुलर वर्षा आती है उसके कारण जो समस्या सामने आती है, उसका मुकाबला करने के लिए हमें बड़े पैमाने पर व्यवस्था करनी चाहिए। मैं अकाल के बारे में और कहना चाहता हूँ कि अलग अलग तरीके से स्थाई रूप से काम होना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में प्रधान मंत्री गईं, तो उन्होंने वहां के दौरे के समय 4 नई रैलवे लाइन्स की घोषणा की। राजस्थान भी आज ऐसा ही पिछड़ा हुआ प्रदेश है जहां बहुत दूरियां हैं। यदि यहां भी कुछ रैलवे लाइन्स घोषित की जायं और अकाल के मौके पर काम किये जायं तो बहुत स्थाई काम हो सकते हैं, यहां की जनता का आर्थिक ढांचा सुधारने में मदद मिल सकती है। इसलिए राजस्थान में भी बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे लाइन्स हैं जिनको अकाल के समय हाथ में लिया जाना चाहिए और रेलवे लाइन्स में खास तौर से दिल्ली–अहमदाबाद लाइन पर मीटर गेज को ब्राड गेज में परिवर्तित करना चाहिए, सवाई माधोपुर–जयपुर मीटर गेज को ब्राड गेज में परिवर्तित करना चाहिए चित्तौड़गढ़ से कोटा लाइन बहुत महत्वपूर्ण लाइन हो सकती है और सारे इलाके की आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकती है, वहां भी ब्रॉड गेज लाइन की व्यवस्था की जानी चाहिए। उसके बाद बांसवाड़ा रतलाम लाइन के लिए आज से 10 साल पहले चर्चा चली थी और एक प्रकार से स्वीकृति भी हो गई थी, उसको हाथ में लेने से आदिवासी क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधार सकती है। कोलायत–फलोदी मीटर गेज लाइन, सरदार शहर से सादुलपुर ऐसी 5–6 रेलवे लाइनें हैं जिनको अकाल के मौके पर रेल मंत्रालय अपने हाथ में यदि ले तो काफी लोगों को काम मिल सकता है और हमेशा के लिए अकाल दूर करने के लिए हम सहायता का साधन भी बना सकते हैं।

दूसरी बात राजस्थान में बड़े पैमाने पर जो बारिश की कमी आती है वह वनों के कटने के कारण आती है। राजस्थान में कुल मिलाकर करीब 34 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जंगल हैं। उनमें कुल मिलाकर 12 हजार वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में मुश्किल से अच्छे जंगल कहे जा सकते हैं, बाकी में खाली पहाड़ियां हैं या घास के बीड़ हैं जो वर्षा नहीं ला सकते

(श्री शिव चरण माथुर)

लेकिन जिनको इफेक्टिव फारेस्ट्स कह सकते हैं वह 12 हजार वर्ग किलो मीटर ही राजस्थान में हैं। जहां खेती नहीं हो सकती है वहां पर बड़े पैमाने पर एफोरस्टेशन की योजना होनी चाहिए। रेगिस्तानी इलाके में भी पानी की सुविधा के जरिए, स्प्रिकलिंग के जरिए वनों को लगाना चाहिए। इजराइल का उदाहरण हमारे सामने है, जैसे हमारा एरिया है वहां भी है, वहां जिस प्रकार से सारी अभाव की स्थिति को समाप्त किया है और वहां का इलाका आर्थिक रूप से संपन्न हुआ है, इस तरह से अपनी जो इकोनामी है वह भी सेल्फ-सपोर्टिंग हो सकती है और अकाल की स्थिति हमेशा के लिये समाप्त की जा सकती है। इसलिये मैं वनों को लगाने के लिये खास तौर से निवेदन करूंगा और चाहूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पर राज्य सरकार इसको हाथ में ले।

आज राजस्थान की जितनी नदी घाट योजनायें हैं, जितना पानी बहकर राजस्थान की सीमा से बाहर जाता है, उसका व्यापक सर्वे किया जाकर एक टाइम बाऊंड प्रोग्राम के आधार पर, निश्चित समय की सीमा के अन्दर सारी योजनाओं को पूरा करने के लिये बड़े पैमाने पर मास्टर प्लान तैयार करके राज्य सरकार भारत सरकार के सामने पेश करे और फेज्ड प्रोग्राम के आधार पर भारत सरकार से पैसा उपलब्ध कराने के लिये कोशिश करे। कुछ पेरीनियल रीवर्स हैं, कुछ नदिया बरसात में काफी पानी लाती हैं। आज भी उनका पानी बाहर जा रहा है, उस सारे पानी को बन्द करके सिंचाई के लिये उपयोग करें तो बड़े पैमाने पर समस्या का हल कर सकते हैं और इसके लिये प्रयत्न किया जाना चाहिए। अकाल जब राजस्थान में आता है, उस समय हम बड़े पैमाने पर काम करते हैं लेकिन जैसे ही अकाल खत्म हुआ सारे विभाग समाप्त किये जाते हैं, समन्वय नहीं रहता है। अकाल के समय पी. डब्ल्यू.डी, सिंचाई, वन और सोइल कन्जरवेशन विभाग-ये चार विभाग महत्वपूर्ण तरीके से अकाल राहत कार्य करवाते हैं लेकिन इनका अकाल के समय समन्वय रहता है उसके बाद में उन सभी के कामों में समन्वय के अभाव में काम को आगे हाथ में नहीं लिया जाता है और कहा जाता है कि राहत का काम टेम्प्रेरी मेजर है और यदि बड़े पैमाने पर हाथ में लेना है तो राजस्थान की वार्षिक योजना में उसका प्रावधान होना चाहिये। हम जानते हैं कि राजस्थान में हमेशा अकाल पड़ता है तो क्यों नहीं बड़े पैमाने पर उसको राजस्थान की योजना का हिस्सा बनायें अकाल को मीट करने के लिये।

सारे देश में भारत सरकार की ओर से कई बड़े कारखाने लगाये गए—वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर, मध्यप्रदेश में भिलाई, उड़ीसा में राउरकेला। किसी पर 400 करोड़, किसी 500 करोड की लागत है। लेकिन राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहां पर आज भी केन्द्र की ओर से कोई बड़ी योजना हाथ में नहीं ली गई। इसलिये मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहूंगा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, यहां की स्थिति को देखते हुए, यहां की कृषि सुधारने के लिये केन्द्र इसको अपने तोर से हाथ में ले। आज स्वतन्त्रता के बाद में, राजस्थान बनने के

(श्री शिव चरण माथुर)
बाद, अकाल पर खर्च किये हुए रुपयों के हिसाब को देखें तो कई करोड़ रुपये खर्च किये होंगे। यदि उस रुपये को योजना के आधार पर खर्च करते तो यह मुसीबत हर समय सामने उपस्थित नहीं होती। आज भी एक मास्टर प्लान तैयार करके केन्द्र के सामने रखें और वह रुपया लगायें तो अच्छा होगा। इससे राजस्थान इस कठिनाई को हमेशा के लिये दूर कर सकेगा। ऐसी योजना बनने व क्रियान्वित होने के बाद में हम उसका मुकाबला करने के लिये अपने को सक्षम पा सकेंगे। सरकार इस अकाल को दूर करने के लिये ऐसे स्थायी काम अपने हाथ में ले, भारत सरकार से प्रार्थना करे, वहां से पैसा लेकर काम करने की कोशिश करे।

इस अकाल के साथ साथ आज हमारे सामने अनाज की बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। अनाज की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका अन्दाजा हम लगा सकते हैं। शायद आजादी के बाद के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर अनाज की कीमतें बढ़ने की समस्या कभी भी हमारे सामने नहीं आई थी जो इस साल आई है। 140)रु. क्विंटल गेहूँ और 100 से 110)रु. प्रति क्विंटल मक्का है। यह गंभीर चिंता का विषय है कि क्या एक व्यक्ति को जिसको अकाल राहत कार्यो पर हम ढाई या तीन रुपये प्रतिदिन के मजदूरी के देते हैं वह ऐसे भाव में गेहूं या मक्की लेकर जिंदा रह सकता है ? संभव ही नहीं है। इसलिये आवश्यक है कि सस्ते अनाज की दुकानें खास तौर से उन जगहों पर खोलें जहां गरीब लोग रहते हैं, जहां राहत कार्य हैं। देश में अनाज की व्यापक कमी है तो हमको जितना अनाज मिलता है, सबसे पहले हमारी कोशिश होनी चाहिये कि वह अनाज सीधा उनके पास पहुँचे। आज सस्ते अनाज की दुकानों पर बहुत से ऐसे लोग जाते हैं जो काफी संपन्न हैं, वे भी राशन कार्ड लेकर अनाज लेने जाते हैं, दरअसल उनको रोकना चाहिये। और उसको रोकने के लिये केवल सरकारी मशीनरी से काम नहीं चलेगा। मेरा सुझाव है, राज्य सरकार को चाहिये कि वह इसमें बड़े पैमाने पर नागरिकों को भी इनवाल्व करे। शहरों में तो अनाज के वितरण के लिये मौहल्ले मौहल्ले में कमेटी बनाई जाय जिसमें ईमानदार व्यक्ति होने चाहिये। इसी प्रकार गांवों में भी अच्छे व्यक्तियों को लेकर उनकी सहायता से अनाज का वितरण कराया जाना चाहिये। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह देखने की है कि पहले उन व्यक्तियों के पास अनाज पहुंचाना चाहिये जिनके पास आज अनाज खाने को नहीं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि ऐसा वक्त भी आ सकता है जब आगे आने वाले दो महीनों में जनता में बड़ा रोष फैल जायेगा और ऐसी स्थिति आ सकती है कि प्रदेश में लॉ एण्ड आर्डर का सवाल पैदा हो सकता है। इसलिये मैं राज्य सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि पहले वह वहां पर अनाज पहुंचाये जहां कि नीडी है, जिनके पास खाने को बिलकुल अनाज नहीं है। इस मौके पर प्रदेश के खाद्य मन्त्री को, जो कि इस बारे में पूर्णतया परिचित हैं, इस समस्या के लिये कठोर कदम उठाने चाहिये। आज जो अनाज के भाव बढ़े हैं वह किसानों की वजह से नहीं बढ़े हैं

(श्री शिव चरण माथुर)
क्योंकि दिवाली के वक्त व्यापारियों ने जो किसानों से 70 रुपये क्विन्टल मक्का खरीदी थी वह आज 100 रुपये से लेकर 110 रुपये के भाव में बिक रही है। आज जो अनाज के भाव बढ़े हैं। वह किसानों की वजह से नहीं बढ़े हैं क्योंकि अभी बाजार में किसान अनाज लेकर नहीं बेच रहा है वह तो व्यापारी वर्ग ही जो कि होल्डिंग किये हुए हैं उन्होंने महंगा कर रखा है। गांवों के किसान तो जब फसल आती है तब ही आकर अनाज बेच जाते हैं कुछ बड़े बड़े काश्तकारों की तो मैं नहीं कहता जिनके पास बड़ा जखीरा है वरना तो जो काश्तकार अनाज दिवाली पर बेचने आये थे वह बेच गये लेकिन अब अनाज के व्यापारी उसका भाव बढ़ा कर अनाज महंगा बेच रहे हैं। इसलिये मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करे। मेरा तो सुझाव है, राज्य सरकार को चाहिये कि अनाज के भाव निर्धारित कर दे। इसके लिये अनाज के भाव उपभोक्ताओं की परचेजिंग कैपेसिटी को देख कर तय करें पर साथ में उत्पादन कर्ता किसानों को भी नुकसान नहीं हो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये अन्यथा किसान अनाज पैदा करना बन्द कर देगा। इसलिये उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को कठिनाई नहीं हो, ऐसी व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जानी चाहिये। आज जो अनाज की समस्या की बात करते हैं वह ठीक हो सकती है अगर सरकार इसमें कठोर कार्यवाही करे तो इसका हल निकाल सकते है। आज अकाल की वजह से राजस्थान की जनता के लाखों व्यक्ति पीड़ित हैं। सिर्फ अकाल रहात कार्य खोलने से ही काम नहीं चलेगा। हमें उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को मजदूरी देकर उनके लिये अनाज की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनके लिये ज्यादा से ज्यादा सस्ते अनाज की दुकानें खोलनी होंगी। तथा अनाज की चूंकि हमारे यहां कमी है इसलिये हमें भारत सरकार से भी अनाज लाना पड़ेगा और उस अनाज को सबसे पहले उस जगह पर पहुंचाना होगा जो कि बहुत नीडी हैं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं राज्य सरकार को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि स्थिति बहुत ही गम्भीर हो जायेगी। हालांकि हमारे खाद्य मंत्री काफी इस बारे में जागरूक हैं और काफी अनुभवी भी हैं और उन्हें यह पता भी है कि किस किस जगह पर अनाज की कमी है और मैं समझता हूं कि वह अपने अनुभव के आधार पर यह सारा काम कर सकते हैं।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो यह उल्लेख है कि राज्य सरकार का फैसला है कि राज्य सरकार अनाज का व चावल का थोक व्यापार अपने हाथ में लेना चाहती है उसके लिये मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है इसके लिये मैं राज्य सरकार की जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : But the question is, is it going to be implemented ?

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, अनाज का राजकीय व्यापार हो जाने से कीमतें गिरेंगी पर अभी व्यापारियों ने जब से अनाज के राजकीय व्यापार को

(श्री शिवचरण माथुर)

राज्य सरकार के हाथ लेने की सुनी है तब से उन्होंने कीमतें अनाज की बढ़ा दी हैं। हालांकि हमने बैंक्स का नेशनलाइजेशन कर दिया जिससे कि व्यापारियों को क्रेडिट मिलना बन्द हो गया फिर भी कई व्यापारियों के पास पैसा है जिससे वे अनाज का होर्डिंग करके बाद में अनाज के भाव बढ़ा कर बेचते हैं। लेकिन अनाज का थोक व्यापार राज्य सरकार के करने से यह खत्म हो जायेगा। यह बहुत बड़ी चीज है। लेकिन इसमें हमको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि उपभोक्ताओं और उत्पादन कर्ता दोनों को नुकसान नहीं हो। इसके लिये मैं बरकत साहब को यह सुझाव दूंगा कि वह सिर्फ सरकारी मशीनरी के ही भरोसे नहीं रहे और अपने साथ ऐसे व्यक्तियों को विश्वास में लेकर, जो इस बकाया के प्रति कमीटेड हैं, ऐसे कदम उठायें जिससे कि इस स्थिति पर काबू पाया जा सके। और जो लोग अनावश्यक रूप से अनाज का भाव बढ़ा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। ऐसा करने से मैं समझता हूं कि हम समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसके लिये हमें किसी से डरना नहीं चाहिये। हो सकता है कि लोग जिनमें प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। वह कह सकते है कि अनाज की कमी है और दूसरी भी कठिनाइयां बता सकते हैं लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि जनता हमारे साथ है। अभी सन् 1971 और 72 में जब चुनाव हुए और उन चुनावों के दिनों हमारी प्रधान मन्त्री को जो मेनडेट मिला है उससे मैं समझता हूं कि यह जो प्रशासनिक कठिनाइयां वगैरह जो प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा बताई जाती है वह बहुत ही छोटी हैं। क्योंकि आज हिन्दुस्तान की जो 56 करोड़ जनता है उन्होंने हमारी प्रधान मन्त्री को भारी बहुमत दिया तथा साथ ही प्रान्त के मुख्य मन्त्री जी को भी आम चुनावों में जो सफलता मिली है जिसमें कि हमारे यहां पर 184 में से 145 सीटें प्राप्त हुई हैं, ये तो करीब 37–38 सीटें किस प्रकार से दूसरी पार्टियों के लोगों के हाथ आ गयी चाहे भूल से हो या चाहे किसी और कारण से विरोधी दल के लोगों को सीटें प्राप्त हो गयी हैं। मैं विरोधी दल के लोग आयें उसके विरोध में नहीं हूं जनतन्त्र में विरोधी दल को होना चाहिये जिससे कि राज्य सरकार अपना काम सतर्कता से करे। आज जो जनता ने हमें वरडिक्ट दिया है उसके लिये हमें जनता को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देना चाहिये। इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी प्लान हमारे यहां बनते हैं उनके अच्छी तरह नहीं चलने का कारण यह है कि उनकी डिटेल्स वर्क आउट नहीं किये जाते। इसलिये हमें चाहिये पहले उस प्लान की डिटेल्स वर्क आउट कर लें ताकि वह सुचारु रूप से चल सके। आज लोग इसके बारे में तरह तरह की रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे पर हमें उनसे नहीं घबराना चाहिये। अभी जब हमारे प्रधान मन्त्री ने अनाज के थोक व्यापार को हाथ में लेने की बात कही तो कई स्टेट्स के मुख्य मन्त्रियों ने इसमें आने वाली रुकावटों का उल्लेख किया लेकिन हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने हमारे प्रधान मन्त्री को अनाज के थोक व्यापार को राजस्थान में लागू करने की पहल की। उन्होंने प्रधान मन्त्री के इस निर्णय का स्वागत किया। मैं मुख्य मन्त्री जी से निवेदन

(श्री शिवचरण माथुर)

करूंगा कि इसके लिये वे जो निर्णय हमने लिया है उस पर दृढ़ रहें। मैं राज्य सरकार के इस निर्णय के लिये जो कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है उसके लिये मैं जितनी सराहना करूं उतनी ही कम है। मैं इसके लिये राज्य सरकार की इस नीति का समर्थन करता हूं।

इसके बाद इस अभिभाषण में कृषि भूमि की जोत की सीमा निर्धारित करने की बात यहां पर कही गयी है। मुझे इस सम्बन्ध में यहां पर यह कहना है कि लैंड सीलिंग का कानून राजस्थान में शायद बहुत पहले आ चुका था और राजस्थान उन इने गिने प्रदेशों में से था कि जिसने सबसे पहले भूमि सुधारों में पहल की। 1956-57 और 70 तक संशोधित कानूनों मे जो बिचोलिये थे उनको सबसे पहले खत्म किया। 1959 मे सबसे पहले सीलिंग कानून लाये और जब यह कानून आया तो इस सदन में और बाहर बैठने वाले कहा करते थे कि 30 एकड़ भूमि की सीमा रखी गई है वह बहुत ज्यादा है लेकिन 72 तक उस कानून का पालन नहीं हुआ। तो हम में से आज ऐसा कहने वाले लोग भी पैदा हो गए हैं कि जो यह कहते हैं कि यह सीमा बहुत कम है, अधिक होनी चाहिए। क्योंकि इससे उत्पादन पर बहुत असर पैदा होता है। मैं नम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठायें उसको इम्प्लीमैंट करने के लिए समय सीमा का निर्धारण कर दिजिए वरना प्रगतिशील जो कदम उठाये गय हैं जिनसे जिनको फायदा मिलना चाहिए उसका फायदा उनको नहीं मिल पायेगा। जोत की सीमा निर्धारित करने का अध्यादेश निकाला है और उस पर सदन में विचार का मौका भी मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी और कम से कम समय में उसको इम्प्लीमेंट करने की आप बात कहिये वरना जिस प्रकार से सन् 1959 से लेकर 72 तक का समय लगा और सीलिंग कानून का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सका उसी प्रकार और समय लग गया तो पहले इम्प्लीमेंटेशन नहीं होने के कारण जमीन जो आने वाली थी वह बहुत कम रह गयी और अब और समय इसमें लग जायेगा तो जो आने वाली बाकी जमीन है वह भी हाथ से निकल जायगी और कोई भी लाभ जिसको मिलना चाहिए वह उसे नहीं मिल सकेगा।

मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी ने जनता के साथ वायदा किया है। सन् 1971 और 72 में खास तौर से लैंड सीलिंग के बारे में कहा गया है और हमारी पार्टी के मेनीफेस्टो में भी कहा गया है उसकी कसौटी पर इस सीलिंग बिल को खरा उतरना है और कोई भी इस कानून में कमी रह गई है तो उसको दूर करके इसको स्वीकार करके सुचारू रूप से समय सीमा निर्धारित करते हुए इसका इम्प्लीमेन्ट करना है तो ही इससे लाभ मिलने वाला है वरना कोई भी फायदा नहीं मिल सकेगा।

इस अभिभाषण में बड़ी नदी घाटी योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। चालू वर्ष में अधिक धनराशि इस योजना में देने का जिक्र किया गया है। मैं यहां पर अपने क्षेत्र की ही बात नहीं कहना चाहता हूं और न कहना ही चाहिए जब कि मैं

(श्री शिवचरण माथुर)
धन्यवाद के प्रस्ताव को प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन इसमें जेतपुरा बांध की बात कही गयी है। यह मेरे चुनाव क्षेत्र में आता है। ढाई तीन साल से वहां पर काम बन्द है। मुझे इस बात की खुशी है कि यह वादा किया गया है, आप उस बात से कमिटेड हैं कि उस बांध को बनाना चाहेंगे और अधिक धन राशि उसके लिए रखेंगे, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं। लेकिन आपने कहा कि काम चालू है। वास्तव में काम चालू नहीं है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : मंत्रियों की भाषा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : That means it has not been foreclosed.

श्री शिवचरण माथुर : Some amount has been kept for it.

नदी घाटी योजनाओं के बारे में बहुत अप्रत्याशित विलम्ब हुआ है। राजस्थान कैनाल का सवाल लीजिए, माही के सवाल को ले लीजिये। चम्बल की सारी सम्पूर्ण तौर पर की योजनाओं को ले लीजिये। प्रथम पंचवर्षीय योजना से ये कार्य शुरू हुए और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पहुंच चुके हैं और पाचवीं योजना की देहरी पर हैं, अभी तक उन योजनाओं में सम्पूर्ण रूप से जो पैसा लगना चाहिए था वह नहीं लगा इसके कारण काम पूरा नहीं हुआ और उसका जो परिणाम होना था वह हुआ हीं। गत 25/30 वर्षों में एस्टीमेट्स उनके दुगुने तिगुने हो गए। यदि इसको कम से कम समय में पूरा नहीं करेंगे तो यह एस्टीमेट्स इसी प्रकार बढते चले जावेंगे हमारे ऊपर लायबेलिटी भी बढ़ती चली जावेंगी। उनकी समाप्ति के बाद जो रिटर्न हम लेना चाहते हैं वह उपलब्धि भी हमें प्राप्त नहीं होगी। इससे निराशा होगी आपको भी। इसलिए इन बड़ी योजनाओं को अधिक से अधिक पांच योजना के एक दो वर्ष में ही पूरा कर दिया जाना चाहिए।

राजस्थान की कृषि प्रधान अर्थ व्यवस्था है। कुछ क्षेत्रों को छोड़ दीजिये जहां पर माइन्स हैं, मिनरल्स हैं, लेकिन हमारी इकोनोमी का जो मुख्य आधार है वह खेती ही है। इसलिए इन बड़ी नदी घाटी योजनाओं को पूरा करके राजस्थान की अर्थ व्यवस्था को ठीक किया जाय।

इस अभिभाषण में एक स्टेट प्लानिंग बोर्ड बनाने की बात भी की गयी है। स्टेट प्लानिंग बोर्ड का मुझे पुराना अनुभव है। पहली पंचवर्षीय योजना में स्टेट प्लानिंग बोर्ड बनाया गया था। 125 सदस्य हुआ करते थे उसमें असेम्बली का आधा हिस्सा। एक दो दिन के लिए स्टेट प्लानिंग बोर्ड मिला करता था और जिस प्रकार के भाषण हुआ करते थे, वह भी मुझे मालुम है। हर व्यक्ति भाषण देने के बाद अपना उत्तरदायित्व हुआ समझ लिया करता था। यदि वह कल्पना राजस्थान सरकार की स्टेट प्लानिंग बोर्ड बनाने की है तो यह उचित नहीं है। राजस्थान की इकोनोमी के जो पहलु हैं उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए छोटे छोटे एक्सपर्ट दल बनाये जायं जो राजस्थान में घूम घूम कर एक अध्ययन करने के बाद अपनी अध्ययन रिपोर्ट दे और यदि केवल स्टेट बोर्ड प्लानिंग का और वह औप-

(श्री शिवचरण माथुर)

चारिकता में ही पांच वर्ष का समय निकाल देता है तो कोई उससे लाभ होने वाला नहीं है। स्टेट प्लानिंग बोर्ड में ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि जिसमे राजस्थान के आर्थिक पहलुओं पर विचार कर सकें और कौनसी प्रयोरिटी कहां दी जानी चाहिए उस पर समग्र रूप से विचार किया जाकर इम्प्लीमेन्ट किया जा सके तब ही उसका उपयोग होगा। हमारे प्लानिंग का सबसे पहला जो गलत आस्पैक्ट है वह यह है कि हम प्रायोरिटी को रिवाइज किया करते हैं। एक प्रायोरिटी को प्रथम पंचवर्षीय योजना में निर्धारित की गई, उसको दूसरी में बदल दिया और दूसरी को तीसरी योजनाओं में दूसरी प्रापर्टीज तय कर ली गई और इससे पहिले भी मूल प्रोयोरिटीज ही समाप्त हो जाती हैं। उसका परीणाम यह हुआ है कि काम पूरे हो नहीं सके। यदि प्रायोरिटी को लेकर काम करते और सफलता हासिल करने के बाद आगे बढ़ते तो निश्चित रूप से आज बहुत आगे बढ़े होते। प्लानिंग बोर्ड का निर्माण उसी प्रकार का होना चाहिए। अतः पहले आप प्रायोरिटीज को निर्धारित करें और सरकार के पास जो रिपोर्ट प्रस्तुत हो वह केवल सरकारी कागजों में नहीं रह जाय किन्तु उसका निश्चित रूप से उसको इम्प्लीमेन्ट करने का मौका आये तब ही जाकर इन प्रयोरिटीज से फायदा हो सकता हो सकता है। अतः प्लानिंग बोर्ड के गठन का कहा उसका मैं स्वागत करता हूं और जैसा मैंने कहा कि आप इस सन्दर्भ में और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।

एक महत्वपूर्ण बात जो कही गयी है वह राजस्थान में जल प्रदाय योजना की बात है। राजस्थान के बहुत से हिस्सों में ऐसा पानी मिलता है जिसको ब्रेकिश वाटर कहते हैं, आदमी तो क्या उसको जानवर भी पीले तो वह भी मर जाता है। केवल रेगिस्तान के इलाकों में ही नहीं किन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में भी इस प्रकार का ब्रेकिशन वाटर मिलता है। यदि जल प्रदाय योजनाओं को पूरा नहीं करेंगे तो जो यह माना जायगा कि मनुष्य की साधारण आवश्यकता है उसको पूरा हम नहीं करपाये हैं और उसको एक प्लान, दूसरी प्लान, तीसरी चौथी और पांचवीं प्लान तक भी खींच लेजाते हैं तो यह उचित नहीं है। इसलिये इसको प्राथमिकता देकर पूरा किया जाना चाहिये। यह भी कहा गया कि 72-73 में 145 नगरपालिकाओं को ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कर दिया जावेगा। नगरपालिकाओं में ही करने से तो यह पूरा नहीं हो जायगा। यह भी कहा गया कि 72.73 में 517 ग्रामीण जल प्रदाय योजनायें पूरी हो जायेंगी जिससे 747 गांवों को लाभ मिलेगा। 73-74 में 133 और ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं को लेने की संभावना है। यह उत्साहवर्धक बात है। इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि 73 से 75, 76 तक लम्बा समय न देकर इनको जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश की जाय और दो साल के अन्दर ही पूरा कर दिया जाय तो बहुत ही उचित होगा। जनता को इससे तसल्ली होगी और काफी बड़ी उपलब्धि होगी।

ऐसी इलोबोरेट स्कीम और कार्यक्रम को हाथ में नहीं लेंगे तब तक इस समस्या को हल नहीं कर सकेंगे।

(श्री शिवचरण माथुर)

आगे चलकर इस अभिभाषण में चम्बल एरिया है राजस्थान कैनाल एरिया है इनका एक चतुर्मुखी योजना के आधार पर विकास करने की बात कही है। मैं मानता हूँ कि इस योजना को पूरा करने की बात राजस्थान सरकार अगर अपने सीमित साधनों से कहती है तो इसमें अधिक समय लग सकता है। इन योजनाओं को तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया, प्राथमिक योजनाओं में मानकर और फिर भारत सरकार से या बैंकों से या किसी जगह से पैसा लाकर जल्दी पूरा करने की कोशिश करें, इनसे यथेष्ट लाभ उठाना सम्भव होगा।

यह प्रसन्नता की बात है कि राजस्थान सरकार ने आने वाले वर्षों मे वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर इन योजनाओं को पूरा करने की बात कही है। डेयरियां खोलने की बात भी कही है कुछ ड्राट एरिया मे काम करके पानी की समस्या हल करने की बात कही है इन सारी योजनाओं को पूरी तौर से एकजाई तौर से इकट्ठा करके व्यापक तौर पर पूरा करने की साहसिक कर्मठता नहीं होगी तब तक इनको पूरा करना सम्भव नहीं होगा। इनका इकजाई प्रारूप बनाकर इसे पूरा करने का संकल्प करना होगा सरकार को।

आगे चल कर औद्योगीकरण की बात भी कही है। इसके बारे में एक बात निवेदन करूंगा कि कुछ मिनरल्स को छोड़ कर राजस्थान में औद्योगीकरण की व्यापक प्रगति का कोई अधिक स्कोप नहीं है। पर फिर भी जो कुछ है उस पोटेन्शल को एक्सप्लाइट करके प्रगति की तरफ बढ़ना चाहिये। इस बार में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि इस के माध्यम से पूंजी को एकत्रित नहीं होने देने की दिशा में सरकार को सजग रह कर काम करना चाहिये और इस तरह से समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ने का साहसपूर्ण कदम उठाना चाहिये। उद्योगों में एक करोड़ से अधिक की पूंजी लगाने का जहां प्रश्न आवे तो ऐसे उद्योग सरकार या तो स्वयं प्रारम्भ करे या सरकारी संस्थाओं के माध्यम से उनको चलावे क्योंकि अगर ऐसे उद्योगों में प्राइवेट लोग आते हैं तो पूंजी तो वे सरकार की ही काम लेंगे चाहे बैंकों से ऋण लें या वित्त निगमों से लें और उस सरकारी पैसे के आधार पर मजदूरों को एक्सप्लोइट करके अधिक पूंजी अपने हाथों में करने की ही उनकी इच्छा रहती है और इस तरह से अपने हाथों में सारी पूंजी बटोरने को उनकी अवांछनीय प्रवृति को ही बढ़ावा मिलता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि एक करोड़ से अधिक की पूंजी का उद्योग सरकार अपने हाथ में रखे। इससे पूंजी का कुछ लोगों के हाथों में जाना बचेगा। आज ये उद्योगपति जनता और सरकार को पूंजी के बल पर उद्योग लगाने की बात करते हैं। यह आप कहीं भी देख सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तब समाजवाद की तरफ हमारे कदम बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य की हम प्राप्ति कर सकेंगे। हमारी सरकार समाजवाद के लिये कमिटेड है। समाजवाद का सबसे पहला स्वरूप अगर हम मानें तो यह है कि गरीबों का शोषण समाप्त करें। यह मूल सिद्धान्त है। इसमें दो राय नहीं हो सकता। फिर भले ही हम

(श्री शिवचरण माथुर)

यह कहें कि भारत का समाजवाद दूसरा है, रूस का दूसरा है, या चीन का अलग है और जनसंघ का अलग है। आज तो जनसंघ भी समाजवाद की बात करने लगा है। हिन्दुस्तान में हम अपने तरीके से समाजवाद लाना चाहते हैं। रूस में चीन में समाजवाद या साम्यवाद खून खराबी से और क्रान्ति से आया, पर हम अपने देश में शान्ति से, कानून के माध्यम से और जनतन्त्र की पद्धति से लाना चाहते हैं। जिन रास्तों से शोषण होता है उन सारे रास्तों को हमें रोकना होगा। यह स्पष्ट है। हम खून खराबा का रास्ता अपनाना नहीं चाहते। कानून के जरिये से यह सब करना चाहते हैं।

इसलिये हम कमिटेड हैं कि अधिक से अधिक उद्योग पब्लिक सैक्टर में खोले जावें। इसमें कभी कभी हमें दुख भी होता है इस क्षेत्र में कार्य करने वाली मशीनरी के कार्य कलापों को देख कर। जैसे आर. एस. ई. बी. है। इसके माध्यम से हम राजस्थान को गरीबी मिटाने का स्वप्न ले रहे थे। गांव गांव में किसान किसान को बिजली देने की बात करना चाह रहे थे पर आज वह नहीं हो पारहा। इसमें हमें परिवर्तन करना होगा। सैट अप ठीक करना होगा। अपनी मशीनरी को नये ढंग से ढालना होगा। आज सीकर के पास कारखाना लगाने की बात हो, या कहीं सीमेन्ट फैक्टरी स्थापित करने की बात हो या डूंगरपुर के पास फ्लोराइट का कारखाना लगाने की बात हो। इस क्षेत्र में एक पालिसी के रूप में हमें अपनी नीति बनाकर चलना होगा और एक टाइम बाउण्ड प्रोग्राम बनाकर चलना होगा। अपने लोगों से कहना होगा आर. आई. एम. डी सी. के चेयरमैन से कहना होगा कि अगर इस पीरियड में उन्होंने लक्ष्य प्राप्त नहीं किया तो अगले साल वे अपने पद पर नहीं रह सकेंगे। उनके परफोर्मेन्स पर से ही उनको आंकना होगा। अगर परफोर्मेन्सेज उनके ठीक हैं तभी उनका पद सुरक्षित है, अन्यथा नहीं।

इसके साथ ही हमें देखना यह होगा कि जो पूंजी इन उद्योगों से हम एकत्रित करें या बनावें उसका समान रूप से वितरण हो। तभी सही रूप में समाजवाद को ला पावेंगे। हमें जागरूक रहना है क्योंकि हमें जनता ने विश्वास दिया है देश की जनता आज बहुत ही जागरूक है। वह हमारे कार्यों को देखना जानती है। आज गरीबो को दूर करने के लिये प्रधानमन्त्री इन्दिराजी ने जो नारा दिया है उसमें तथ्य है। उस के बीच में आने वाली कठिनाइयों को भी वह समझती है। हमारी सरकार इस दिशा में बढ़ रही है। सरकार चाहती है कि पब्लिक सैक्टर सक्षम बने, कोआपरेटिव क्षेत्र भी सक्षम बने। आज पब्लिक सैक्टर के खिलाफ बहुत सी बातें वे लोग करते हैं जिनका निहित स्वार्थ है मैं सरकार को कहना चाहता हूं इस मामले में आगे बढ़े और जनता आपके साथ में है। लोक आयुक्त और उप-लोक आयुक्त की नियुक्ति की जो बातें कही गई– शायद राजस्थान उन इने गिने प्रदेशों में से है जिसने इस बारे में पहल की है और यह भी स्वीकार किया गया यदि कोई

(श्री शिवचरण माथुर)
भ्रष्टाचार करता है और भ्रष्टाचार में इन्वोल्व होता है तो वह केवल अधिकारी व्यक्ति और कर्मचारी ही नहीं बल्कि चुने हुये व्यक्ति भी उसमें आ जाते हैं। राजस्थान सरकार ने इसमें पहल की है। मैं मानता हूं राजस्थान को इस मामले में धन्यवाद देना चाहिये लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया सही दिशा में सही भावना से.. काम किया जाय तो निश्चय ही भ्रष्टाचार दूर होगा वरना आम बात है भ्रष्टाचार लोकाचार बन गया है और उसको मिटाना मैं समझता हूं किसी भी सरकार के लिये आसान नहीं है। यह सही है बरकत साहब ने कुछ ठोस कदम उठाये हैं। बड़े से बड़े अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की है लेकिन सारी समस्या को हल करने के लिये यह काफी नहीं है।

जो कारण आज भ्रष्टाचार को फैलाने के लिये जिम्मेदारी हैं उन कारणों को शासन तन्त्र में मौलिक रूप से परिवर्तन करने की आवश्यकता है सरकार को इसमें आगे बढ़ना चाहिये। मेरा विश्वास है यदि यह कर सके तो देश की जनता को विश्वास दिला सकेंगे कि सरकार क्लीन है, स्पष्ट है और जो बात सरकार कहती है उसमें उनको विश्वास रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में...

एक माननीय सदस्य : ट्रान्सपोर्ट वाली बात तो रह गई।

श्री शिवचरण माथुर : मैं एक बात और भूल गया ट्रान्सपोर्ट के सम्बन्ध में मैं दरअसल कहना चाहता था—ट्रान्सपोर्ट को नेशनलाइज करने का विचार किया है··

श्री रघुनाथ विश्नोई : अभी किया नहीं।

श्री शिवचरण माथुर: ··एक आर्डिनेंस लाये हैं। यह बात पहली बार स्वीकार की गई है कि प्राईवेट बसों के मुकाबले स्टेट बसों की एप्लीकेशन्स उपस्थिति होंगी तो उनको प्रायरिटी मिलेगी। आज तक देखा गया है कई बार प्राईवेट बसों वाले कोर्ट से रिट ले आते हैं। इस आर्डिनेंस का मतलब बहुत स्पष्ट है और यह स्वागत योग्य है। यदि कम्पीटीशन में स्टेट ट्रान्सपोर्ट हो तो उनको प्रायरिटि मिलेगी। यह बहुत अच्छी बात है। 25 परसेन्ट वाली बात बहुत काफी नहीं है। आप यह कहिये आने वाले दो साल में हन्ड्रेड परसेन्ट नेशनेलाइजेशन की बात करेंगे···

25 परसेन्ट नेशनलाईज और 75 परसेन्ट प्राईवेट बस वाले हों तो···

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपने एक माननीय सदस्य को ख्वामख्वाह छेड़ दिया।

श्री शिवचरण माथुर : आप जब तक इस स्थिति पर नहीं पहुंचेंगे तब तक 75 फीसदी जो लोग हैं वे शायद आपकी स्थिति को कमजोर ना देंगे। मैं इसलिये यह कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हन्ड्रेड परसेन्ट ट्रान्सपोर्ट का नेशनलाईजेशन हो। अभी बजट का मौका आ रहा है। आप घोषणा करें तो मैं समझता हूं यह

(श्री शिवचरण माथुर)
सदन तालियों के साथ स्वागत करेगा मुझे पूरा भरोसा है आप इसको अवश्य करेंगे । जो कुछ माननीय राज्यपाल महोदय ने भाषण दिया है उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं और साथ ही हमारे विरोधी पक्ष के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उनके भाषण को बहुत गंभीरता से और शान्ति के साथ सुना हम बहुत सी विधान सभाओं में सुनते हैं विरोधी दलों के लोगों ने वाक आऊट किया लेकिन यहां उन्होंने हमारे भाषण को बहुत गंभीरता से और शान्ति से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार अपनी ओर से और...

एक माननीय सदस्य : सी. आई. ए. के बारे में भी तो कहें।

श्री शिवचरण माथुर : आपसे कहना चाहूंगा आप इस प्रस्ताव को एक राय से पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनमचन्द विश्नोई।

सचिवालय के समक्ष पिकेटिंग करने वाले गिरफ्तार शिक्षकों के भोजन आदि की व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय जो सूचना अभी मिली है उसके अनुसार सेक्रेटेरियट पर जो पिकेटिंग हो रहा था उसमें 300 शिक्षकों को गिरफ्तार किया है और उन गिरफ्तार शिक्षकों को अभी तक खाना नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि यह सामान्य शिष्टाचार है, जिनको आपने पकड़ा, उनको खाना दिलाना चाहिए । मैं निवेदन करूंगा, क्योंकि असेम्बली भी सेशन में है—जो भूखे हैं उनको खाना खिलाना चाहिये। उनको खाना न खिलाना ना मुनासिब है। अभी सदन में उप-नेता महोदय भी बैठे हैं। उनके द्वारा कोई डाइरेकशन्स दी जानी चाहिये कि उनको खाना खिलायें।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : पुलिस कस्टडी में 6 आने मिलते हैं और अकाल में तीन रुपये मिलते हैं इसलिये उनको अकाल की श्रेणी में लेना 6 आने वाली पुलिस कस्टडी में मत लेना।

श्री हरिदेव जोशी : नियमानुसार कार्यवाही करने का प्रश्न है उसमें कहीं भी चूक नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : (सूरतगढ़) : मैं अर्ज कर रहा था उपाध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न उठाया जा रहा था उस समय मैंने बार बार यह बात कही थी कि इस प्रकार के पुलिस के जुर्म और दबाव 3—4 दिन से वातावरण को बहुत गंभीर बनाये हुये हैं। एक के बाद एक घटनाक्रम हो रहा है इसलिए शिक्षकों के प्रश्न पर सरकार से तुरन्त स्टेटमेन्ट चाहते है। यह आज बन्द होने वाला आन्दोलन नहीं है। 23 तारीख तक चलने वाला है। अभी एक स्पष्ट मिसाल आई 300—400 शिक्षकों को गिरफ्तार कर मैंने इस सम्बन्ध में कोतवाली में भी टेलीफोन किया और उन्होंने यह भी बताने से इन्कार कर दिया कि क्या स्थिति है। अभी तक उनके खाने का प्रबन्ध नहीं हुआ है और न कोई सहूलियत है। साधारण कैदी की तरह पटक

(श्री योगेन्द्र नाथ हांडा)

रखा हैं यह पुलिस के दमन की मिसाल आपके सामने आगई है।

श्री हरिदेव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने अभी सूचना दी है मैं जानकारी करके जो कार्यवाही करनी पड़ती है वह करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पूनम चन्द विश्नोई।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद-विवाद

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : उपाध्यक्ष महोदय, माण्डलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो धन्यवाद प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विधान सभा का सत्र बहुत ही साधारण परिस्थितियों में हो रहा है। देश में कीमतों की बढ़ोतरी, अकाल की स्थिति कई प्रदेशों में हिंसा, हड़तालें-इस तरह की परिस्थितियां हैं और इसलिये आपका और हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि इस मुश्किल समय के अन्दर हम अधिक से अधिक जिम्मेदारी से काम लें। मुझे हमारे देश की जनता, वहां के राजनेता और प्रशासन तन्त्र पर पूरा भरोसा है कि मुश्किल परिस्थितियों से हम पार हुये, क्योंकि इससे पहले आज की परिस्थितियों से भी ज्यादा मुश्किल परिस्थतियां हमारे सामने आई और हम सफलता से उन सबका मुकाबला कर सके।

आज जो मंहगाई है उसके कई कारण हैं। बंगला देश के युद्ध, शरणार्थियों का यहां आना, बंगला देश की स्वतन्त्रता के बाद उसको सहायता देना और फिर कुछ लोगों का बहुत ही ज्यादा उतावला होना जिससे कि परिस्थितियां और भी ज्यादा बिगड़ें। पिछले चुनाव में जनता ने काफी जोश से कांग्रेस का समर्थन किया था और इतना बहुमत देने का सबसे बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस देश के अन्दर समाजवादी समाज की स्थापना करेगी। कुछ लोगों की यह आशा धूमिल होती जा रही है कि समाजवाद जितनी तेजी से आना चाहिए उतनी तेजी से नहीं आ रहा है। तुलसीदास की एक कविता है :

"पुरतें निकसी रघुवीर वधु,
धरि धीर दये मग में डग द्वै,
फिर पूछति है चलनो अब केतिक,
परन कुटि करिहौं कित ह्वै।"

सीताजी जब बनवास को जाने लगी और दो पैर रास्ते में दिये तो पसीना आगया और कहने लगी कि कुटिया कहां बनायेंगे, कहां बनवास होगा। जनता में उतावले लोग भी समाजवाद को इसी तरह जल्दी लाना चाहते हैं। तो यह लम्बा रास्ता है और सही रास्ता अपनाने पर भारत जैसे बड़े देश में समाजवाद आने में समय लगेगा। जो देश अपने आपको समाजवादी कहते हैं और स्वच्छ समाजवादी होने का दावा करते हैं वह भी कहते हैं कि अभी समाजवाद से हम दूर हैं। 50 साल हो गए रूस की क्रांति को, 25 साल हो गए चीन की क्रांति को लेकिन वह भी समाजवाद के नजदीक पहुंच गये हों या उनकी परिस्थिति, खास तौर से चीन की, कोई बहुत अच्छी हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। हमारे यहां पहले भी जैसा मैंने निवेदन किया, कि इस तरह की

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
मुश्किल परिस्थितियां बनीं और उससे भी हम सफलतापूर्वक निकल पाये इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमारे देश में जनतन्त्रवाद की जड़ें मजबूत हैं और जनतन्त्र के तरीकों से हम आगे बढ़कर इन सारी परिस्थितियों से निकल जायेंगे।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में शुरूआत की है अकाल से। इस साल अकाल राजस्थान में भयंकर है और 26 में से 24 जिले अकाल से प्रभावित हैं और 18,300 गांव प्रभावित हैं। अकाल तीन चार साल पहले भी राजस्थान में पड़े वह बहुत भयंकर भी थे। लेकिन उस समय हमारे पड़ोसी प्रदेश और राज्यों के अन्दर अकाल नहीं था। इस साल मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और दूसरे जो इलाके हैं, जो अपने से दूर पड़ते हैं उनके अन्दर भी अकाल है इसलिए परिस्थितियां हमारे सामने बहुत खराब हैं।

राज्यपाल महोदय ने लोगों को मजदूरी देने के लिए, अनाज के प्रबन्ध के लिए, चारे के लिए, पशु बाहर जायें उनके लिए-इन सब बातों की ओर संकेत किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पहले भी अकालों में हम सफलता से निकल करके आये थे और एक भी व्यक्ति को भूख से नहीं मरने दिया तो इस साल भी हम समझते हैं कि अकाल का हम सफलतापूर्वक मुकाबला कर पायेंगे और आज, पहले से ज्यादा अच्छी स्थिति में, हम अकाल का मुकाबला करने में हैं। एक कहावत है मारवाड़ी में-"होती रांड और पड़ता अकाल में बहुत भय लगता है।" पहले अकाल और भी भयंकर था और इस साल भी भयंकर लगता है। इस साल हमको भय है कि अभी तक इतने काम नहीं खुले, मजदूरी नहीं मिली और अनाज की कमी है। कष्ट जरूरी होगा जनता को। लेकिन हमारी प्रधान मंत्री ने अभी तीन-चार दिन पहले कांग्रेस संसदीय दल के भाषण में कहा है कि राजस्थान में विषम स्थिति है इससे वह पूरी तरह से परिचित हैं और अकाल के संबन्ध में पूरी सहायता दी जायेगी। हमारे यहां के प्रशासन को भी तीन चार साल का अनुभव है और अकाल के सम्बन्ध में पूरी सहायता दी जायेगी। हमारे यहां के प्रशासन को भी तीन-चार साल का अनुभव है और स्वयं अकाल राहत मंत्री तो उस क्षेत्र से आते हैं जहां कि चार साल में, एक साल अच्छी फसल, दो साल आधा अकाल व चौथा साल भयंकर अकाल का होता है। माननीय मंत्री स्वयं एक काश्तकार परिवार के हैं, वे स्वयं यहां पर मंत्री जरूर हैं लेकिन उनके 50-60 भाइयों के परिवार के लोग अकाल राहत के कार्यों में मजदूरी करते हैं। मैं समझता हूं कि इन परिस्थितियों में हम अकाल का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकेंगे। हमारे प्रशासन को भी अकाल से लड़ते लड़ते काफी अनुभव हो गया है। पिछले अकाल में हमारे सामने कुछ शिकायतें आई थीं कि भ्रष्टाचार हुआ, धन का दुरुपयोग हुआ। कुछ मायने में ऐसा हुआ भी है लेकिन जिन परिस्थितियों में अकाल राहत कार्य खोलने पड़े मैं समझता हूं कि सरकार के सामने और कोई विकल्प नहीं हो सकता था, कार्य जल्दी में खोलने पड़े या लोगों को बैठे बैठे मजदूरी देनी पड़ी। उस समय अकाल की बड़ी योजना भी तैयार नहीं थी। उस समय कई जिम्मेदार लोग सही जानकारी के अभाव में सोचा

(श्री पूनमचन्द बिश्नोई)

करते थे कि यह अकाल का एरिया ऐसा है कि जिसके अन्दर कुछ भी नहीं होता और उन क्षेत्रों को खाली कर देना चाहिए। इस क्षेत्र को आबाद नहीं कहा जा सकता। इस तरह की धारणाएं चलती थीं लेकिन मुझे खुशी है कि अब आम लोग भी, जन प्रतिनिधि भी और एक्सपर्ट्स भी इस क्षेत्र की विशेषता को और इस क्षेत्र की उपलब्धियों को समझने लगे हैं। अब जो योजनाएं बनाई जा रही हैं वह काफी व्यवहारिक हैं। तीन–चार साल पहले जब अकाल की स्थिति थी उस समय मैंने दो-तीन दफा सदन में अपनी राय व्यक्त की थी और यह निवेदन किया था कि जिस तरह का वहां पशुधन है, जिस तरह के वहां के लोग हैं जैसे वहां कुटीर उद्योग हैं-वह सब अपने मायने में बहुत उच्च कोटि के हैं और उनको हमें विकसित करना चाहिये उनको विकसित करने में वैज्ञानिक तरीकों को उपयोग करें तो हम अकाल से लड़ने की स्थिति में हो जायेंगे। यही नहीं बल्कि हम खुशहाली की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में डेकूरी उद्योग पर जोर दिया है, ट्यूबवैल्स की बात कही है, सड़कों की बात कही है और राजस्थान नहर को पूरा करने की बात कही है और उसके काम में ज्यादा ताकीदी लाने की बात कही है। मैं समझता हूं कि यह सब हमारे सोचने में परिवर्तन आया है उसी का नतीजा है और इस तरह की योजना हाथ में ली गई तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं कि हम कुछ समय के बाद निरन्तर ठीक रास्ते पर चलते हुए इस क्षेत्र को विकसित कर देंगे और अकाल की विभीषिका से मुक्ति पा लेंगे।

अकाल के सम्बन्ध में अभी एक बात बड़े अचरज की आई है साल डेढ़ साल से चाहे छोटा व्यक्ति हो या बड़ा, चाहे यहां का रहने वाला हो या दिल्ली का जन प्रतिनिधि हो या साधारण नागरिक चाहे पत्रकार हो या बुद्धिजीवी सब एक बात कहने लग गये हैं कि मरुस्थल के अन्दर सड़कों पर पैसा खर्च करना बिलकुल फिजूल खर्ची है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस गलत धारणा को आप छोड़ दीजिए और सड़कों में भी विशेष रूप से वह कहते हैं कि जो कंकर की सड़कें या ग्रेवल रोड बनाई जाती हैं वह किसी काम की नहीं हैं। भारत सरकार ने भी इसको सबसे नीचे की प्रायोरिटी दी है। अंग्रेजी में एक कहावत है 'वी हैव रोड्स और नो रोड्स बट वी पे फार रोड्स वी पे मोर इफ वी हेव नो रोड्स। सड़कों के अभाव में मरुस्थल के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी सड़कों को देनी चाहिए। सड़कों के अभाव में शिक्षा नहीं फैल सकती, उद्योग धन्धे नहीं लग सकते, अकाल राहत नहीं पहुंचा सकते, लोगों का दिमाग नहीं बदल सकते। इसलिए सड़कें जरूरी हैं। अब सवाल आता है ग्रेवल रोड्स का। कुछ मुख्य राज्य मार्ग है या राष्ट्रीय मार्ग हैं, उनको टार या सीमेन्ट का बनायें, लेकिन क्या राजस्थान के 32,000 गांवों को जिनमें एक गांव और दूसरे गांव की दूरी 15–20 मील है वहां

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

उस 20 मील के लिए 20 लाख रुपया खर्च करना चाहते हैं और वहां पर कितनी बड़ी बड़ी ट्रक्स या भारी वाहन चलेंगे जिससे कि आपको उस तरह की सड़कों की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं कि सोवियत रूस के अन्दर व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाया है और उनकी आज भी मध्य एशिया के अन्दर 60–70 प्रतिशत सड़कें ग्रेवल रोड्स हैं। पीकिंग से पीकिंग एरोड्रम को जोड़ने वाली सन् 57 में ग्रेवल रोड थी। सम्वत् 1969 में जब अकाल पड़ा तो मारवाड़ में उस वक्त मारवाड़ के तमाम बड़े 2 कस्बों को जोड़ा गया था मोर्ड की सड़कों से और 1954–55 में हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना सड़कों की बनाई थी उस वक्त तक सड़कें बराबर काम दे रही थीं। कोई कारण नहीं कि मोर्ड की सड़कें काम नहीं दें। बरसात वहां ज्यादा होती नहीं। साल डेढ़ साल में कभी मिट्टी डलवा दी, रिपेयर करवा दिया तो वह बराबर काम देंगी। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा इस बात के लिए कि हमें बराबर जोर देना चाहिए केन्द्रीय सरकार पर कि बिना सड़कों के राजस्थान की समस्याओं का हम सही हल नहीं निकाल सकेंगे। मरुस्थल का विकास नहीं कर सकेंगे, उद्योग धन्धे नहीं लगा सकेंगे। इसलिए मैं फिर सड़कों के बारे में जोर देऊंगा कि सड़कें कच्ची होनी चाहिए जहां तक हो सके। व्यवहारिक तरीका यही होगा। क्योंकि इतनी कीमती सड़क, एक लाख रुपये में एक माइल डामर रोड बनाए यह आवश्यक नहीं है। अच्छे ढंग से ग्रेवल रोड बनी हो तो वह भी इतना ही काम देगी जितनी कि डामर रोड काम देती है। डामर रोड बहुत भारी वाहनों के लिए उपयोगी हो सकती हैं लेकिन इन पर भी दो तीन ट्रक रोज जाते हैं . . .

श्री गोकुलचन्द : गांवों में भी रोज ट्रक जाते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : शिवचरणजी कह रहे हैं कि मेन्टीनेंस का पैसा कहां से आएगा तो यह फेमिन ईश्वर की कृपा से बराबर पड़ता रहेगा और इसमें कोई कठिनाई नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सड़कों के जाल में निराशावाद का जाल फैलाना चाहते हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : दूसरा प्रश्न, अकाल के बारे में जब हम सोचते हैं तो मरुस्थल में सिंचाई का प्रश्न आता है। मरु क्षेत्र में कई बड़े 2 तालाब हैं। कई ऐसे स्थान हैं जहां पर आस पास पहाड़ हैं, वहां पथरीली जमीनें हैं जहां पानी इकट्ठा होता है। छोटी मोटी नदियां हैं और आप जानते हैं कि मरुस्थल में सबसे कीमती चीज जो है वह पानी है। पानी का सही उपयोग हो और ऐसी योजना बनाई जावे कि एक एक बूंद पानी काम में आ जावे। चाहे ट्यूबवेल हों चाहे नालों में इकट्ठा हुआ पानी हो, चाहे बरसात का पानी हो, चाहे बांधों और तालाबों का पानी हो। इसके बारे में मैं पिछले दस सालों से अपनी बात कहता आया हूं लेकिन मुझे अफसोस है कि अभी तक हमारे वैज्ञानिकों ने, जो माहिर हैं, इस बात को नहीं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

समझा । कई जगह बहुत ही अच्छी बारानी, रबी फसल होती है । नदी और नालों के इर्द गिर्द मीठे पानी के कुए हैं । ऊपर पानी मीठा है और नीचे पानी खारा है । लेकिन हुआ क्या कि जिस किसी ने चलते रास्ते कह दिया कि यहां छोटे तालाब हों और बांध हों तो वहीं पर बांध बांध दिए लेकिन इसके अन्दर कोई वैज्ञानिक तरीका अपनाया नहीं । पहले सर्वेक्षण हो कि किस नाले का पानी कहां काम में आता है । जहां पर वह काम आता था उस काम को तो आपने कर दिया बन्द, रोक लगा दी और नई सिंचाई होती नहीं । पिछले सालों में पाली जिले में साढे, तीन चार करोड़ लगा कर बांध बांध दिया, जिसमें जवाई बांध शामिल नहीं है, लेकिन उसमें कुल 45 एकड़ में सिंचाई होती है । मैं आपको कहता हूं कि इससे वहां के इलाके को, चार पांच जिलों को आपने बिल्कुल उजाड़ दिया । मेरा सुझाव है इस चीज पर कि पहले सर्वेक्षण करके इस तरह की योजना बनानी चाहिए जिससे कि पानी के घूंट 2 का उपयोग हो । आप बरसात के पानी को जगह जगह रोक दें । जो पानी काम में नहीं आता है उसका सदुपयोग हो । उस तरह की योजना बनानी चाहिए । यह जो तरीका है ट्रेडीशनल उसको काम में लें तो उससे ही काम हो जाएगा ।

तीसरा है ट्यूबवैल के बारे में । ट्यूबवैल हमने बहुत से लगा दिए । लेकिन अभी तक ट्यूबवैल के उपयोग के बारे में राज्य सरकार कोई हल नहीं निकाल सकी कि उनका उपयोग कैसे हो । मैं अपनी छोटी बुद्धि के साथ नम्र निवेदन करता हूं कि ट्यूबवैल को चलाना किसी एक आदमी की क्षमता के बाहर की बात है, खास तौर से सीलिंग के बाद में । ट्यूबवैल्स के बारे में मेरा सुझाव है कि सरकार को इन्हें चलाना चाहिए और उसका पानी उन लोगों को दिया जाना चाहिए, निश्चित दर पर, जो उस ट्यूबवैल के आस पास आए हुए हैं और जिनकी ऐसी क्षमता नहीं है कि अपने खुद के कुए निर्मित कर सकें । कागजों पर कई दफा सवाल उठा देते हैं कि उस ट्यूबवैल के पास में न मालूम किसका खेत होगा । लेकिन यह निर्मूल धारणा है । गांवों के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट के खेत हैं जो एक तरफ आए हैं । जाटों के खेत हैं, राजपूतों के खेत हैं जो एक तरफ आए हैं । इस तरह के अपने अपने अलग अलग चक हैं और खास तौर से पिछड़ी जाति, जनजाति, अनुसूचित जाति, इनके खेत भी एक चक में अलग 2 आये हुए होते हैं । इसलिए सरकार इन ट्यूबवैल्स को चलाये और निश्चित दर पानी दें । हम तीन रुपया रोज फैमिन में मजदूरी देते हैं इसकी जगह यह कर दीजिए कि हम उन्हें दस रुपये के अन्दर प्रति बीघा पानी देंगे । यह एक बड़ा सहयोग होगा और वे अपने पैरों पर खड़े हो जायेंगे ।

इसी तरह से पानी की कमी है तो फसलें किस तरह की लगाई जावें, और-चार्ड्स लगायें, इस पर हमको, हमारे माहिरों को विचार करना चाहिये । गेहूं की खेती हमारे यहां महंगी हो सकती है पंजाब के मुकाबले, लेकिन एक बात समझिये कि पंजाब में एक एकड़ जमीन की कीमत पांच हजार

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

रुपया है। उस पर खाद पांच सौ रुपये का एक ट्रक मिलता है। मजदूरों की आठ रुपया रोज मजदूरी है। यहां पर पांच सौ रुपया एकड़ के अन्दर धरती मिले। मुफ्त में आप खाद का ट्रक भर सकते हैं। रुपये, दो रुपये रोज में मजदूर मिल जायं। तो कौन सी फसल हम लगायें। गेहूं क्यों पैदा करेंगे। साईट्रस प्लान्ट लगाइए, दूसरी चीजें लगायें जिसके कारण एक तरफ किसानों को लाभ होगा। इसलिए मै समझता हूं कि यदि इस तरह से सरकार ट्यूबवेल चालू कर देती है तो अकाल की विभीषिका को हम काफी मायने में कम कर सकेंगे।

इसके बाद में सवाल आता है मरुस्थल के विकास का। इस विषय में भी मैं कृषि मंत्रीजी, फैमिन रिलीफ मिनिस्टर जानते हैं कि 1953-54 से बराबर अपने विचार व्यक्त करता आया हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी इस समस्या का हल इतना मंहगा नहीं है जितना हम सोचते हैं और इसका निश्चित हल है। क्योंकि हमारे से अच्छा पशुधन हमारे से अच्छी घास हमारे देश में कहीं नहीं है। लेकिन हम इस मरुस्थल के विकास को एक अलग विषय मान करके चलें जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि आज हमारी बहुत सी छुटपुट योजनायें अलग अलग चल रही हैं। जो स्थायी हल कर सकते हैं लेकिन वह तभी जबकि सामुहिक रूप से एक दीर्घकालीन योजना, व्यापक योजना बने। बड़ी योजना ऐसी होनी चाहिये जो इसका स्थायी समाधान निकाल सके। लेकिन ऐसी योजना हम बना नहीं पाये हैं। एक कमेटी, एक बोर्ड या कमीशन इस तरह का राज्य सरकार को कायम करना चाहिये। अकाल में काम होते हैं, फसलों पर काम होते हैं, सौयल कंजर्वेशन के काम होते हैं, पंचवर्षीय योजनाओं के काम होते हैं, ड्रोट प्रोन के काम होते हैं, दीगर काम होते हैं, इन सब को मिलाकर एक योजना बनाई जावे और उस काम को जिस वक्त हमको हाथ में लेना हो, वह जब कभी जरूरत पड़े तो हमारे सामने डाकूमेन्ट तैयार रहना चाहिये। आम तौर से ऐसे बोर्ड्स, ऐसे आयोग और कमीशनों के बारे में मेरा बड़ा कटु अनुभव है। यह किसी व्यक्ति को, कोई काम देना हो तो ऐसे व्यक्ति के लिए सोच विचार के बनाये जाते हैं।

यह नहीं होना चाहिये। जिनकी दिलचस्पी हो, जो जानकार हो और अलग अलग बातों के जो जानकार हों, उन लोगों को मिल कर के, उनके साथ बैठ कर के जो पांचवीं योजना का नक्शा आप बना रहे हैं, जिसमें राजस्थान कैनाल का सवाल है, ट्यूब वेल्स को आप लगा रहे हैं, पानी की योजना आप बना रहे हैं, ऐसी तीन, चार समस्याओं की चाहे इसमें साल, छः महीना लगे आप एक योजना बना दीजिये दस, बीस साल की और मैं समझता हूं कि इससे हमारी इस समस्या का, इस प्रश्न का हल निकल सकेगा।

इसके बाद मैं राज्यपाल महोदय ने सीलिंग के सम्बन्ध में, जो एक अध्यादेश निकला है, उसके बारे में कहा है। सीलिंग के प्रश्न पर गहराई से विचार कर के जो अध्यादेश निकला है वह सदन के समक्ष आयेगा और उस वक्त ही मैं अपनी राय जाहिर करूंगा।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)
लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार इस बात के लिये हमारी बधाई की पात्र है। चाहे कोई कुछ भी कहे, जो प्रगतिशील पार्टियां हैं, और जो शासन कर रही हैं, उनमें वह सब से प्रगतिशील और सब से अच्छा जनहित कानून है, यह राजस्थान की सरकार ने किया है। 1949 में बिना एक पैसा लिये खातेदारी हकूक काश्तकारों को दे दिये। 1949 में मारवाड़ स्टेट में और 1955 में राजस्थान सरकार ने और उसके बाद अलग अलग मौकों पर काश्तकारों को जमीन का मालिक बनाया गया है। इसलिए चाहे कोई भी कुछ कहे मैं इस बात को चुनौती के स्वीकार करने के लिए तैयार हूं कि 99 परसैन्ट जमीन राजस्थान में उस व्यक्ति के पास है जो कि उस पर काश्त करता है। एक दो परसेन्ट को छोड़ कर···

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह गलत है। नाट करेक्ट।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : I can have a committee to enquire into the affiars.

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी बात जंचती नहीं है···

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह सही है 98 परसेन्ट काश्तकार जमीन के मालिक हैं। यह बात हो सकती है कि भूमिहीनों को समय पर जमीन एलाट नहीं की गई हो। कई जगह आबादी में उन लोगों ने अपनी झोपड़ियां बना लीं तो उनको भी राज्य सरकार ने हर दूसरे तीसरे साल रेगुलराईज कर दिया है। यह राजस्थान सरकार करती रही है। उसने भूमिहीनों को जमीन एलाट की है। आप और हम ऐसी कमेटियों के सदस्य हैं। आप स्वयं ही बताइये। 5–7 परसेन्ट की बात को छोड़ दीजिये, परन्तु ज्यादातर जो जमीन दी गई है वह भूमिहीनों को दी गई है।

श्री गुरदयालसिंह संधु : इसमें पचास फीसदी बोगस हैं।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : यह बात गंगानगर में हो सकती है। यह हो सकता है कि कुछ भूमिहीनों को आपने जमीन दिलाई हो और वे बाद में उसको बेच कर चले गये हों। वास्तव में ऐसे लोग भूमिहीन नहीं हो सकते हैं। मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान सरकार के इरादे में कोई फर्क नहीं हो सकता। और किसी प्रदेश का कानून इतना लिबरल नहीं है। जो भूमिहीन काश्तकार के लिये कानून राजस्थान सरकार का है वह और प्रदेशों में नहीं है। आज से बीस साल पहले, सतरह साल पहले के जमाने की बात सोचिये जब 80 प्रतिशत लोग जो जमीन को जोतते थे, जिस मकान में रहते थे, आज वे सब उसके मालिक हो गये हैं। हां, कुछ बिचौलिये हो सकते हैं, कुछ पूंजीपति लोग हो सकते हैं, कुछ सरकारी अधिकारी हो सकते हैं, कुछ राजा महाराजा और जागीरदार हो सकते हैं उनकी मुश्किलात को भी आप सोचें कि उनका धंधा खतम हो गया। वे इस फिक्र में रहे कि उनके पास कुछ खेती रहे ताकि वे काश्त कर सकें। इस तरह यदि महारावल साहब ने 30 एकड़ जमीन अपने पास रखली तो उनको हम कैसे कह सकते हैं। परन्तु आमतौर से राजस्थान के अन्दर भूमि

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

सम्बन्धी जो कानून है वह गरीबों के हित में है और बिचौलियों को पूर्णतया समाप्त कर दिया है और आगे भी जो जमीन उपलब्ध होगी उसको देने में जैसी कि हमारी परम्परा रही है, उन परम्पराओं का पालन किया जाये और उसके अनुसार काम होगा। ठीक है कुछ गल्तियां हुई हैं परन्तु इतने बड़े कार्य के अन्दर यह हो सकता है। कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों के भाषण मुझे याद हैं। मैं उनको यह कह देना चाहता हूं कि आज सचमुच में राजस्थान में काश्तकार अपनी जमीन का मालिक हैं और उससे आप भी इन्कार नहीं कर सकते हैं।

इसके बाद में राज्यपाल महोदय ने हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, उनका मास्टर प्लान बनाने के बारे में, उसकी जो बस्तियां है, समस्याएं हैं उनके बारे में कुछ संकेत दिया है। मैं नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, ये कोई खास कारणों से बड़े नहीं बन गये हैं। इनके शहर बनने का कारण था, उस समय आबाद हुए थे तो उनकी खास परिस्थितियों के कारण बने थे, पहाड़ जिस पर किला बनाया गया सुरक्षा की दृष्टि से, दूसरे पानी ताकि जनता पानी पी सके। ऐसा रास्ता, जो कि व्यापार की मंडी बन सके बिजनिस हो सके। इस तरह के स्थानों पर शहर बस गये थे। यह एक हिस्टोरिक एक्सीडेन्ट था और उस समय की परिस्थितियां थी। आज नया जमाना आ गया है। जहां पर कोई खनिज पदार्थ हो वहां पर शहर को बसाया जा सकता है। कई तरह की नई परिस्थितियां बनी हैं लेकिन इस पर हमारे सोचने का तरीका वही पुराना है। कोटा शहर है, कोटा के इर्द-गिर्द बस्तियां बने, जयपुर शहर है तो इसके इर्द गिर्द इसका विस्तार किया जायेगा। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि आगे चल कर इसके भयंकर परिणाम आयेंगे। गरीबों को आप कभी यहां पर सस्ते प्लाट नहीं दे सकते हैं। शहरों के आस पास जो बस्तियां, ग्रामीण क्षेत्र आये हुए हैं वह क्षेत्र धीरे धीरे शहर में आ जायेगा, जनसंख्या बढ़ेगी और उसके साथ ही उनका जो एक सांस्कृतिक जीवन है वह समाप्त हो जायेगा। उसमें 50।60 प्रतिशत ऐसा तबका होगा जो हर दृष्टि से सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा रहेगा। इसलिये हमको चाहिये कि इन शहरों को पहले ठीक करें और नये शहर बसा सकें इसके बारे में अभी से विचार कर लेना चाहिये। आज मैं देखता हूं कि जोधपुर के इर्द गिर्द बहुत बड़ा टाउन बन गया है। एक नया शहर बस गया है। मान लीजिये कि इसको कहीं गांव के बीच बसाया गया होता तो कितना फायदा होता। अरबन एरिया बढ़ जाता। वहां पर कितने ही छोटे मोटे धन्धे खुल जाते। उनकी जमीन की कीमत बढ़ जाती और लोगों को रोजगार मिलता। तो इस बारे में मैं समझता हूं कि हम को सोचना चाहिये कि कहां पर खनिज उद्योगों पर आधारित शहरों को बसाया जा सकता है, कहां पर डेयरी पर आधारित शहरों को बसाया जा सकता है। कहां पर आर. ए. सी. के ठिकाने, बी. एस. एफ. के ठिकाने, फौज के ठिकानों को बसाया जा सकता है। इन को शहर के पास ही रखने की क्या जरूरत है। इसके लिये आप करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। इनका अलग ही टाऊन बसाया जा सकता है और धीरे

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

धीरे वहां पर वस्ती बस जायेगी और एक नये शहर का वहां पर निर्माण हो जायेगा। राजस्थान के नाम पर आप ऐसा कर रहे हैं। इसलिये सरकार को इस ओर भी ध्यान देना होगा और एक नई योजना इस तरह की आगे की योजनाओं में हमको बनानी चाहिये।

फिर एक और सवाल है। गवर्नर महोदय ने पंचायती राज के बारे में कहा है कि एक कमेटी का गठन किया गया है। उसने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट दे दी है और उसकी दूसरी रिपोर्ट बाद में आयेगी। वैसे मैं धन्यवाद देने के लिये खड़ा हुआ हूं, परन्तु इससे बाध्य भी नहीं हूं कि अपनी सब बात नहीं कहूं। इससे ज्यादा अन्यायपूर्ण बात पंचायती राज के साथ और क्या हो सकती है। पंचायतों की क्या स्थिति है उससे हम सब अच्छी तरह से परिचित है, उसको अच्छी तरह से जानते हैं। लोग निर्णय कर अपनी समस्याओं को निपटावें, इसका अधिकार हम उनको देना चाहते हैं, यह हमारी परम्परा रही है। कई तरह के विदेशी शासन भी हमारे यहां पर आये किन्तु इस पंचायती राज से हम कायम रहे। इकबाल का एक शेर है :· · ·

बाकी रहा केवल नामोनिशां हमारा।

क्या कारण है, किस कारण से, मुझे नहीं मालूम, इस राह पर हम अभी चल रहे हैं इसका सब से बड़ा कारण है गांव का एक संगठन।

गांव एक इकाई था। कितनी भी वक्त की गुलामी होती तो भी एक मायने में वह स्वतन्त्र था। वह सस्ते रूप में अपना विकास कर सकता था। अपनी छोटी मोटी सुविधाएं प्राप्त कर सकता था। महात्मा गांधी ने इसी बात पर बल दिया है। ऐसा लगता है, क्योंकि पंचायत राज असफल हो गया है, इसीलिए गवर्नर महोदय ने, भूल नहीं गया हूं, 'इसके लिए भी लिख दूं', ऐसा सोचा होगा।

क्या आप यह सोचते हैं कि पंचायतों के बिना पंचवर्षीय योजना सफल बना देंगे। यह असम्भव है। लेकिन मैं कुछ और निवेदन करना चाहता हूं। रामानन्द जी कुछ घूर कर देख रहे हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था लोगों के अन्दर वैज्ञानिक दृष्टिकोण और भावना के बारे में। जो कुछ चीजें पहले लोग खरीदते नहीं थे, आज उन्हीं चीजों का अनेक मार्केट चल रहा है। एग्रीकल्चर के पम्पिंग सैट हैं, ट्रैक्टर हैं, आज तो गधे पर बैठे हुए हैं, और ट्रांजिस्टर लिये घूमते हैं। मैं समझता हूं कि यह लोगों का वैज्ञानिक दृष्टि है। आज लोग हरे वृक्ष काटते हैं। जानवरों को मारते हैं। आपके यहां गेम वार्डन होते हुए पोचिंग हो सकता है। लेकिन कुछ गांवों में आज वृक्ष नहीं काट सकते हैं। जानवरों को नहीं मार सकते हैं। कुए में कोई कंकड़ी तक नहीं डाल सकता है। तालाब की पाल है तो कोई एक कंकड़ी नहीं हटा सकता है। अगर कोई ऐसा गुनहगार है तो सहर्ष आगे होकर सजा पा लेता है। आज यह बात हो गई है कि ऐसी बातें होती हैं, जो मुल्जिम बरी हो गये हैं वही बताते हैं। आज आपने पुत्र को नहीं माना है। सरकारी तन्त्र ने यह समझा कि हुकूमत हमारे बल चल रही है। बाकी सभी चोर हैं। लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि जो

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

मन्दिर, मस्जिद, स्कूल और कुए निर्माण हुए हैं, जहां आपका अधिकारी नहीं गया है, वहां पैसा नहीं खा सकते हैं, गांव का आदमी बिक नहीं सकता है। धर्म का पैसा खा नहीं सकता है। पंचायतों पर जो सरकारी नियंत्रण है, उससे पंचायतों को मुक्त करना है। उनका अधिकार क्षेत्र क्या हो। इस बारे में विचार करना चाहिये नहीं तो समाजवाद नारा ही रह जायेगा।

सहकारी विभाग के बारे में राज्यपाल महोदय ने कहा है, बैंक खोल रहे हैं। गुलाबपुरा में कताई की मिल खोल रहे हैं। राजस्थान सरकार ने सोचा, यह बैल चलता है नहीं इसको भी कुछ घास फूस डाल दें। जनतन्त्र के माध्यम से राज्य का विकास करना चाहते हैं तो सरकारी तन्त्र का नियन्त्रण हटायें। आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि 15-15 आदमी मिल कर सामूहिक खेती करते हैं। इसे भावली प्रथा कहते हैं। कुए चलते हैं, सामूहिक रूप से। आप शिकायत को कहते हैं। सभी गावों मे मिल कर इस प्रकार से काम चलाते है इसी प्रकार से गांव का जो जलाशय है। अब तो पैसा मिलने लगा है। इसीलिए बेइमानी होती है। अगर कोई गांव में मेहमान आता है तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं करते थे। इस प्रकार से उस समय कोई पैसा नही खाता था। मैं नहीं कहता हूं कि इन्हीं कारणों से। लोगों में सदैव से सहकारिता की भावना रही है। सरकारी तन्त्र ने बीच में पड़ कर सहकारिता को ऐसा बना दिया है। आप रबी, खरीफ की योजनाएं अलग अलग कर देते हैं। ऐसी काश्त कभी लाभ प्राप्त नहीं कर सकती यह सौतेला व्यवहार अच्छा नहीं है, सरकार का। यदि हम पांचवीं योजना को सफल बनाना चाहते हैं तो हम को सहकारिता का आश्रय लेना पड़ेगा। आज जितने भी यन्त्र हैं तो वह चल नहीं सकता है। आज तांगेवाला आटोरिक्शा का मालिक होना चाहे तो वह हो नहीं सकता है। कुट्टी की मशीन है, आरा मशीन है। सुतार का काम गया। रंगाई का काम गया। जो गरीब तबके का है वह कभी मालिक हो ही नहीं सकता है। या तो आप कारखाना खोल दो और सभी को इकट्ठा कर दो। जिसमें सभी हाजरी लगा कर चले जायें। अगर आप नये आविष्कार का लाभ मानव मात्र को देना चाहते हैं तो सहकारिता को अपनाना पड़ेगा। तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि बड़े पैमाने पर काम करना चाहिये ताकि सहकारी संस्थाएं अपने पैरों पर खड़ी हो जायें। यदि हमारे इरादे अच्छे होंगे तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा। 10, 20, 50 रुपये किसी ने रख लिये वह अलग बात है। जो राज्य के पक्ष के हैं, उसमें ही पैसे बाकी हैं। जो जी हुजूर होते हैं, वह ऐसा कर लेते हैं। (अल्प विराम)।

जल प्रदाय योजना के बारे में मैं समझता हूं कि राज्य में बहुत ही अच्छा काम हुआ है। आज से 10-15 साल पहले नलों का पानी शहरों में ही उपलब्ध होता था। इस बात के लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है। सरकार ने बहुत बड़ी योजनाएं गांवों में बनाई हैं। जगह जगह टंकी नजर आती है। एक बात मैं और निवेदन करूंगा, अभी हम मुफ्त पानी दे रहे हैं। यह मुफ्त का काम कितने दिन चलेगा। मुझे इस पर भरोसा नहीं है।

(पूनमचन्द विश्नोई)

पिलाई जाना माना टैक्स है। हर घर को साल में 300) खर्च करने पड़ते हैं पानी पिलाने का। नामीनल टैक्स लिया जाए लेकिन इस बात को छोड़िएगा मत। आज से 10 साल बाद में स्थिति ठीक मालूम नहीं होती है। नल टूट जायेंगे, टंकियां पुरानी पड़ जायंगी, मशीनें घिस जायंगी, आपके पास रिप्लेसमेंट का तरीका नहीं होगा। उस समय जब नल से पानी पीने के आदी हो जायेंगे, अभी तो 6–6 मील से पानी लाते हैं उस समय आधे मील से भी पानी लाने में तकलीफ होगी। इसलिए सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए और इसके लिए योजना बनानी चाहिये।

बिजलीकरण के बारे में राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है। बिजली के बगैर आज के युग में तरक्की नहीं हो सकती और बड़ी खुशी होती है, विरोधी पक्ष के नेतागण और माननीय सदस्य भी मानेंगे कि आज हम रात को शहर से बाहर निकलते हैं तो हर शहर से 30–30, 40–40, 50–50 मील तक लगातार बिजली की रोशनी दिखाई देती है और काम संतोषजनक चल रहा है, इस काम पर और ज्यादा जोर देना चाहिए। हरियाणा में 5 हजार की जनसंख्या का गांव भी बिजली से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में ऐसे ऐसे गांव हैं जिनमें 10–10, 15–15 मील का फासला है, इससे हमारा बिलजीकरण का मामला बहुत ही अधिक खर्चीला है और उसमें पूरे रिटर्न्स नहीं आते हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार पर आर्थिक बोझ ज्यादा पड़ेगा। कोई योजना नहीं बन सकती बिजली के अभाव में जिससे हम अकाल का मुकाबला कर सकें। इसलिए राज्य सरकार को योजना बना कर केन्द्रीय सरकार के सामने रखनी चाहिए कि हम आपको अनुदान और लोन के रूप में हमेशा तंग करते हैं अगर आप बिजली दे देते हैं तो हमारे ट्यूबवेल्स चालू हो जायेंगे और हमारे क्षेत्र में उद्योगीकरण तेजी से बढ़ेगा। इस बात के लिए विशेष केस बना कर केन्द्रीय सरकार के सामने रखना चाहिए। मैं बधाई देता हूं विद्युत् मंडल को और विभाग को कि उन्होंने अच्छा कार्य किया। शिकायतें आती हैं, वे तो आती रहेंगी, उनकी तरफ प्रशासन को ध्यान देना ही चाहिए।

उद्योगों के बारे में राज्यपाल महोदय ने कहा है। इस दिशा में भी हमारी प्रगति बहुत धीमी है। राजस्थान की जमीन उपजाऊ नहीं। चरागाह और जंगल हैं, ऊजड़ इलाका है इसलिए जमीन के अन्दर वह क्षमता नहीं रही है कि ज्यादा खेती या पशुधन पर हम लोगों को रख सकें। इसलिए हमारे जितने मजदूर वर्ग के लोग हैं, ज्यादा उद्योग धन्धे लगा कर उसमें खपाना चाहिए। आज कलकत्ता जाकर बात की है; निमंत्रण दिया है, राजस्थान के बहुत अच्छे उद्योगपति हैं लेकिन यह मामला आगे नहीं बढ़ रहा है। हमें कारगर यत्न करने चाहिए ताकि हमारा उद्योगीकरण तेजी से हो।

अनाज के व्यापार के बारे में मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा, यह वास्तव में स्वागत योग्य कदम है। लेकिन एक नम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि काश्तकार से एक फिक्स्ड प्राइस पर अनाज लेंगे तो कम से कम डीजल या क्रूड, बिजली और बहुत सी कृषि

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)

की चीजें हैं, उनको ठीक कीमत पर मिलनी चाहिए। इस साल 50) की यूरिया की बोरी 80) में बिकने लग गई। जब क्रूड का समय आता है तो क्रूड नहीं मिलता है। 112) हैं एक ड्रम के उसके उनको 175) देने पड़ते हैं इसलिए काश्तकार को इस बात की शिकायत रहती है कि हमारी चीज को तो आप फिक्सड दाम पर लेना चाहते हैं और हमको आप ठीक दाम पर नहीं दे सकते। काश्तकार को बताना चाहिए कि राज्य सरकार बीच में मुनाफाखोरी का कार्य नहीं करती।

शिक्षा के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। इस पर पिछले वर्षों में काफी चर्चा हुई है। शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ी है। लेकिन इसके लिए सब दोष दिया जा रहा है कि हमारी शिक्षा ठीक नहीं है। बार बार कोशिश करते हैं लेकिन उसके परिणाम भी वही होते हैं। अभी केंद्र के नए शिक्षा मंत्री एक नई योजना बना रहे हैं लेकिन वह भी उसी रास्ते जाएगी जैसे पहली योजनायें गईं।

जिस वक्त देश गुलाम था उस वक्त सरकारी अधिकारी का ओहदा ऊंचा रहता था, लेकिन वह अब भी चला आ रहा है। नतीजा यह होता है कि घर के काम में कितनी भी आमदनी हो तो भी लोग सरकारी अधिकारी बनना चाहते हैं और जब कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तब जाकर और काम लेते हैं। जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त इस देश के टुकड़े होने का डर था, जगह जगह अव्यवस्था फैली हुई थी। इसलिए हमने सरकारी अधिकारी को उस वक्त मजबूत बनाया, और उससे हमें फायदा भी हुआ, क्योंकि जहां तक प्रशासन का सवाल है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाया लेकिन आज की सरकार कल्याणकारी सरकार है। जन कल्याणकारी काम में जहां कहीं भी सरकारी अधिकारियों ने हाथ डाला है, बुरी तरह से असफल हुए हैं, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र हो, चाहे पंचायती राज्य का क्षेत्र हो। उनकी जो मनोवृत्ति है, उनकी जो ट्रेनिंग है, और जिस वर्ग से वह आते हैं, वह समझते हैं, कि हुकूमत हम ही कर सकते हैं। अच्छा सा दफ्तर हो, एयरकन्डीशन्ड हो तो और भी अच्छा काम हो चाहे न हो, नोटस सही होने चाहिए। और एक बात के लिए तो मैं ब्यूरोक्रेसी को बधाई दूंगा कि उनके नोटस तो सही मिलेंगे। आज से दो सौ साल बाद में आने वाले लोग भी आपकी प्रशन्सा करेंगे कि आपके नोट्स बिल्कुल सही थे। वह लोग कहेंगे कि भारत के आदमी नोट्स बहुत अच्छे रखते थे। लेकिन फौज का दफ्तर कितना भी अच्छा हो, अगर फौज काम नहीं करेगी तो क्या हो सकता है?

आज हालत यह है कि मेरे जैसे जिम्मेवार आदमी को भी कहना पड़ता है कि आज के युग में जागीरदारों और राजाओं के समाप्त होने के बाद अगर कोई सब से बड़ा शोषक दल है तो वह सरकारी अधिकारियों का है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पंचवर्षीय योजनाओं में, जन कल्याणकारी योजनाओं में इनका प्रभुत्व नहीं होना चाहिये। यह लोग जो कुछ योजनाएं बनायेंगे, उनमें यह होगा कि कितने आदमी और रिक्रूट होने चाहिये और यह इनका स्टाफ होना चाहिये।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

सरकारी अधिकारी कई दफा कहते हैं कि राजनैतिक हस्तक्षेप है, इसलिये करप्शन नहीं मिट सकता। लेकिन अयूब के राज्य में कौनसा हस्तक्षेप था ? उसका तो पेट भी भरा हुआ था, लेकिन उनके यहां भी कोई फर्क नहीं आया आज राष्ट्रपति शासन हो जाये तो भी हमारे यहां कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आज बाजार में आदमी यह कह दें कि हम दल भी बदल सकते हैं, हम पार्टी के हक में भी काम करते हैं, लेकिन आज अगर राष्ट्रपति शासन हो जाये तो कल हम बेदखल हो जायेंगे, लेकिन इन सरकारी अधिकारियों की शोभा तो तब उठेगी जब यह दफन हो जायेंगे। आज यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि 80 प्रतिशत सरकारी अधिकारी करप्ट हैं, इसलिये इस तन्त्र को आगे नहीं बढ़ाना चाहिये। इनको प्रशासन तक ही सीमित करना चाहिये और, और क्षेत्रों में इनको नहीं लाना चाहिये। यह लोग पालीटीशियन को बेवकूफ बना कर उनसे दस्तखत करवा लेते हैं। इन्हें स्टील फ्रेम वर्क कहा है। ये समझते हैं कि वे संविधान के फायदे के लिये हैं और संविधान को कायम रखने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो यूरोप में और अफ्रीका के देश जो कि नये आजाद हुए हैं और उनमें जहां कि संविधान नया बना है और जहां कि डिक्टेटर्स हैं वहां पर क्या इनके बिना काम नहीं चलता है। आज क्या वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट जज और एस. डी. ओ. वगैरहा उनके हुक्म नहीं मानते हैं तथा क्या उन्होंने उनके विरुद्ध कोई प्रोटेस्ट की है या क्या उन्होंने इस्तीफे दे दिये हैं। मैं इसमें सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि इन्हें सीमा में रखना चाहिये . . .

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : यह स्टील शब्द जो है वह एस. टी. ई. ई. एल. नहीं है बल्कि वह एस टी इ ए एल है . . .

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अध्यक्ष महोदय अमेरिका के प्रेसीडेन्ट श्री लिंकन ने डेमोक्रेसी के लिए कहा है कि गवर्नमेन्ट बाई दी पीपल, आफ दी पीपल एण्ड फोर दी पीपल पर यहां तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेन्ट बाई दी सर्वेन्ट, गवर्नमेन्ट फोर दी सर्वेन्ट और गवर्नमेन्ट आफ दी सर्वेन्ट हो गई है। आज जनता के प्रतिनिधियों के प्रति अविश्वास की भावना फैलाई जाती है और यह ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वह कहते हैं कि राजनैतिक नेता हस्तक्षेप करते हैं। चलो मान लो कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे लेकिन इसके लिए मैं एक सुझाव देता हूं कि एक कमेटी ऐसी बनादी जाय जो कि जनता के हितों को देखे। इस कमेटी में सभी दलों के सदस्य हों, विरोधी दल के भी सदस्य और कांग्रेस दल के भी हों। आज इन बड़े बड़े अफसरों ने कलक्टर के नीचे भी अपने ही छुट भाइयों को रख रखा है जो कि इनके ही हितों की रक्षा करते हैं। मैं तो कहता हूं कि पुराने जमाने में कौनसे बड़े बड़े न्यायाधीश होते थे, कौनसी बड़ी 2 अदालतें होती थीं पर हमारे यहां के जो पन्च होते थे वे इमानदारी से और न्याय के दृष्टिकोण से बड़े से बड़े फैसले कर दिया करते थे। जितना फैसला वो जल्दी और ईमानदारी से करते थे वो आज इन बड़ी अदालतों से नहीं होता। आज जो कानून बनाये हुए हैं। वह सभी फोरिनर्स के बनाये

(श्री पूनम चन्द विश्नोई)
हुए हैं जो कि इनके ही हाथ मजबूत करते हैं अभी कुछ समय पहले मैंने एक फारसी हिस्टोरियन की किताब पढ़ी उसमें हेमू नाम के जनरल का हाल लिखा था। उसकी यह हालत थी कि उसको दो व्यक्ति मिल कर घोड़े पर बैठाते थे। तो आज इनकी हालत ऐसी ही हो रही है जैसे कि उस हेमू की हालत थी। पठानों को जनरल नहीं बना कर उस बनिये को जनरल बना दिया। उसने लिखा है कि दी आफिसर्स वर फैड बाई बटर एण्ड सुगर तो जो हालत होनी चाहिए वह नहीं हुई। आज वही हालत इन्होंने देश की कर रखी है। आज जनता तो भूखे मर रही है और यह तरह तरह से मौज कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सही स्थिति है। मैं आपको बता दूं कि हेमू को दो आदमी मिल कर पकड़ कर घोड़े पर बैठाते थे। आज जो डाक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, इन्जीनियर्स जो टैक्नीकली इनसे ज्यादा काबिल हैं उनको इन प्रशासनिक अधिकारियों के नीचे कर रखा है और मैं समझता हूं कि यही कारण है कि हमारी जितनी भी पंचवर्षीय योजनायें हैं वे सफल नहीं हो सकी हैं। क्योंकि इनकी भूमिकायें जो बनाई हुई हैं वह इन्हीं बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बनाई हुई हैं या वे ही इस पर अफसर बने बैठे हैं। आज अगर हमारे प्रदेश में पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है तो हमें ध्यान से काम करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा बहुत मैं ला एण्ड आर्डर के बारे में भी निवेदन करूंगा। कहना तो मुझे बहुत कुछ था पर कुछ समयाभाव के कारण थोड़ा ही निवेदन करूंगा। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से स्थिति काफी अच्छी है। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हमारे यहां कम शिकायतें ला एण्ड आर्डर के बारे में सुनी हैं। इसके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम लोग ही कानून के रखवाले हैं उन्हें गैर-कानूनी काम करने वालों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिए खास तौर से पुलिस वालों के बारे में कुछ कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे टीचर्स से ही कुछ अधिक प्रेम है। अभी दो तीन दिन पहले जो यहां पर घटना घटी उसमें दो तीन पुलिस वाले आदमियों की ऐसी हालत खराब हो गई कि उनका चेहरा नीला पड़ गया। आर. ए. सी. तो आप जहां भी खड़ा करें वो खड़े रह जाते हैं पर ज्यादा ज्यादती तो सिविल पुलिस वालों द्वारा की जाती है। ज्यादा समय नहीं है इसलिए मैं जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पहले वक्ताओं ने माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जो प्रदेश में उपलब्धियां हुई हैं उसमें आडम्बर युक्त, तथ्यहीन, काल्पनिक, सारहीन ही नहीं बल्कि यों कहिये कि वह तर्कहीन युक्ति है।

(4.08 म. प.)

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

(श्री गुमान मल लोढ़ा)

सभापति महोदय, मुझे दुःख है कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है उसका मैं समर्थन करने में असमर्थ हूं। मुझे दुःख इस बात का भी है कि जो माननीय सदस्य आत्मा की आवाज के हामी थे, उन्होंने ही इस धन्यवाद के प्रस्ताव को रखा है। जो यह कहते थे कि चाहे पार्टी किसी को कहे हम तो राष्ट्रपति के चुनाव में आत्मा की आवाज के अनुसार वोट देंगे चाहे चुनाव कोई लड़े। और अगर इसके लिये मुझे किसी का विरोध भी करना पड़े तो करूंगा। पर दुख है कि उन्होंने यह प्रस्ताव रखा। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि उनके भाषण का अगर सार निकाला जाय या सार लिया जाय तो उसमें यह उपलब्धि आयेगी कि आज राजस्थान की ढाई करोड़ जनता पीड़ित है, वो चाहे साफ शब्दों में नहीं कहे पर सार यही है। आज पूरा राजस्थान इस बात से परिचित है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री बरकतुल्ला खां साहब ने कहा कि मैं दिल्ली से कुछ लेकर हो जाऊंगा और दिल्ली में शरणार्थी बन कर बैठ गये थे दिल्ली के शासकों के आगे। आज राजस्थान के इतिहास को देखें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि जो राजस्थान दिल्ली के शासकों को प्रेरणा देता रहा उसी राजस्थान का मुख्य मंत्री, उसी प्रान्त का वित्त मंत्री और मुख्य सचिव जाकर दिल्ली में गिड़गिड़ाये, जो कि राजस्थान के समाचार-पत्रों में ही नहीं बल्कि सभी भारत के समाचार-पत्रों में छपा था। लेकिन प्रधान मंत्री ने उनकी नहीं सुनी और न ही वित्त मन्त्री ने सुना और यहां पर अकाल के लिये एक टोली भेज दी श्री मानिकचन्दा की अध्यक्षता में, मानिकचन्दा नहीं मनचन्दा की अध्यक्षता में। वो सभापति महोदय, मनचन्दा अकाल के क्षेत्र में नहीं गये और सरकिट हाउस में बैठे रहे। उन्होंने जनता के प्रतिनिधियों से भेंट नहीं की। जब जनता के प्रतिनिधि उनके पास गये तो वे उनसे नहीं मिले। मैं उन अध्ययन दल के अध्यक्ष श्री मनचन्दा को कहना चाहता हूं कि अगर उन्हें सही स्थिति का पता लगाना था तो जाकर देखते कि किस प्रकार जोधपुर में राशन की दुकानों पर हजारों आदमी खड़े थे। आज जब रूस और अमरीका चांद पर राज करने की सोच रहे हैं और जिस वक्त जनता के प्रतिनिधि उनसे मिलने आये तो उन्होंने कहा कि हमारी चाय पीने का समय हो गया है। हम आप से बात नहीं कर सकते हैं। यह तिरस्कार है, यह अपमान है! इस प्रकार का कथन हास्यास्पद है।

राजस्थान के पुराने मंत्रिमण्डल के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है और विरोधी दलों ने बहुत कुछ उनके बारे में कहा है, लेकिन एक बात यह माननी पड़ेगी कि सन् 1969 के अन्दर जितना भीषण अकाल था, जितनी उस समय अकाल की भीषणता थी, विषमता थी, दूसरी बातों को छोड़िये, मैं उनमें जाना नहीं चाहता। राजस्थान की ओर से केन्द्र के अन्दर गये तो उचित धनराशि लेकर आये, दण्डवत जाकर नहीं किया, रक्षामि रक्षामि नहीं चिल्लाये। उन्होंने केन्द्र में जाकर कहा कि राजस्थान की जनता की यह पुकार है, जनता की आवश्यकता है उसको पूरा करना है।

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लेकिन आज हम पानी पानी चिल्लाते हैं, धान धान चिल्लाते हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार नहीं सुनती। आज हमारे राजस्थान की लाबी वहां पर कितनी कमजोर है उसका उदाहरण इससे अधिक क्या होगा कि चार हजार सस्ते अनाज की दुकानें खोलीं, लेकिन तीन किलो अनाज भी वहां नहीं दे सकते। राजस्थान विधान सभा के एयर कन्डीशन्ड हाल में बैठ कर घोषणा करें, कपोल कल्पित चित्र पेश करने की कोशिश करें, लेकिन राजस्थान की जनता खेतों पर, खलिहानों पर, ढाणियों और कुओं पर और अपने मवेशियों को लाखों की तादाद में लेकर जाती हुई चिल्ला 2 कर कह रही है। क्या राजस्थान की सरकार इस बात को महसूस कर सकती थी? राजस्थान की सरकार क्या कह रही है इसके लिये? एक स्टडी टीम आयी, चली गई, दूसरी स्टडी टीम आयी वह भी चली गई। 8 फरवरी को मुख्य मंत्रीजी ने प्रेस स्टेटमेन्ट दिया। मैंने उनका वह स्टेटमेन्ट 'नवज्योति' में पढ़ा था। उसमें कहा था कि हमारे पास खाद्यान्न नहीं है। केन्द्र हमको सहायता नहीं दे रहा है। हम निर्बल हैं। असहाय हैं। हमारा केवल सहारा मात्र है राजस्थान की जनता का मनोबल। क्या मनोबल भूखे पेट से बनेगा? क्या मनोबल प्यासे व्यक्ति को पानी देगा? क्या मनोबल तड़फते हुए भूखे गाय, बैलों और मवेशियों को मरने से रोकेगा? हम मनोबल के ऊपर उस समय विचार करते हैं, हम मनोबल को लेकर चिल्लाते हैं। हमारे मुख्य मंत्रीजी आह्वान करते हैं कि राजस्थान के सब सदस्य आंदोलन उठायें, आवाज उठायें कि हमको केन्द्र से पूरी सहायता मिले। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है जैसा कि समर्थक महोदय ने कहा कि प्रशासन कौन चलाते हैं? राज्य कौन करता है? मुख्य मंत्री बरकतुल्ला खां राज्य नहीं करते। हमारे मंत्रिमंडल के लोग राज्य नहीं करते। राज्य प्रशासन के अधिकारी राज्य करते हैं। यह बरकतुल्ला खां गवर्नमेन्ट नहीं है। यह तो खुराना गवर्नमेन्ट है। हर जगह, हर चौराहे पर, हर गली में जाकर देखिये लोग यही बात करते हुए मिलेंगे। यह सही है या गलत यह तो मंत्रिमंडल के लोग ही कह सकते हैं। आम जनता तो यही कहती है कि यह बरकत गवर्नमेन्ट नहीं है, यह तो खुराना गवर्नमेन्ट है। दिस इज खुराना गवर्नमेन्ट रूलिंग राजस्थान। जनता के प्रतिनिधि जनता की राय न रख सकें यह जनतन्त्र नहीं है यह तो यहां ब्युरोक्रेसी राज्य कर रही है और जैसा कि प्रस्ताव के समर्थक महोदय ने कहा कि 80 परसेन्ट ब्युरोक्रेट करप्ट हैं। उसका उन्होंने चित्रण किया। उसकी कहानी उनके जबानी कि उन्होंने 2½ करोड़ जनता का अनर्थ किया है। दलित, दुःखी और पीड़ित जनता को अकाल से वे उबार नहीं सकते। मैं चाहूंगा मंत्रिमंडल इस पर विचार करे। विचार करने के स्थान पर हो क्या रहा है? 145 विधेयक कांग्रेस के जीत कर आये, लेकिन राजस्थान के इस मंत्रिमंडल ने विधान सभा की बैठक अकाल की स्थिति पर विचार करने तक के लिये नहीं बुलायी, बावजूद इसके कि विधान सभा के सदस्य मांग करते रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि दुःखी, पीड़ित, बेरोजगार रोजगार की समस्या को लेकर लोग हड़तालों और आन्दो-

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

लनों की ओर मुड़ने लगे। लोग बार बार चिल्लाते रहे कि विधान सभा का अधिवेशन बुलाइये लेकिन नहीं। बड़ी तादाद में आज आप यहां हैं। किसी प्रकार से यहां आये हैं उसको कहने की आवश्यकता नहीं। चांदी के सिक्कों से या समाजवाद के नारे से या गरीबी हटाने के लिये। जो वस्तु स्थिति आज है उसको मानना पड़ेगा। आज आप विधान सभा में 145 विधायक हो जिसकी सन् 1949 से पार्टी राज्य कर रही है, लेकिन आप लोगों के कहने पर भी विधान सभा नहीं बुलाई जाती। क्यों नहीं बुलायी? मैं यह नहीं जानता। इसका तो माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर देंगे। वे कहते हैं, मैं जनता से मिलने में संकोच नहीं करता। मैं डरता नहीं। जनता को तो छोड़िये। आज कांग्रेस पार्टी का विधान सभा में बहुमत है। जिस पर भी यह पार्टी हां करेगी, हां होगी और जिस पर ना करेगी ना होगी। जैसा कांग्रेस पार्टी का बहुमत करेगा वैसा होगा। ताली बजानी होगी तो तड़तड़ाहट की चारों ओर से आवाज आने लगेगी। इतना प्रचन्ड बहुमत होने की सूरत मे भी विधान सभा नहीं बुला सकते। क्यों नहीं बुलायी गयी? भारतवर्ष में और सब जगह विधान सभायें बुलायी गयीं। लेकिन राजस्थान विधान सभा नहीं बुलायी गयी। बहुत कहने के बाद कांग्रेस पार्टी की बैठक बुलायी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन हो रहा है क्या?

श्री सभापति : आप बीच में इन्टरप्ट न करें।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इतना सब कुछ होते हुए भी विधान सभा की बैठक नहीं बुलायी गयी।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की उपलब्धियां बतायीं। मंत्रिमंडल की मैं भी उपलब्धियां बता रहा हूं। एक तो यह उपलब्धि है कि सब कुछ प्रयास करने के बाद केवल चार पांच करोड़ रुपया ला सके। यह उपलब्धि है हमारे मंत्रिमंडल की।

दूसरी उपलब्धि बतायी 1.33 करोड़ अकाल से ग्रसित जनता में से अक्टूबर, 72 तक 33 हजार को काम पर लगाया। क्या अनुपात होता है? आप अन्दाज लगा लीजिये।

(4.18. म. प.)

(श्री फूलचन्द जैन, सभापति, पदासीन)

8 फरवरी को मुख्य मंत्री जी ने अपनी प्रेस कान्फ्रेन्स में बताया कि 2 लाख को काम पर लगाया गया। फिर कहा गया कि 3 लाख को काम पर लगाया गया। हो सकता है गलत सूचना मिली हो और प्रेस रिपोर्टिंग गलत हुआ हो। लेकिन यह मान भी लिया जाय कि तीन लाख को काम पर लगाया गया तो जहां 1 करोड़ 33 लाख लोग दुखी हैं, उत्पीड़ित हैं, चिल्ला रहे हैं, वहां अनुमान लगाइये...

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : रो रहे हैं।

से ग्रसित जनता का उद्धार होगा? वाह! राज्य सरकार की कितनी बड़ी उपलब्धि है? सुखाड़िया सरकार के समय अकाल पड़ा था सन् 1969-70 में।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : उन दिनों की बात याद आ रही है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : उस भीषण अकाल के समय यह मानना पड़ेगा कि सुखाड़िया सरकार ने अकाल के समय राहत कार्य खोले और केन्द्र से अधिक धन राशि लाये। चाहे अन्य कार्य विफल रहे हों लेकिन अकाल राहत के कार्य में काफी कार्य किया। यह भी कहना चाहूंगा कि अभी समाचार पढ़ा जिसमें यह छपा था कि मारवाड़ रिलीफ सोसाइटी ने कहा था कि वे राजस्थान में रिलीफ कार्य खोलना चाहते हैं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : यह फाख्ता उड़ाते थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अब तो भारतीया जी आपका पसीना गुलाब है।

श्री गुमानमल लोढ़ा : श्री शाह ने अपने वक्तव्य मे कहा कि लोग अकाल के अन्दर दुःखी होकर अपने मवेशियों को पन्द्रह पन्द्रह रुपये में कसाइयों को बेच रहे हैं। वे उनको अकाल से बचा नहीं सकते। श्री शाह ने बताया कि जहां भी मैं गया सोसाइटी राहत कार्य खोलने के लिये तैयार थी। मुख्य मंत्रीजी से भी मिला। सरकार ने कोई आंकड़े और योजना नहीं दी जिससे काम में गति आये। कितने दुर्भाग्य की बात है। राजस्थान के बाहर प्रवासी राजस्थानी लोग यहां के भूखे लोगों को और मरते हुए पशु धन को बचाने का प्रयास करे, पर हमारी सरकार और हमारे मन्त्रीगण और उनका प्रशासन उनको आंकड़े तक उपलब्ध नहीं करा सके, कार्यक्रम और योजना नहीं दे सके, यह कितने दुर्भाग्य की बात है। यह हमारी कितनी अकर्मण्यता है। इसके लिये क्लेक्टिवली सारा मन्त्री मण्डल दोषी है।

केवल कह दिया कि पहले जब अकाल पड़ा था तब किसी को मरने नहीं दिया था और अब भी हमारी सरकार और हम कृत संकल्प हैं कि किसी को अकाल के कारण मरने नहीं देंगे। मैं पूछता हूं व्यक्ति के मरने की क्या परिभाषा है? यह कोई नहीं जानता। मैं केवल जस्टिस कानसिंह का कथन यहां उद्धत करना चाहूंगा। वे उन दिनों जैसलमेर गये थे। उन्होंने वहां के पशुधन के बारे में बड़ा हृदयविदारक चित्रण किया है। वे कहते हैं कि जब वे जैसलमेर और बाड़मेर से गुजरे तो चारों ओर पशुओं की हड्डियों के कंकालों के ढेर जगह जगह लगे हुए थे। गिद्ध और पक्षी उन पर मंडरा रहे थे।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आप पिछले अकाल की बात कर रहे हैं या इस साल के अकाल के बारे में कह रहे हैं।

श्री गुमानमल लोढा : तो यह कहना कि एक भी व्यक्ति नहीं मरा इससे बढ़कर असत्य दूसरा नही हो सकता। मैं इसके पक्ष मे आंकड़े रखता हूं कि किस तरह से लोग भूख से तड़प तड़प कर मर गये। मैं जो नाम दे

श्री गुमानमल लोढा : केवल तीन लाख को काम पर लगाने से कितनी बड़ी अकाल

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

रहा हूँ सरकार उसकी जांच करवा ले। जांच करवाकर आप यह कह कर बरी होने का प्रयास करेंगे कि वह व्यक्ति भूख से नहीं मरा, मैल न्यूट्रीशन से मरा या बीमारी से मरा तो फिर तो इसका इलाज मेरे पास नहीं क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका नाम भूख हो। भूखे रहने के बाद ही बीमारी पैदा होती है और मैल न्यूट्रीशन भी होता है।

भीलवाड़ा जिले के, वहां के प्रस्तावक महोदय स्वयं हैं, मांडल तहसील में भगवानपुरा गांव में कजोड़ो नामक चालीस वर्षीया महिला की भूख के कारण पिछले सप्ताह मृत्यु हुई है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : What is the source of this information

श्री निरंजननाथ आचार्य : अंग्रेजी है यह।

श्री गुमानमल लोढा : एक व्यक्ति का नाम और लेता हूं। वह सरकारी नौकरी करता था। 14 दिन से सरकार ने तनखा नहीं दी उसको। 14 दिनों में उसे खाने को नहीं मिला और वह भूख से मर गया।

(4.25 म.प.)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष पदासीन)

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़ी देर के लिये····। फिर जारी रहेगा भाषण।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वैसे चिन्ता की बात नहीं है। भारतीया जी आ गये हैं।

सदन की अवमानता सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : मुझे सदन को सूचना देनी है कि आज सदन की कार्यवाही के मध्य में अपरान्ह लगभग एक बजकर पन्द्रह मिनिट पर दर्शक दीर्घा से दो दर्शक श्री सत्यव्रत पुत्र पंडित जयदेव, प्रधानाध्यापक, दयानन्द पब्लिक स्कूल, राजा पार्क, व श्री धर्मपाल, पुत्र श्री वृन्दावन, अध्यापक, पोद्दार हायर सेकण्डरी स्कूल, गांधी नगर ने नारेबाजी की और श्री धर्मपाल ने परचे भी सदन में दर्शक दीर्घा से फैंके हैं और इस प्रकार सदन की कार्यवाही में व्यवधान उपस्थित किया। उनको मेरी आज्ञा से प्रहरियों ने तत्काल हिरासत में ले लिया और लगभग तीन बजकर तीस मिनिट पर मेरे सामने प्रस्तुत किया। मैंने उनसे उनके व्यवहार के विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने उत्तर दिया कि उन्होंने जो कुछ किया वह सदन का अपमान करने की नीयत से नहीं किया, न उनकी यह जानकारी ही थी कि इससे सदन का अपमान होगा और उन्होंने अपने कृत्य के लिये खेद प्रकट किया और क्षमा याचना की।

अब सदन इस विषय में जो निर्णय उचित समझे ले।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि इन लोगों ने क्षमा मांग ली है फिर भी यह संकल्प मैं सदन में प्रस्तुत करता हूं:

यह सदन संकल्प करता है कि जो व्यक्ति अपने आपको श्री सत्यव्रत तथा श्री धर्मपाल कहते हैं, जिन्होंने आज लगभग 1.15 बजे अपरान्ह दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंके और जिनको वाच एण्ड वार्ड

(श्री खेतसिंह)
अधिकारी ने तत्काल हिरासत में ले लिया, उन्होंने घोर अपराध किया है और वे इस सदन के अपमान के दोषी हैं।

यह सदन आगे संकल्प करता है कि उनको आज सदन की कार्यवाही समाप्त होने तक की सजा दी जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आपने सारे तथ्यों का उल्लेख करते हुए इस स्थिति को सदन के सामने रखा है और उस उल्लेख में आपकी उदार नीति का भी संकेत है। इस सदन के प्रांगण पर यह पहला अवसर नहीं है। लगता है कि यह आंदोलन का एक अंग बन गया है। इस सदन में ही नहीं, लेकिन सारे राष्ट्र में ऐसे उदाहरण बार बार देखने को मिलते रहे हैं। निश्चय ही यह हमारा सदन एक लॉ मेकिंग बॉडी है। कानून यहां बनाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह जूडीसियरी से ज्यादा उदार भी होता आ रहा है। अतीत के पृष्ठ भी खोले जावें उन परम्पराओं कोओर मान्यताओं का आभास मिलेगा। तो अध्यक्ष महोदय, उग्र से उग्र स्थितियाँ इस सदन में बनी हैं। माननीय सदस्यों द्वारा भी और दर्शक दीर्घाओं में भी। लेकिन इस सदन की ऐसी उच्च परम्परा रही है कि सदैव ही ऐसे उदाहरण को बड़ी उदारता की दृष्टि से इस सदन ने देखा है। मेरा विश्वास है कि उन परम्पराओं के अनुरूप ही यह व्यवस्था है। निश्चय ही जो कुछ इन शिक्षकों ने किया उसके पीछे पृष्ठ भूमि है। वह पृष्टभूमि कहां तक न्यायोचित है इस सम्बन्ध में तो मैं इस समय कुछ नहीं कहना चाहता, पर सदन इन मामलों में सदैव से बड़ा उदार रहा है। सदन न्याय देता रहा है इन प्रश्नों पर और यहां का न्याय जूडीसियरी से और ऊंचा रहा है। उदार नीति में इसलिये कि विगत की हमारी परम्पराएं जो हैं उदार नीति की, सदाशयता की उसी के सन्दर्भ में आसन ने अपना संकेत किया है। उन्होंने क्षमा याचना मांग ली है। सदन क्षमा याचना को पर्याप्त समझता रहा है। इस संदर्भ में, मैं माननीय चीफ व्हिप ने, जो थोड़ा सा अनुदार तो नहीं कहता, पर यह समझते हुए कि यह निर्णय अन्त में सदन की परम्पराओं के अनुरूप ही होगा। इसलिये इन्होंने अपना यह विशेष प्रस्ताव इस रूप से रखा है। मेरा विश्वास है कि चीफ व्हिप महोदय भी काफी अरसे से इस सदन के सदस्य रहे हैं, इस सदन की उदार नीति और सदाशयता को देखते रहे हैं। इस संदर्भ में, मैं समझता हूं कि जो इन लोगों ने खेद व्यक्त किया है, वही पर्याप्त होगा, और चीफ व्हिप महोदय भी इसे पर्याप्त मान लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस उदार नीति का समर्थन करता हूं। जब अध्यापकों ने वास्तव में माफी मांग ली तो सदन को इस में उदारता बरतते हुए इस क्षमा याचना को पर्याप्त मान लेना चाहिये। क्योंकि आखिर एक बात जिस सन्दर्भ में, जिस अटमासफेयर में आज सब हो रहा है—अकाल के बारे में या मंहगाई के बारे में, उसी सन्दर्भ में सब हो रहा है, जिसमें हम सब अपने आपको असहाय पा रहे हैं, उस स्थिति पर काबू पाने के लिये और ये सब लोग उससे पीड़ित हैं, असहाय हैं। रि-एक्शन और रि-एक्ट करना एक स्वाभाविक बात है। इसलिये इस सन्दर्भ में इस सब बात को देखते हुये मैं निवेदन करूंगा और मुख्य सचे-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

तक महोदय से भी निवेदन करूंगा कि इस आशय से इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे और क्षमा याचना को पर्याप्त मानकर उदारता का परिचय देंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (भीनमाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने और अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह मान लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षकों ने ना समझी की। कुछ परिस्थितियां ऐसी थी जिसके कारण ऐसा हुआ और ऐसा करके इस सदन ने विशाल हृदयता का परिचय दिया है। भारत के दूसरे सदनों में भी माफी मांगना पर्याप्त समझा जाता है और मैं समझता हूं बैठक के अन्त तक सजा देना उचित नहीं होगा और उनकी क्षमा याचना ही काफी होगा।

श्री गुमानमल लोढा (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के उप नेता महोदय और मुख्य सचेतक महोदय दोनों को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा, आपने जो विचार व्यक्त किये हैं कि क्षमा याचना मांग ली और इस सदन की गरिमा और गौरव भी क्षमा याचना का रहा है—क्षमा वीरस्य भूषणम्-इस सिद्धान्त को मानकर चलेंगे तभी इस सदन की महिमा है और गरिमा है। इस सदन की गरिमा को जताने के लिये जो आपने सुझाव दिया था, उसी के अनुसार ही क्षमा स्वीकार करें। आधा घन्टा रोक सकते हैं, इससे भी अधिक रोक सकते हैं। यह सदन इस बात के लिये सक्षम है परन्तु इससे मैं समझता हूं सदन की गरिमा और गौरव को किसी प्रकार का बढ़ावा नहीं मिलेगा। इसलिये मैं और मेरे माननीय सदस्यों ने जो कहा है, विश्नोई जी ने भी कहा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं यह स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं जो कुछ मैंने कहा है उसमें कहीं पर कोई राय नहीं है। फैसला करने का अधिकार सदन को है। जो तथ्य सामने आये हैं, उनको मैंने बता दिया है। मेरी व्यक्तिगत राय उसमें नहीं है। मेरी राय आपकी राय होगी और आपकी राय, जो सदन के माननीय सदस्यों की राय होगी, वही होगी। मेरी राय सदन की ही राय होगी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मुख्य सचेतक महोदय ने प्रस्ताव किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अध्यापकों ने पर्चे व नारे बाजी की। यह कोई पहली घटना नहीं है। विधान सभा में पहले भी कई घटनायें हो चुकी हैं। अध्यापक होने के नाते अखबार वगैरह तो वे पढ़ते ही होंगे और यह भी उनको मालूम होगा कि विधानसभा में इस तरह करने पर क्या होता है? इसमें सदन के अपमान करने की नियत हो सकती है। वैसे भी जो माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने सजा बताई है वह बहुत मामूली है। मेरी मान्यता है बहुत कठोर दण्ड दिया जाना चाहिए ताकि आइन्दा के लिए लोगों की इस प्रकार की हरकतें नहीं हो। जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, मैं

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
कतई सहमत नहीं हूं ताकि आने वाले समय में भी लोगों को नसीहत रहे ।

श्री केदार नाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष जी मैं यह मानकर चलता था कि विरोधी दलों से जो प्रार्थना की गई है उसको मानकर हमारे मुख्य सचेतक अपने प्रस्ताव को वापिस कर लेंगे । इस आगस्ट हाउस का मुकाबला किसी अन्य बॉडी से नहीं करें । हमारी जिम्मेदारी कुछ और है । हमारी मॉरल ड्यूटीज अलग हैं । इसलिये टीचर्स इस सोसियो इकोनोमिक कन्डीशन में आ जाय और इस जगह पर आकर जो काम किया उस बेकग्राउन्ड को आप समझें । अगर मुख्य सचेतक महोदय टीचर्स की स्थिति में आज होते तो उन्होंने तो पर्चे फेंके और शायद ये छलांग लगाते । इसलिये सारे राजस्थान की स्थिति को देखते हुए और हमारी खुद की मॉरल ड्यूटीज को देखते हुए अच्छी हिस्ट्री बनायें, पुलिस की हिस्ट्री मत बनाओ–यही मेरा निवेदन है ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय अध्यक्ष, जो बात आपने बीच में खड़े होकर स्पष्ट की वही बात मैं भी निवेदन करना चाहता था । आपने कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं किया था कि आप इस राय के हैं कि अपराधियों ने माफी मांगी है इसलिये उनको क्षमा कर दिया जाना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह कहा है दो अपराधियों ने अपने बर्ताव के लिए क्षमा मांगी है इसलिए उनको क्षमा कर दिया जाना चाहिये । उनके बयानात से अध्यक्ष महोदय, आपने यह बताया है कि वे कहते हैं कि वे नहीं जानते थे कि इससे सदन का अपमान होता है और इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया । माननीय अध्यक्ष मैं यह समझ सकता हूं कि अनपढ़ ग्रामीण उत्तेजित होकर एक प्रकार का बर्ताव करें और उनके प्रति एक प्रकार का रुख अख्तियार किया जाय मगर अध्यक्ष महोदय, उन माननीय सदस्यों को जो इस महान संगठित संस्था के सदस्य रहे हैं, उन्हें भी यह समझना चाहिये कि साधारण पढ़े लिखे लोगों में और एक पढ़े लिखे अध्यापक में भेद करना चाहते हैं या नहीं । अध्यक्ष महोदय, आज जिस पृष्ठ भूमि की बात की जाती है, मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता मगर हम पृष्ठ भूमियों को कहें । मैं समझ सकता हूं कि फेक्टरी के गेट के ऊपर मजदूर धरना देते हैं और वहां पर एक प्रकार का माहौल खड़ा होता है, मगर यदि शिक्षक जो डा. राधा कृष्णन को आदर्श मानकर और उनको अपने संस्कार के रूप में मान कर यह कहते हैं कि हम उनके अनुरूप अपने आपको ढालना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी को बनाना चाहते हैं । वे शिक्षक यदि एक प्रकार का बर्ताव करते हैं तो निश्चित ही उनके प्रति दूसरे प्रकार का विचार किया जाना चाहिये । अध्यक्ष महोदय, मैं आग्रह करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं न मैं व्यक्तिगत रूप से उन लोगों को जानता हूं परन्तु फिर इस सदन को एक चीज तय कर लेनी चाहिये कि यहां पर आकर कोई नारा लगायें, पर्चे फेंके और जैसा कि एक माननीय सद-

(श्री हरिदेव जोशी)

स्य ने कहा कि छलांग मारकर अन्दर भी घुस जायें फिर इसको सदन का ब्रीच आफ प्रिवलेज नहीं मानें, मैं यह समझ सकता हूं कि समय की गतिविधियों को ध्यान में रखकर सदन के माननीय सदस्य एक प्रस्ताव पेश करें और मर्यादा तय कर दें कि इस सदन के सदस्यों को भी कोई प्रिवलेज नहीं है। हम क्यों प्रिवलेज क्लास होना चाहते हैं? अखबार हमारे खिलाफ कुछ लिख दे हम सेन्स्योर नहीं होते हैं, कोई नारे लगा दे हम सेन्स्योर नहीं होते हैं, अगर कही कुछ कह दिया जाये तो हम सेन्सेटिव होकर कहते हैं कि हमारा ब्रीच आफ प्रिवलेज होता है फिर एम.एल.ए. को और सदन को अपने आपको विशेष केटेगरी में रखने की चाह नहीं होनी चाहिए और यदि हम यह चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही उत्तेजनाविहीन वातावरण में और बाहर के इन्टरफियरेन्स के बगैर और बिना किसी व्यवधान के चले तो फिर आपको कुछ न कुछ करना होगा। आप कहते हैं कि एक प्रकार की मंहगाई की पृष्ठभूमि में यह सब कुछ हुआ है। आज शायद राजस्थान का किसान और ग्रामीण वर्ग शिक्षक की अपेक्षा अधिक उत्पीड़ित है। आज राजस्थान का किसान और मजदूर और हंगरस्ट्राइक करके इस विधान सभा के सामने आया होता तो मुझे उनकी बात समझ में आती लेकिन अध्यक्ष महोदय हायर सेकेण्डरी स्कूल्स के अध्यापक, जो सीनियर टीचर्स की ग्रेड में हैं, वे यदि आज इस प्रकार का बर्ताव करते हैं तो निश्चित रूप से मन में यह विचार होता है कि आखिर यह समझ बूझकर कर रहे हैं या क्या है। मैं अपने मन की बात अध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं कि इन दोनों अध्यापकों ने, जो यह कह रहे हैं कि उनके व्यवहार से सदन का अपमान होता था इसका उन्हें ज्ञान नही था, तो मुझे उनकी ईमानदारी के ऊपर शक है। मैं उन्हें उस समय ईमानदार मानता जब वह कहते कि हमने यह निर्णय किया था और हम अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते थे, उनको सुनाना चाहते थे जो नहीं सुन रहे थे—तब तो मैं उनकी ईमानदारी मानता। मगर अध्यक्ष महोदय मेरी आत्मा कहती है कि उन्होंने आपके सामने झूठ बोला है, आपको धोखे में रखने की कोशिश की है और इस सदन को भी धोखा देना चाहते हैं और इस प्रकार मैं उनको अच्छा आन्दोलनकारी नहीं मानता। वह लोग उन लोगों को भी धोखा दे रहे हैं जिनको वह यह कह कर आये कि आज हम यह एक्शन करना चाहते हैं। वह आज यह एक्शन नहीं करना चाहते थे और यहां पर इस चर्चा को सुनकर ही ऐसा कर दिया तो फिर वह पर्चे लेकर क्यों आये थे? किस बात की तैयारी थी यह? इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरा मन रह रह कर यह कहता है कि हम सदन को विशिष्ट मानकर शायद उन लोगों को उत्तेजना देना चाहते हैं, प्रोत्साहन देना चाहते हैं जो इस सदन की अवहेलना करना चाहते है। इस सब के बावजूद भी अध्यक्ष महोदय कुछ माननीय सदस्यों ने चीफ व्हिप महोदय से आग्रह किया है कि वह अपना प्रस्ताव वापिस ले ले, मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार के प्रश्न नारे के प्रश्न नहीं होने चाहिए। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो मैं यह पसन्द करूंगा कि विभिन्न पार्टी के लीडर्स और मेजौरिटी पार्टी के

(श्री हरिदेव जोशी)

लीडर्स बैठ करके आपस में विचार विनिमय करके किसी नतीजे पर आये और यहां पर यूनेनिमसली यह प्रश्न तय हो। हम सब जानते हैं कि यहां पर किस यूनियन ने प्रदर्शन किया था हम सब जानते हैं कि इस प्रकार के काम कौन करते हैं···

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, सदन यह जानना चाहेगा कि यह अध्यापक सदन में आये हैं तो किस की रिकमन्डेशन पर और किसके हस्ताक्षर से आये हैं···

श्री हरिदेव जोशी : यह भी जानकारी मिल गई है।

श्री हीरालाल देवपुरा : सदन में नहीं थे इसलिए हम जानना चाहते थे कि यह किस से हस्ताक्षर कराकर आये। उससे मालूम होगा कि यह प्रि-प्लान था या क्या था।

श्री हरदेव जोशी : जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि माननीय सदस्य श्री मीठालाल जी और श्री बनवारीलाल जी से उन्होंने दस्तखत कराये लेकिन अध्यक्ष महोदय यह उतना रिलेवेन्ट प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में प्रवेश करते समय हमें कई लोगों को फेस करना होता है, जो कि विजिटर्स होते हैं, खड़े होते है खड़े होते हैं और फार्म लेकर खड़े होते हैं, दस्तखत करने के लिए आग्रह करते हैं। मैं माननीय सदस्यों की नीयत के ऊपर कोई अविश्वास नहीं करता लेकिन सब कुछ होते हुए भी दो अध्यापकों ने जो एक्शन किया है उसके लिए मेरा मन गवाही नहीं देता कि उन्होंने किसी स्वेच्छा से या उत्तेजना से किया है। इस सब के बावजूद भी जैसा मैंने निवेदन किया मैं यह पसन्द नहीं करता कि सदन के अन्दर इस प्रकार के प्रश्नों के ऊपर दो राय हो इसलिए मैं मुख्य सचेतक महोदय से प्रार्थना करता हूं कि वह अपने प्रस्ताव को वापिस लें और उसको इस तरह से अमेण्ड कर लें कि क्योंकि उन्होंने क्षमा याचना कर ली है इसलिए उन्हें क्षमा कर दिया जाये।

श्री मीठालाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा नाम जोड़ा गया है। अध्यक्ष महोदय यह मेरी बिलकुल नीयत नहीं थी···

श्री चन्दनमल बैद : आप तो बेनीयत हैं।

श्री मीठालाल : जो महानुभाव आये उन्होंने केवल इतना कहा कि मुझे मनफूल राम जी ने भेजा है इसलिऐ आप दस्तखत कर दो और मुझे खेद है कि इस तरह से हुआ।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन के सामने सारी परिस्थितियां बताई गई हैं मैं अपने प्रस्ताव को चूंकि उन अध्यापकों ने क्षमा मांग ली है वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आज्ञा देता हूं कि सत्यव्रत और धर्मपाल, जो दोनों इस समय कस्टडी में हैं, छोड़ दिये जायें।

(4.50 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुमानमल लोढ़ा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अग्रेतर वाद विवाद

श्री गुमानमल लोढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख वह आंकड़े प्रस्तुत कर रहा था जिनके बारे में जांच करने के बाद, प्रमाणों के साथ, यह पता चला है कि वह व्यक्ति राजस्थान के इस अकाल के अन्दर भूख के कारण त्राहि त्राहि करके मर गया। एक नहीं अनेक हैं। और एक जिले से नहीं अनेक-जिलों से हैं। भीलवाड़ा की मैंने आपको बात बताई। जो कार्य कर रहा था राहत कार्यों पर, चौदह रोज तक उसको मजदूरी नहीं मिली और इसके कारण से परिवार के भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकी। कजोड तीन दिन तक घास को उबाल उबाल कर खाता रहा और उस घास को, जिस घास को हम पशु को भी देना पसन्द नहीं करते राजस्थान का वह वीर जिसने उस घास को उबाल उबाल कर खाया आंतडियों ने जवाब दे दिया और तीन दिन के बाद में वह चलता हुआ? हाहाकार करता हुआ मर गया। यह उपलब्धि है हमारी सरकार की। खेतराम वल्द सिद्धराम, 47 वर्ष का, ग्राम वज्जू तेलपुरा, कोलायत तहसील के अन्दर है, उसके साथ में उसका दो वर्ष का बच्चा और जोराराम, पिता का नाम तेजाराम जाट की 40 वर्ष की पत्नी और परिवार के तीन लड़के और लड़कियां....

श्री रामनारायण चौधरी : जाट कभी भूख से नहीं मर सकता।

(व्यवधान–अश्रव्य)

श्री गुमानमल लोढा : जाट इसलिए भूख से मरता है कि दिल्ली में बैठी हुई राजस्थान की लाबी प्रधान मंत्री से लोगों को नाज नहीं दिला सकती इसलिए जाट को भूख से मरना पड़ा।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आपने जाट की बात कही है।

श्री गुमानमल लोढा : श्मशान की जलती हुई लाशों पर अट्टहास करने वालों, भूख से मरी हुई लाशों पर हर्षनाद और करतल ध्वनि करने वाले लोगों याद रखो! मैंने यह बात गम्भीरता के साथ कही है। मैं आपको कहता हूं कि अखिल भारतीय जन-संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री सुन्दरसिंह भंडारी ने इस बात की जांच की है, वे मौके पर गए हैं और वहां जांच करके आए हैं। आप चाहें तो इस बात की...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आप खुद गए हैं कहीं स्पोट पर या वकालतखाने में ही देखा है।

श्री गुमानमल लोढा : पागलखाने में केवल आपको देखा है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : मैंने वकालत के लिए कहा है पागलखाने के लिए नहीं।

(व्यवधान–शोरगुल)

मैंने वकालतखाने के लिए कहा है पागलखाने के लिए नहीं, माफ करना।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपको पागलखाने जाने का ज्यादा शौक है।

श्री गुमानमल लोढा : एक प्रस्ताव और पारित करें कि एक पागल आ गए हैं।

(व्यवधान-शोरगुल)

श्मशान में जलती हुई चिताओं पर अट्ट-हास करना सरल है, परन्तु मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यह जो नाम मैं आपको दे रहा हूं उनकी आप जांच कराने का साहस करें इसके बारे में। कोलायत के तीन नाम और उनके परिवार की वहां अकाल के कारण भूख से मृत्यु हुई है, इसकी जांच अखिल भारतीय जन-संघ के महा मंत्री श्री सुन्दरसिंह भंडारी खुद करके आए हैं। उनके द्वारा नाम प्राप्त किए गए हैं। हो सकता है कि इसके बारे में मतभेद हो लेकिन सदन के अन्दर भूख से मरने वालों का नाम लिया जाय और करतल ध्वनि की जाय, इस पर हंसी की जाय तो मैं समझता हूं कि किसी भी सदन के लिए निर्लज्जता की हद इससे अधिक नहीं हो सकती।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सुन्दरसिंह भंडारी की जांच यहां बहस का आधार नहीं बन सकती है : उस आधार पर बहस नहीं हो सकती।

श्री गुमानमल लोढा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह अकाल राहत मंत्री का कार्य है कि जांच करें और इसके बाद कहें कि सही है या गलत है, लेकिन कम से कम जांच करके उसको असत्य-करार देने से पहले अपने हृदय पर हाथ रख कर विचार करें। यदि कोई भूख से मृत्यु होने का आरोप लगाया जाता है तो सरकार का जांच कराने का दायित्व है, आपका केवल यह कह देना...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आपका भी काम है कि जांच करके आरोप लगायें।

(व्यवधान-शोरगुल)

श्री गुमानमल लोढा : जांच के बाद ही आरोप लगाए हैं...

श्री रामनारायण चौधरी : पोइन्ट ऑफ आर्डर सर।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आज एक व्यक्ति मर गया है उसके बाद भी...

श्री रामनारायण चौधरी : पोइन्ट ऑफ आर्डर उपाध्यक्ष महोदय।

(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य गुमानमल जी लोढ़ा जो भाषण दे रहे हैं और जिस बात को प्रमाणित करने की कोशिश कर रहे हैं कि भूख से मरा है और उसकी जांच का आधार वह सुन्दरसिंह भंडारी की रिपोर्ट को बताते हैं जो उनके जनसंघ के एक नेता हैं। माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा है कि उन्होंने जांच की है। इस सदन में या तो माननीय सदस्य अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर कह सकते हैं। या किसी सरकारी अधिकारी की जांच के आधार पर कह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो इस सदन का सदस्य नहीं है, जिसका इस सदन से ताल्लुक नहीं है, उस सदस्य की रिपोर्ट के आधार पर क्या माननीय सदस्य उसके तथ्यों को रखने का दावा कर सकते हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : इस सम्बन्ध में......

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : यह बहुत ही अहम् प्रश्न है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पर रूलिंग दी जाय।

श्री गुमानमल लोढ़ा : माननीय शिवचरणजी माथुर ने जब यह कहा था कि राजस्थान में भूख से कोई नहीं मरा तो क्या वह राजस्थान के सारे गांवों में जाकर जांच करके आये थे ?

श्री शिवचरण माथुर : आप गलत कह रहे हैं। मैंने तो यह कहा था ...

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : गवर्नमेंट की पार्टी और गवर्नमेंट के आधार पर उन्होंने कहा है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : जिस व्यक्ति की मृत्यु की बात कही गई है, उस गांव के रहने वाले चालीस व्यक्तियों ने इसके प्रमाण में अपने एफिडेविट दिये हैं। वह भूख के कारण मरा है...

श्री रामनारायण चौधरी : कोई नहीं मरा है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीया : आप देख रहे हैं।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यही तो कह रहा हूं। वहां जाकर 40 व्यक्तियों के प्रमाण-पत्र लेकर गांव वालों की सूची लेकर, वहां जाकर एस. डी. एम. को दी है। एस. डी. एम. ने उसकी जांच की है लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई कोंट्रडिक्शन नहीं किया गया......

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीया : आप अपनी बारी पर बोलें, पहले व्यवस्था दी जाएगी।

श्री खेतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पांच बज गए हैं।

श्री हरिदेव जोशी : सदन की कार्यवाही 11 बजे तक के लिए स्थगित हो तो छुट्टी मिले।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 20 फरवरी को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 5.00 बजे कल मंगलवार दिनांक 20 फरवरी, 1973 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(108)

परिशिष्ट 1

(ता. प्र. सं. 1 की सूची)

वर्तमान अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई अनियमितताओं की सूची:—

1. दिनांक 15–10–71 को बिना राजकीय आदेशों के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी श्री डी. पी. माथुर को कार्य मुक्त कर देना, दिनांक 10–8–72 को श्री शमशेरसिंह सब निरीक्षक को बिना विभाग के स्थानान्तरण आदेशों के कार्य मुक्त कर देना और श्री पूनमचन्द चौधरी को अधिशासी अधिकारी का कार्य सम्भलवाना।

2. बैंक के तत्कालीन व्यवस्थापक, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष द्वारा कश्मीर कान्फ्रेन्स में भाग लिया गया।

3. बैंक में बिना आवश्यकता के दो सुपरवाईजर की नियुक्ति अनियमानुसार, बिना स्ट्रेन्थ के की गई।

4. बैंक की जीप की मरम्मत नहीं करवा कर गाड़ी किराये पर की गई जिससे धन का व्यय हुआ।

———

परिशिष्ट 2

(ता. प्र. सं. 4 की सूची)

(क) बीकानेर जिप्सम लि. द्वारा खनन कार्य पूर्णतया संविदा की शर्तों के अनुसार नहीं हो सका है।

(ख) उक्त कम्पनी द्वारा उत्खनन, क्रशिंग तथा परिवहन के लिए पर्याप्त मशीनरी प्राप्त नहीं की जा सकी।

(ग) उक्त कम्पनी द्वारा पर्याप्त मात्रा में मलवा नहीं हटाया गया तथा कुछ मलवा (उचित) निर्धारित स्थान पर नहीं डाला गया।

110

परिशिष्ट 3

(ता. प्र. सं. 14 की सूची)

LIST OF CANDIDATES WHO HAVE BEEN SELECTED BY THE D.P.E. HELD IN JANUARY, 1973.

DISTT. MEDICAL & HEALTH OFFICERS SENIOR SPECIALISTS

1. Dr. Vaisham Payan
2. Dr. J.N. Upadhaya
3. Dr. H. S. Brocha
4. Dr. S. L. Bohra
5. Dr. K. D. Sharma
6. Miss Raj Kumari
7. Dr. P. M. Bhatnagar
8. Dr. V. S. Saxena
9. Dr. C. L. Sablok
10. Dr. (Miss) Shanti Mathur
11. Dr. (Miss) Tara Mathur
12. Dr. H. M. Rawat.

*1. Dr. S.M. Gupta
2. Dr. M.K. Gupta
3. Dr. N. K. Sharma
4. Dr. R. N. Tandon
5. Dr. Jai Narain
6. Dr. Mrs. P. K. Jain
7. Dinesh Kumar
8. Dr. K. M. Parihar

N. B.—The names of such doctors against whom D/E or stay order of the high court is pending have not been given.

JUNIOR SPECIALISTS

1. Dr. S. C. Mathur (Medl)
2. Dr. Sohan Sankhala (Medl)
3. Dr. V. D. Garg (Medl)
4. Dr. S. N. Gaur (Medl)
5. Dr. R. G. Agarwal (Medl)
6. Dr. S. S. Srivastava (Medl)
7. Dr. J. B. Joshi (Medl)
8. Dr. R. L. Gupta (Surgery)
9. Dr. S. P. Johari
10. Dr. Murli Manohar „
11. Dr. B. P. Mathur „
12. Dr. M. C. Mehta „

13. Dr. S. R. Soni (Medl)
14. Dr. A. S. Gahlot ;,
15. Dr. S. D. Sharma ,;
16. Dr. (Mrs.) Snehalata Goyal (Gyn.)
17. Dr. R. John (Miss) (Gyn.)
18. Dr. (Miss) Mohini Kohili (Gyn.)
19. Dr. (Mrs.) Chandra Probha (Gyn.)
20. Dr. S. N. Vyas (ENT)
21. Dr. M. P. Gupta (ENT)
22. Dr. H. K. Mittal (Anaesthesia)
23. Dr. Desh Raj (Radiology)
24. Dr. R. C. Mathur (Orthopaedic)
25. Dr. D. D. Sharma (Orthopaedic)
26. Dr. N. L. Varandani (Pathology)
27. Dr. J. P. Saxena (Eye)
28. Dr. M. G. Saxena (Eye)
29. Dr. V. S. Sharma (Eye)

परिशिष्ट 4

(अ. ता. प्र. सं. 5 की सूची)

राज्यादेश दिनांक 8-12-67 परिपत्र की प्रतिलिपि

राजस्थान सरकार

भाषा विभाग

संख्या एफ. 1 (12) हि. वि. 65/ 2739:–राजस्थान में सम्पूर्ण राज्य कार्य हिन्दी में करने संबंधी मंत्रि-मण्डलीय पूर्वादेश दिनांक 25 जनवरी, 1965 के अनुसरण में राज्य सरकार यह आदेश देती है कि दिनांक 26 जनवरी, 1968 से राजस्थान में राज्य कार्य पूर्ण रूप से हिन्दी में किया जाय।

परन्तु अहिन्दी भाषी प्रान्तों के रहने वाले वे अधिकारी जिनकी मातृ भाषा हिन्दी नहीं है :—

1. यदि उनकी आयु 45 वर्ष अथवा उससे अधिक है तो उक्त नियत तारीख के पश्चात् भी वे अपनी सुविधानुसार हिन्दी या अंग्रेजी में राज्य कार्य कर सकेंगे।

2. यदि उनकी आयु 45 वर्ष से कम है तो उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे पांच वर्ष की अवधि में हिन्दी भाषा सीख लें। इस अवधि में छूट होगी कि वे अपनी सुविधानुसार हिन्दी अथवा अंग्रेजी में राज काज निष्पादित करें।

सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि राजस्थान हाई कोर्ट के अधिनस्थ न्यायालयों को छोड़ कर राज्य सरकार के समस्त न्यायालयों ने जिनमें वाणिज्यिक कर न्यायालय राजस्व मण्डल आदि अभी न्यायालय सम्मिलित होंगे, दिनांक 26 जनवरी, 68 से सारा राजकाज हिन्दी में किया जाए किन्तु सचिवालय स्तर पर विधि विभाग आगामी 3 वर्ष तक टिप्पणी पत्र व्यवहार आदि में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सकेगा।

साथ में यह भी निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार से पत्र-व्यवहार सुविधा अथवा आवश्यकतानुसार हिन्दी या अंग्रेजी में किया जा सकेगा।

ह. शासन सचिव

परिशिष्ट 5

(ता. प्र. सं. 12 की सूची)

चूरू से नागौर वाया रतनगढ़, पठोहारा, छापर, बीदासर, सांडवा, कातर, लालगढ़

क्रमांक	प्रार्थी का नाम व पता	प्रार्थना पत्र की तिथि
1	2	3
1.	सर्व श्री पीरथ राज सोनी पुत्र श्री कालू राम सोनी बीदासर, जिला चूरू	29-9-72
2.	भंवरलाल सोनी पुत्र श्री बीगतराम सोनी राजलदेसर, जिला चूरू	29-9-72
3.	बिहारी लाल पुत्र श्री बिसादू राम धोली तलाई, बीकानेर	29-9-72
4.	पन्नालाल पुत्र श्री कलन चन्द, बीदासर	29-9-72
5.	सत्यपाल मिस्त्री पुत्र श्री छगनलाल, चूरू	29-9-72
6.	भागीरथ मल जांगिड़ पुत्र श्री सूरजमल कालटेक्स पैट्रोल पम्प रानी सती रोड, झुंझुनू	29-9-72
7.	सूरजमल अहीर पुत्र हनुमान राम, चूरू	29-9-72
8.	सूरजराम ड्राईवर पुत्र श्री नेम राम माली, बीदासर	30-9-72
9.	मेघ राज पुत्र उमीनाराम, बीदासर	30-9-72
10.	रामलाल सोनी पुत्र मूलचन्द सोनी छापर, जिला चूरू	30-9-72
11.	सम्पत मल सोनी पुत्र पृथवी राज बीदासर, जिला चूरू	30-9-72
12.	दुर्लसिंह पुरोहित पुत्र बालसिंह पुरोहित मयाकला, जिला नागौर	30-9-72
13.	इन्द्र चन्द्र सुनार पुत्र मूल चन्द शहुलपुरा, जिला चूरू	30-9-72
14.	हनुमान मल सिंधी पुत्र भवरीमल सिन्धी	3-10-72
15.	सांवरमल सोनी पुत्र डूंगर मल, चूरू	3-10-72
16.	राधेश्याम सोनी पुत्र नथूराम चूरू	3-10-72
17.	निजामुद्दीन ड्राईवर पुत्र हाजीगुलाम मोहम्मद, नागौर	3-10-72
18.	शिवसिंह ड्राईवर पुत्र जसवन्त सिंह, डेगाना	3-10-72
19.	बाबूखान पुत्र श्री गफरूखान मारवाड़, मुण्डवा	3-10-72

114

1	2	3
20.	सोहनसिंह पुत्र रीवसिंह, नागौर	2-10-72
21.	नाथराम जाट ड्राईवर पुत्र उमारा जाट, बीदासर	4-10-72
22.	अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र राजकुमार पुरोजिगली, राजगढ़	4-10-72
23.	श्रोम प्रकाश पुत्र रामनिवास गान्धी चौक, नागौर	4-10-72
24.	हनुमानसिंह पुत्र लखसिंह सुल्ताना, जिला झुंझुनू	4-10-72
25.	जगदीश प्रसाद पुत्र दुराराम सोनी, सुजानगढ़	5-10-72
26.	दुर्गादत्त जागिड़ पुत्र घासीराम जांगिड नयी रोड, चूरू	5-10-72
27.	नरेन्द्रसिंह पुत्र श्री रामगोपाल देहली गेट, नागौर	6-10-72
28.	ज्ञानमल पुत्र भागी दत्त देहली गेट, नागौर	6-10-72
29.	डालम चन्द पुत्र जीतमल, बीदासर	27-9-72

परिशिष्ट 6

(अ.ता. प्र. सं. 1 की सूची)

उप निदेशन विभाग, बीकानेर

चक प्लायर्स के आधार पर उपनिवेशन तहसीलवार राजकीय भूमि का मानचित्र

नं. शु.	नाम तहसील उपनिवेशन	राजकीय भूमि (रकबा बीघों में) कमांड	अन कमांड	योग	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
(1)	हनुमानगढ	136	21	157	
(2)	नोरंगदेसर	5554	5090	10644	
(3)	रावतसर	2771	6487	9258	
(4)	विजयनगर	25166	19924	45090	
(5)	रायसिंह नगर	44933	46033	90966	
(6)	अनूपगढ	47330	48792	96122	
(7)	सूरतगढ–1	1571	9714	11285	
(8)	सूरतगढ–2	6089	36313	42402	
(9)	सूरतगढ–3.	7393	22472	29865	
(10)	छत्तरगढ–1	57406	60901	118307	
(11)	छत्तरगढ–2	119038	125631	244669	
(12)	घडसाना	45925	63535	109460	
(13)	पूगल	55133	153547	208680	
	योगः–	418445	598460	1016905	
	योग एकड़ में	261528	374038	635566	

(उपरोक्त आकड़े दिनांक 31–12–71 तक के है।)

Page No 116

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य वर्ग के भूमिहीनों को वर्ष 1972-73 में किये गये अस्थाई आवन्टन का तहसीलवार विवरण

क्रम सं. उपनिवेशन तहसील	अनुसूचित जाति/जन जाति का आवंटित क्षेत्र बीघों में			अन्य भूमिहीनों को आवंटित क्षेत्र बीघों में			कुल आवंटित क्षेत्र बीघों में		
	कमांड	अनूकमांड	योग	कमांड	अनूकमांड	योग	कमांड	अनूकमांड	योग
(1) छत्तरगढ़ नं. 1	22502	324	22826	41121	809	41940	63533	1133	64766
(2) छत्तरगढ़ नं. 2	27607	—	17607	75714	—	75714	103321	—	103321
(3) घड़साना	24602	669	25271	23256	378	23634	47858	1027	48905
(4) सूरतगढ़ नं. 1	1876	1865	3741	3867	5606	9473	5743	7471	13214
(5) सूरतगढ़ नं 2	1029	2797	3826	2149	6625	8774	3178	9422	12600
(6) सूरतगढ़ नं 3	3651	2741	6392	8726	4522	13248	12377	7263	19640
(7) हनुमानगढ़	712	1658	2370	1619	1584	3203	2331	3242	5573
(8) रावतसर	738	2742	3480	1673	7758	9131	2411	10500	12911
(9) नोरंगदेसर	2039	5241	7280	5552	11926	17478	7591	17167	24758
(10) रायसिंहनगर	7003	6191	13194	20153	10104	30257	27156	16295	43451
(11) अनूपगढ़	24383	1406	25789	21705	675	22380	46088	2081	48169
(12) विजयनगर	10309	6498	16807	18839	4598	23437	29148	11096	40244
(13) पूगल	881	—	881	7475	—	7475	8356	—	8356

परिशिष्ट 7

(अ. ता. प्र. सं. 2 की सूची)

दिनांक 1–1–68 को पेंडिग मामले	दिनांक 1–1–68 से 31–12–72 तक नये प्राप्त नामांतरकरण	कालम संख्या 1 व 2 का योग	दिनांक 1-1-68 से 31- 2-72 तक निर्णीत मामलों की संख्या	दि. 31-12-72 को शेष मामलों की संख्या	नामान्तरकरण पेंडिग की अवधि		
					दो माह से कम अवधि के	दो माह से अधिक मगर छः माह से कम	एक वर्ष से अधिक
1	2	3	4	5	6	7	8
1515	41,252	42,767	41,933	508	325	1	834

(118)

परिशिष्ट 8

(प्र. ता. प्र. सं. 3 की सूची)

जयपुर जिले की राजस्व न्यायालयों में दिनांक 1–1–73 को राजस्व मुकदमात की स्थिति निम्न प्रकार है:–

क्र. सं.	नाम न्यायालय	योग मुकदमात	6 माह से कम अवधि के	1 वर्ष से कम अवधि के	1 वर्ष से अधिक अवधि के	2 वर्ष से अधिक अवधि के	3 वर्ष से अधिक अवधि के
1	2	3	4	5	6	7	8
1–	जिलाधीश, जयपुर	270	96	78	87	6	3
2–	अति. जिलाधीश, जयपुर	748	411	179	129	25	4
3–	उप जिलाधीश, जयपुर	203	–	146	51	5	1
4–	,, आमेर	246	208	21	8	–	9
5–	,, दौसा	647	275	106	108	62	96
6–	,, सांभर	981	202	102	202	203	272
7–	,, कोटपूतली	163	53	54	27	29	–
8–	सहा. कलक्टर, जयपुर जिला	578	179	93	90	99	117
9–	,, जयपुर शहर	198	61	36	101	–	–
10–	,, मोबाइल जयपुर	160	50	22	39	35	14
11–	,, बान्दीकुई	480	115	71	210	47	37
12–	,, बैराठ	377	83	12	121	69	87
13–	तहसीलदार, जयपुर	653	276	28	196	112	41
14–	,, सांगानेर	1705	680	616	315	92	–
15–	,, बस्सी	986	500	89	390	2	5
16–	,, चाकसू	750	499	185	66	– माह नवम्बर तक है	
17–	,, आमेर	1380	764	358	158	100	–
18–	,, ज. रामगढ़	1155	304	737	114	–	–
19–	,, बैराठ	657	109	310	61	101	76

1	2	3	4	5	6	7	8
20–	तहसीलदार, कोटपूतली	129	87	38	3	1	–
21–	,, दौसा	1489	636	797	56	–	–
22–	,, सिकराय	67	33	31	3	–	–
23–	,, लालसोट	361	119	95	75	42	30
24–	,, बसवा	1501	1278	154	42	18	9
25–	,, सांभर	1586	781	150	519	87	49
26–	,, दूदू	1721	6	1465	30	15	5
27–	,, फागी	1951	–	657	1190	104	–
	योग:–	21140	7810	6630	4591	1254	855

परिशिष्ट 9

(अता. प्र. सं. 7 की सूची)

DISTRICTWSIE ROAD LENGTH AS ON 31-3-49

S. No.	Name of District	Surfaced				Usurfaced			Total[1]
		C.C.	B.T.	WBM	Total	G.R.	F.W.R.	Total	
1.	Ajmer	—	—	—	—	—	—	—	—
2.	Alwar	2	140	304	446	6	359	367	813
3.	Banswara	—	—	66	66	—	212	212	308
4.	Barmer	—	—	—	—	356	64	420	420
5.	Bharatpur	—	98	467	565	16	370	386	951
6.	Bhilwara	—	—	36	36	2	137	132	165
7.	Bikaner	—	27	156	183	—	—	—	183
8.	Bundi	2	73	147	222	—	319	319	541
9.	Chittorgarh	—	—	42	42	13	212	285	327
10.	Churu	—	5	320	325	—	—	—	325
11.	Dungarpur	—	—	35	35	—	451	451	472
12.	Ganganagar	—	—	3	3	--	—	—	2
13.	Jaipur	—	245	441	686	—	185	185	871
14.	Jaisalmer	—	—	—	—	—	—	—	—
15.	Jalore	—	—	3	3	21	242	263	266
16.	Jhalawar	—	—	335	335	6	394	400	735
17.	Jhunjhunu	—	2	52	54	—	216	216	270
18.	Jodhpur	—	82	74	153	733	352	1285	1441
19.	Kota	16	26	489	531	—	815	816	1316
20.	Nagour	—	—	24	24	713	—	713	737
21.	Pali	—	—	325	325	145	375	520	943
22.	Sawai-Madhopur		27	222	349	—	143	143	392
23.	Sikar	—	—	26	26	—	71	71	97
24.	Tonk	2	6	213	221	16	105	121	842
25.	Sirohi	—	—	147	147	—	307	307	454
26.	Udaipur	—	13	462	475	8	553	761	1233
	Total:—	22	744	4372	5144	2037	6373	3400	13543

121

सूची–ब

IN RAJASTHAN AS ON 31.3.1972.

(Length in K.Ms.)

S. No.	Name of Distt.	Lenght of NHW B. T.	C. C.	B.T.	WBM	G. R.	F. W.	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Ajmer.	125	—	1095	115	106	190	1631
2.	Alwar.	32	6	844	436	—	58	1376
3.	Banswara.	—	—	273	103	109	245	730
4.	Barmer.	166	—	376	54	860	53	1502
5.	Bharatpur.	155	8	821	406	87	44	1481
6.	Bhilwara.	—	—	553	307	139	140	1139
7.	Bikaner.	292	2	445	47	243	357	1386
8.	Bundi.	—	3	344	98	—	341	786
9.	Chittor	—	—	410	409	5	253	1077
10.	Churu.	113	—	416	258	—	91	878
11.	Dungarpur.	31	—	190	149	112	225	707
12.	Ganganagar.	176	—	1226	37	38	206	1643
13.	Jaipur.	355	2	714	325	—	58	1453
14.	Jaiselmer.	196	2	337	78	399	170	1182
15.	Jalor.	41	—	241	22	322	185	811
16.	Jhunjhunu.	—	—	391	77	5	63	536
17.	Jhalawar.	—	—	342	341	14	246	946
18.	Jodhpur.	80	—	794	104	949	131	2058
19.	Kotah.	—	17	542	403	—	763	1724
20.	Nagour.	—	—	574	227	934	—	1735
21.	Pali.	—	—	562	321	622	171	1676
22.	S. Madhopur.	—	—	373	374	2	184	933
23.	Sikar.	103	—	320	203	22	157	805
24.	Sirohi.	—	2	465	65	48	161	741
25.	Tonk.	—	—	442	153	8	56	659
26.	Udaipur.	304	—	908	348	991	752	3303
	Total	2089	42	13996	5463	6015	5300	32905

परिशिष्ट 10

(प्र. ता. प्र. स. 10 की सूची)

सूची 'अ'

तहसील रतनगढ

1. जान्दवा*
2. बछखडा बडा
3. रतनखरा*
4. लूंच्छ
5. छाबडी मिठी
6. छाबडी खारी
7. छोटरिया*
8. हनमूसर*
9. पाबूसर*
10. भालूदा*
11. बान्धवा*
12. बिनादेसर*
13. भावनदेसर*
14. लूनासर*
15. सिपखिया बोदावतान*
16. सिमसिया पुरोहितान*
17. कंगार

तहसील सुजानगढ

18. जोगलिया
19. जैतासर
20. बालेडा*
21. कटार छोटी
22. कटार बडी
23. गेवरसर
24. सूजानसर
25. रैडा
26. तेन्देसर
27. अमरसर
28. उरवाला*
29. बम्बू*
30. बैरासर*
31. इयारा*
32. क्षत्री*
33. जोगलिया*
34. जैतासर*
35. मालगढ़
36. गुलेरिया*
37. भासीना
38. बम्बू
39. बैरासर
40. ईयाग
41. तन्देसर
42. कटार छोटी
43. पेवर सर
44. साजनसर
45. रैडा
46. कटार बडी
47. अमरसर
48. साधू बडी और छोटी

तहसील तारानगर

49. मोरथल

तहसील राजगढ़

50. बेरासर छोटा

तहसील चूरू

51. दूधवा खारा*
52. खावासर

तहसील डूंगरगढ़

53. राजेड़ू
54. बापेऊ
55. बापेऊ पुरोहितान
56. गुसाईसर
57. पुनरासर
58. पुन्दलसर*
59. दूसरा बडावास
60. दूसरा पण्डरीकजी
61. दूसरा पीपलरिया
62. धरमास
63. अमृतवासी
64. जैसलसर
65. मनसिंहपुरा
66. उपनी
67. कल्याणसर नयापुराना
68. पुनरासर
69. मानकरासर
70. बीजासर
71. लोडेरा
72. गुसाईसर
73. देवला
74. धर्मास

तहसील सरदार शहर

75. बान्धनान दोकनाडा
76. बान्धनान उतराडा
77. बीकनसरा

---

*लाभप्रद स्कीमें

(124)

शुद्धि-पत्र

दिनांक 19 फरवरी, 1973

क. सं.	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4	5
1.	1	नीचे से 11	मडल	मंडल
2.	5	ऊपर से 10	श्रो रघुनाथ	श्री रघुनाथ
3.	7	" 15	श्री इ टे रि या	क्राइटेरिया
4.	7	" 19	खाश कौर	खास तौर
5.	8	" 7	में	मैं
6.	10	" 14	मे है चाहे	में हो चाहे
7.	16	नीचे से 5	(श्री कुंभार सिह)	श्री कुम्भार सिह (राज्य मंत्री, खनिज)
8.	17	ऊपर से 4	श्री निरंज नाथ	श्री निरंजन नाथ आचार्य
9.	20	नीचे से 3	इस्ट्रेस्ट	इन्ट्रेस्ट
10.	21	" 11	साहट	साइट
11.	22	" 16	डिफिकल्टो	डिफिकल्टी
12.	32	ऊपर से 13	हेमाली	हम्माली
13.	32	नीचे से 6	"	"
14.	34	ऊपर से 4	आपको	आपको
15.	38	नीचे से 8	श्री रामचन्द	श्री रामचन्द्र
16.	40	ऊपर से 6	1963	1963 से
17.	56	" 7	मंलग्न	संलग्न
18.	67	" 1	श्री हरिदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
19.	74	" 2	राज गोपालाचार्य जी	राजगोपालाचारी जी
19. (अ)	85-95	शीर्ष	शोक प्र. श्रद्धांजलि	—
20.	88	" 4	श्री श्री रामानन्द	श्री रामानन्द अग्रवाल
21.	93	" 3	श्री योगेन्द्रनाथ	श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा
22.	94	" 17	करूंगा	करूंगा
23.	96	" 12	possess	possesses
24.	103	नीचे से 9	मैं निवेदन	मुझे निवेदन

125

1	2	3	4	5
25.	107	नीचे से 3	में	मैं
25. (अ)	109-111	शीर्ष	पर्चे फेंकने स.प्र.	—
25. (ब)	113-124	शीर्ष	विधायी कार्य-19 फरवरी, 1973-विधायी कार्य	समिति के प्रतिवेदन-19 फरवरी, 1973-के उपस्थापन समय में वृद्धि
26.	114	ऊपर से 12	श्री गुमना मल	श्री गुमान मल
26. (अ)	126-159	शीर्ष	विधे. का पुर: स्था.	—
27.	126	नीचे से 3	पदासीन	उपाध्यक्ष, पदासीन
28.	129	" 14	मालुम	मालूम
29.	138	" 17	सुधार	सुधर
30.	139	" 15	घाट	घाटी
31.	140	" 10	किसी	किसी पद
32.	143	ऊपर से 8	वर्ग ही	वर्ग है
33.	147	" 1	लिए वे जो	लिए जो
34.	150	नीचे से 11	मालुम	मालूम
35.	150	" 9	सनझ	समझ
36.	153	" 12	इकट्टा	इकठ्ठा
37.	155	" 17	टेक्टर	सेक्टर
37. (अ)	159	शीर्ष	वि. का पुर: स्था.	गिरफ्तार शिक्षकों का प्रश्न
38.	161	ऊपर से 13	धन्यवाद	धन्यवाद प्रस्ताव
39.	216	" 3	पयाप्त	पर्याप्त
40.	227	" 2	DSITRICTWSIE	DISTRICT WISE